[2022] 11 एस. सी. आर. 1020

एम/एस। दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड

वी.

ऑस्कर निवेश सीमित और ओआरएस।

(2017 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20417)

22 सितंबर, 2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई, इंदिरा बनर्जी और

के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

न्यायालय की अवमानना-आयोजितः वर्तमान संख्या। 9 और 10 थे

उच्च द्वारा पारित आदेशों की अवमानना करने का दोषी ठहराया गया

न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय-उन्हें शुद्ध करने का अवसर दिया गया था

स्वयं अवमानना के हालांकि, द्वारा दी गई संपत्ति का प्रकार

वर्तमान संख्या। 9 और उनके हलफनामे में 10 इतने अपर्याप्त हैं कि यह

क्रियाएँ, समकालीन संख्या। 9 और 10 को अधिकतम भुगतने की सजा सुनाई गई सजा यानी छह महीने की कैद-5,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया

डिफ़ॉल्ट सजा के साथ अदालत की अवमानना करने के लिए

दो महीने-इसके अलावा, नोटिस पाने वाले बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में

और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कोई निर्देश पारित नहीं किए जा रहे हैं।

उन्हें वर्तमान के लिए लेकिन निष्पादन न्यायालय या कोई अन्य प्राधिकरण

ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम फोरेंसिक नियुक्त करना अच्छा होगा।

सत्य को उजागर करने के लिए लेखा परीक्षकों को उचित अभ्यास करना

निर्देश जारी किए गए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। स्किपर निर्माण

(2007) 15 एससीसी 60 I: [2005] 3 एस. सी. आर. 313; उच्चतम न्यायालय

बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (1998) 4 एससीसी 409:

[1998] 2 एस. सी. आर. 795; सत्य ब्रता विश्वास बनाम। कल्याण कुमार

(1994) 2 एससीसी 266: [1994] 1 एस. सी. आर. 413; व्यापारी निजी लिमिटेड वी. तोश अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (2012) 8 एससीसी 384: [2012] 10 एस. सी. आर. 307; रोसनन सैम बॉयस बनाम। बी. आर. कपास मिल्स लिमिटेड (1990) 2 एस. सी. सी. 636: [1990] 2 एससीआर 381 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 3 एससीआर 313

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[1998] 2 एससीआर 795

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[1994] 1 एससीआर 413

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2012] 10 एससीआर 307

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[1990] 2 एससीआर 381

पै

रा 19

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

(ग) 2017 का No.20417।

उच्च न्यायालय के 21.06.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के सी. सी. पी. ओ. No.21 में नई दिल्ली में।

के साथ विशेष अवकाश याचिका में 2018 की अवमानना याचिका (सी) No.2120

(ग) 2017 की No.20417 और 2019 की सुओ मोटू अवमानना याचिका (सी) No.04।

मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, जयदीप गुप्ता, कृष्णन

वेणुगोपाल, अरविंद पी. दातार, कैलाश वासदेव, हरीश एन. साल्वे, राजीव नायर, गौरव पचनंदा, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, श्याम दीवान, सी. यू. सिंह, जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमित कुमार मिश्रा, एकलव्य द्विवेदी, मोहित सिंह, सुश्री समृद्धि होता, सुश्री कनिका सिंघल, शिवम पांडे, तुरब अली काजमी,

सुश्री सलोनी अग्रवाल, रोहन जेटली, आदित्य शंकर, जयवीर शेरगिल, कुणाल चटर्जी, केशव ढींगरा सहगल, शिवेंद्र सिंह, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, प्रवर वीर मिश्रा, राहुल उन्नीकृष्णन, अनुराधा

दत्त, सुश्री सुमन यादव, आदित्य सरीन, तुषार जारवाल, सुश्री नियोमा वासुदेव, शोभित आहूजा, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, एच. एस. चंदोके, संजीव कुमार, सलीम अंसारी, वैभव कक्कड़, अभिषेक किस्कु, अंशुल सहगल, साहिल अरोड़ा, रोहित दहिया, फैसल शेरवानी, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, विशाल गेहराणा, सुश्री कृतिका सचदेवा, अनमोल जस्सल, सुश्री।

नम्रता सिन्हा, सुश्री अवनि शर्मा, मेसर्स। करंजावाला एंड कंपनी, विवेक जैन, निर्वाकर सिंह, जुल्फिकार मेनन, अभिषेक सिंह, मनीष शेखारी, नितिन शर्मा, गणेश खेमका, अनुज बेरी, अभिक चक्रवर्ती, गोविंद

मनोहर, प्रतीक यादव, सुश्री अंशुला लारोइया, श्रदुल एस. श्रॉफ, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, सुश्री विदुषी शांडिल्य, अखिल अब्राहम रॉय, विजय वाल्सन, मैसर्स। के जे जॉन एंड कंपनी, संदीप देवाशीष दास, सुश्री ऐश्वर्या सिंह, सुश्री रूपाली सिंह, सुश्री सायोबानी बसु, सुश्री दुर्गा मंदा, अनंत मिश्रा, मयंक पांडे, संदीप जोशी, अनंग शांडिल्य, संजीव प्रकाश उपाध्याय, संजय कुमार विसेन, अतुल शर्मा, सुश्री रेणुका अय्यर, अभिषेक अग्रवाल, संजय गुप्ता, अतिव माथुर, अमोल शर्मा, गगन गुप्ता, अमन राज गांधी, सुश्री संजना अरोड़ा, अश्विनी [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुमार, ऋषि सेठी, विधुर सिक्का, सुश्री संध्या चावला, कुमार गौरव, सुश्री रितु रेनीवाल, रॉबिन खोखर, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, हिमांशु सतीजा, निशांत राव, सुश्री मानसी तनेजा, सुश्री आयुषी आमोद, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री समन अहसान, सुश्री श्रीजाता मजूमदार, सुश्री मोनिका व्यास, मैसर्स। खेतान एंड कंपनी, विनम गुप्ता, आलोक कुमार, सुश्री सौम्या यादव, सुश्री दृष्टि हरपलानी, उदय अरोड़ा, जी. एन. रेड्डी, वर्गीज थॉमस, होर्मुज मेहता, सुश्री तमोघ्ना गोस्वामी, धीरज नायर, समीर पारेख, सुमित गोयल, सुश्री सोनल गुप्ता, मनु बजाज, सुश्री नितिका पांडे, मैसर्स। पारेख एंड कंपनी, रोहन थवानी, मनदीप सिंह आनंद, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, सीजेआई

1. वर्तमान कार्यवाही द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से उत्पन्न होती है

दाइची सैंक्यो कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "दाइची" के रूप में संदर्भित) एक विदेशी मध्यस्थ पुरस्कार दिनांक 29.04.2016 को लागू करने के लिए

सिंगापुर और दाइची के पक्ष में और 20 उत्तरदाताओं के खिलाफ पारित किया गया अर्थात उत्तरदाता 1: मालविंदर मोहन सिंह, प्रतिवादी 2: एच. यू. एफ. के कर्ता के रूप में मालविंदर मोहन सिंह, प्रतिवादी संख्या 3: मालविंदर मोहन सिंह भाई अस्पताल न्यास के न्यासी के रूप में, प्रतिवादी संख्या 4: जापना एम. सिंह, प्रतिवादी 5: निम्रिता सिंह, प्रतिवादी 6: शिविंदर मोहन सिंह, प्रतिवादी 7: एचयूएफ के कर्ता के रूप में शिविंदर मोहन सिंह, उत्तरदाता 8: अदिती सिंह, प्रतिवादी 9: अनहद परविंदर सिंह,

उत्तरदाता 10: कबीर परविंदर सिंह, प्रतिवादी 11: उदयवीर सिंह, प्रतिवादी 12: विवान सिंह, प्रतिवादी 13: निम्मी सिंह, प्रतिवादी 14: ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, प्रतिवादी 15: मालव होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड, प्रत्यर्थी 16: मॉडलैंड वियर प्रा. लिमिटेड, प्रत्यर्थी 17: फर्न हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड, प्रत्यर्थी 18: ए. एन. आर. सिक्यूरिटीज प्रा. लिमिटेड, प्रत्यर्थी 19: आरएचसी होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड, प्रत्यर्थी 20: ऑस्कर ट्रेडर्स (पार्टनरशिप फर्म) ("उत्तरदाता/जजमेंट डेटर्स"), उन्हें संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से लगभग 2562 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए

मध्यस्थता मामले No.19074/CYK में अतिरिक्त पूर्व-पुरस्कार ब्याज (4.44%) और पुरस्कार के बाद का ब्याज (5.33%)। पुरस्कार को चुनौती दी गई थी

सिंगापुर के साथ-साथ भारत में भी लेकिन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और पुरस्कार अंतिम हो गया। उच्च न्यायालय 1 में उक्त निर्णय को लागू करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 48 के तहत आपत्ति जताई गई थी। हालाँकि, उक्त आपत्ति को मूल उत्तरदाता संख्या 5 और 9 से 12 को छोड़कर खारिज कर दिया गया था, जो पुरस्कार दिए जाने के समय नाबालिग थे।

1 नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय।

घोषित कर दिया। आपत्ति की अस्वीकृति के लिए इस न्यायालय में आगे की चुनौती सफल नहीं हुई और 2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4276 को इस न्यायालय द्वारा 16.02.2018 पर खारिज कर दिया गया।

2. प्रवर्तन कार्यवाहियों में ओ. एम. पी. (ई. एफ. ए.) (कम.) होना। दाइची द्वारा शुरू की गई 2016 की सं. 6 में एक आशंका व्यक्त की गई थी कि

उत्तरदाता परिसंपत्तियों को दाइची की पहुंच से बाहर ले जाने के लिए योजना बना रहे थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ("एफ. एच. एच. पी. एल".) उत्तरदाताओं के नियंत्रण में एक होल्डिंग कंपनी थी और इसके शेयरों का मूल्य पूरी तरह से डाउनस्ट्रीम ऑपरेटिंग कंपनी-फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ("एफ. एच. एल".) के मूल्य से प्राप्त किया गया था; और एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए एफ. एच. एल. शेयरों को उत्तरदाताओं द्वारा बेचा/भारित किया जा रहा था। उक्त कार्यवाही में, प्रत्यर्थी Nos.14 और 19 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दिया गया एक वचन उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 21.06.2017 के आदेश में निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया गया थाः

" 8. चूंकि याचिकाकर्ता ने फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट की हिस्सेदारी के संबंध में एक मुद्दा उठाया है। फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड में लिमिटेड, वर्तमान आदेश को हलफनामे में प्रकट की गई उक्त बिना ऋण वाली संपत्ति के मूल्य तक सीमित किया जा रहा है।

9. प्रत्यर्थी नं. के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील। 14 और 19 प्रस्तुत करता है कि असंबद्ध परिसंपत्ति का मूल्य जिसमें शामिल हैं

फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी का खुलासा किया गया है। 452.60 उत्तरदाता सं. द्वारा करोड़। 14 और

रु. 1889.30 करोड़ उत्तरदाता सं। 19 .

10. प्रत्यर्थी नं. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील। 14 और 19 यह वचन देता है कि, उक्त प्रत्यर्थी द्वारा किए गए किसी भी लेन-देन की परवाह किए बिना, न्यायालय को बताए गए मूल्य में किसी भी तरह से बाधा या कमी नहीं आएगी।

11. प्रत्यर्थी सं. के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के उपरोक्त कथन का प्रभाव। 14 और 19 रुपये का योग है। 2841.09 करोड़ (यानी रु. 452.60 + रु। 1889.30 करोड़) हमेशा उपलब्ध और प्रत्यर्थी संख्या की संपत्ति के रूप में प्राप्त करने योग्य होगा। 14 और 19, फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में। लि. संतुष्टि की ओर

जब और जब चरण उत्पन्न होते हैं तो अपवर्तनीय राशि।

12. बयान को रिकॉर्ड में लिया जाता है और वचन दिया जाता है

स्वीकार

किया गया। "[2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.20417 में दिनांकित 21.06.2017 का वनाच्छादित आदेश मुख्य रूप से चुनौती के अधीन है

इस आधार पर कि विद्वान वकील के उक्त वचन को दर्ज करने के बजाय, उच्च न्यायालय को उन लोगों की संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए उचित प्रक्रिया जारी करनी चाहिए थी जिनके खिलाफ पुरस्कार पारित किया गया था। वास्तव में, दिनांकित 21.06.2017 आदेश में इस प्रकार दर्ज किया गया वचन प्रत्यर्थी संख्या की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दिया गया पांचवां आश्वासन/वचन था। 14 और 19. इस न्यायालय द्वारा विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गहेलौत और अन्य मामलों में पारित अपने फैसले और दिनांक 1 के आदेश में पिछले चार ऐसे आश्वासन दर्ज किए गए थे। निम्नानुसारः

" दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

पहला आश्वासन

4. प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 का आई. ए. No.6558 दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थियों को उनकी संपत्ति को अलग करने या बोझ डालने से रोका जाए। याचिकाकर्ता ने आशंका व्यक्त की कि प्रतिवादी अपनी संपत्ति को नष्ट कर देंगे जिससे पुरस्कार अप्रवर्तनीय हो जाएगा। श्री कपिल सिब्बल पर, उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा की जाएगी। हालाँकि यह आश्वासन न्यायालय द्वारा दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन यह याचिकाकर्ता के लिए वकील द्वारा भेजे गए पत्र का एक हिस्सा है।

जिसका पाठ इस प्रकार हैः

" 1 ..... इसके अलावा, यह निर्देश देते हुए कि, अन्य बातों के साथ-साथ, 29 अप्रैल 2016 के मध्यस्थता पुरस्कार को गोपनीय रखा जाए, माननीय न्यायालय द्वारा विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल (प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित) द्वारा दिए गए विधिवत निर्देशित मौखिक आश्वासन के बल पर एक औपचारिक सुरक्षात्मक आदेश पारित नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता के हित को 29 अप्रैल 2016 के मध्यस्थता पुरस्कार के तहत दी गई कुल राशि की सीमा तक संरक्षित किया जाएगा, और इसमें कोई औचित्य नहीं होगा। श्री कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि उनकी रिकॉर्डिंग भी आदेश में व्यक्तिगत विवरण शेयर बाजार में उत्तरदाताओं की रुचि को प्रभावित करेगा क्योंकि उनके कुछ ग्राहक सूचीबद्ध हैं

स्टॉक एक्सचेंज "।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों ने न्यायालय के समक्ष आग्रह किया था कि

उनका आश्वासन न्यायालय के आदेश में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए,

2 " फैसला ", संक्षेप में।

आई/एस। दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

क्योंकि यह शेयर बाजार में उनके शेयरों के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। यह उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया पहला आश्वासन था

दिल्ली उच्च न्यायालय। यह उल्लेख करना उचित होगा कि यह तथ्य कि ऐसा आश्वासन दिया गया था, उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश में भी दर्ज किया गया है जिसमें 1 से 4 और 13 तक उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश एन. साल्वे ने न्यायालय को दिए गए आश्वासन को दोहराया जैसा कि दिनांक 2 के पत्र में दर्ज किया गया है।

दूसरा आश्वासन

5. आई. डी. 1 पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को अपनी अचल संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने और उन संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया, जिन्हें दूसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवधि के दौरान विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुईं कि उत्तरदाता सहायक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी का निपटान कर रहे थे और अपनी संपत्ति का गुप्त रूप से निपटान भी कर रहे थे। कोई विकल्प नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ता ने आई. ए. नं. के रूप में एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया। 618 दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 का वर्ष जिसमें निम्नलिखित प्रार्थना की गई थीः -

ए "। उत्तरदाताओं को सुरक्षित करने का निर्देश देते हुए तत्काल एक आदेश पारित करें

पुरस्कार राशि को कुलसचिव के पास जमा करके

दिल्ली उच्च न्यायालय या पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करके या बैंक गारंटी द्वारा या किसी अन्य माध्यम से जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे; बी। प्रत्यर्थियों की चल और अचल संपत्तियों और संपत्तियों की कुर्की का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करें, और कोई भी

परिसंपत्तियाँ और संपत्तियाँ जिनमें उत्तरदाताओं के पास कोई संपत्ति है

सी। प्रत्यर्थियों और उनकी समूह कंपनियों को उनकी चल या अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों को किसी भी तरह से बेचने, अलग करने या बोझ डालने से रोकने का आदेश पारित करें; डी। उपरोक्त प्रार्थना (ए), (बी) और (सी) के संदर्भ में एकतरफा, विज्ञापन अंतरिम आदेश पारित करें और नोटिस के बाद इसकी पुष्टि करें।

उत्तरदाता; "

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ उत्तरदाताओं के वरिष्ठ वकील श्री हरीश एन. साल्वे ने 23.01.2017 पर दोहराया कि दिनांकित 24.05.2016 पत्र में दिया गया आश्वासन और दो [2022] 11 एस. सी. आर. की मांग की गई।

सभी उत्तरदाताओं की संपत्तियों का विवरण देते हुए उत्तरदाताओं में से एक द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए सप्ताह का समय। यह दूसरा आश्वासन था।

तीसरा आश्वासन

6. जानकारी उस तरीके से प्रदान नहीं की गई थी जिस तरह से मांगी गई थी

उच्च न्यायालय जो दिनांकित 06.03.2017 आदेश में परिलक्षित होता है। आदेश में दर्ज किया गया है कि प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी अचल और चल संपत्तियों का विवरण दें, न कि केवल निवेश, ऋण और अग्रिमों की सूची, जैसा कि प्रत्यर्थियों द्वारा दायर हलफनामे में दर्शाया गया है। उत्तरदाताओं ने

उन्हें और विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और उत्तरदाताओं के वकील ने प्रस्तुत किया था कि यह 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 06.03.2017 आदेश में निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कियाः

" 8. न्यायालय स्पष्ट करना चाहेगा कि उपरोक्त समझ

प्रत्यर्थी संख्या 19 द्वारा जो प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी

अचल, और न केवल निवेश और ऋण और प्रगति "।

7. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री राजीव नायर पर, उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने एक बयान में कहा गया है कि सभी असंबद्ध परिसंपत्तियों का पूरा विवरण/विवरण एक सप्ताह के भीतर पंजीयक के समक्ष दाखिल किया जाएगा।

उत्तरदाताओं के चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण पत्र भी निम्नलिखित विवरण देते हुए दाखिल करने का निर्देश दिया गया थाः -

(i) "दोनों सहित सभी गैर-परिसंपत्तियों का मूल्य।

उत्तरदाता 14 और 19, दोनों की चल और अचल संपत्ति

पुस्तक मूल्य के साथ-साथ उचित मूल्य;

((ii) जहां इन परिसंपत्तियों में इक्विटी शेयरों में निवेश शामिल है,

इनमें से किस शेयर को पहले अस्वीकार करने का अधिकार है। ((iii) इस बारे में स्पष्टीकरण कि कितना ऋण प्रतिफलित हुआ।

तुलनपत्र में पारि पासु शुल्क के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है

कंपनियों की वर्तमान और भविष्य की वर्तमान परिसंपत्तियों पर।

99 आई/एस। दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

न्यायालय ने डॉ. ए. एम. सिंघवी और श्री राजीव नायर के निम्नलिखित प्रभाव वाले बयान को फिर से नोट कियाः -

" 12. डॉ. सिंघवी और श्री नायर दोनों का कहना है कि यदि किसी भी असंबद्ध संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव प्रस्तावित किया जाता है।

जिनका विवरण पहले दिए गए निर्देश के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है,

प्रतिवादी पहले अदालत में आवेदन करेंगे।

चौथा आश्वासन 8. ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. ने मूल्य का खुलासा करते हुए प्रमाण पत्र दाखिल किए।

इसलिए, उत्तरदाताओं द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि इन दोनों कंपनियों का शुद्ध मूल्य था जो याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राशि से बहुत अधिक था। 9. जैसा कि पहले बताया गया है कि एफ. एच. एल. एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. के पास मार्च, 2017 तक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एफ. एच. एच. पी. एल.) के माध्यम से 52.20% की बहुमत हिस्सेदारी थी। 25.05.2017 पर, FHL ने अपने शेयरधारकों को यह प्रस्ताव देते हुए नोटिस जारी किया कि

विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 का आई. ए. No.7142 दायर कर अनुरोध किया कि ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. को एफ. एच. एच. पी. एल. में उनकी 100% हिस्सेदारी को कम करने से रोका जाए और उन्हें रोका जाए।

एफ. एच. एल. में अप्रत्यक्ष रूप से एफ. एच. एच. पी. एल. शेयरों के हस्तांतरण से। यह प्रार्थना की गई कि इन दोनों कंपनियों को एफ. एच. एच. पी. एल. में अपनी 52 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने का निर्देश दिया जाए। इस बीच, एफ. एच. एल. द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी. एस. ई.) को किए गए खुलासे से पता चला कि

एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी गिरकर 45.7% हो गई थी। 10. 19.06.2017 पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया कि ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. [2022] 11 एस. सी. आर. दोनों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील।

प्रस्तुत किया कि वे किसी की स्थिति को बदलना नहीं चाहते हैं

न्यायालय को प्रकट की गई गैर-परिसंपत्तियाँ और

दिनांकित 06.03.2017 आदेश के संदर्भ में प्रकट की गई हिस्सेदारी

प्रभावित नहीं होगा। बयान को रिकॉर्ड में लिया गया था

उच्च न्यायालय और इस संदर्भ में निपटाया गया आवेदन

बयान। इसका प्रभावी अर्थ यह था कि न्यायालय ने ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. को एफ. एच. एच. पी. एल. के माध्यम से एफ. एच. एल. में अपनी हिस्सेदारी किसी भी तरह से कम करने से रोक दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 19.06.2017 द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः -

" 5. उत्तरदाता के लिए वरिष्ठ वकील नं। 14 और 19 प्रस्तुत करता है कि वे अदालत में प्रकट की गई किसी भी गैर-ऋण संपत्ति की स्थिति को बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं और केवल विवादित प्रस्ताव को पारित करके, दिनांकित 06.03.2017 आदेश के संदर्भ में प्रकट की गई शेयरधारिता प्रभावित नहीं होगी।

6. बयान को रिकॉर्ड में लिया जाता है।

7. उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है।

यह उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया चौथा आश्वासन था।

4. उक्त विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.20417 17 पर विचार करते समय, दिनांकित 21.06.2017 आदेश से उत्पन्न कार्यवाही और

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को इस न्यायालय द्वारा निर्णय में इस रूप में नोट किया गया था

: :

" इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

13. दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि प्रतिवादियों द्वारा समय-समय पर उपक्रमों का उल्लंघन करने के बावजूद प्रतिबंध आदेश पारित नहीं किए जा रहे थे। याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.20417 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित पारित कियाः

11.08.2017 पर आदेश देंः -

" अंतरिम में यह निर्देश दिया जाता है कि आज की स्थिति के साथ फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड में फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी को बनाए रखा जाएगा।

एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा किए गए वैधानिक खुलासों के अनुसार

बी. एस. ई. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन. एस. ई.) ने यह खुलासा किया कि आई/एस.

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. के शेयर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आई. एच. एफ. एल.) के पक्ष में गिरवी रखे गए थे।

14. याचिकाकर्ता ने 2017 की डायरी No.27334 के रूप में एक अवमानना याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि 14.08.2017 पर 13 प्रतिज्ञा बनाने में प्रतिवादियों का आचरण दिनांकित 11.08.2017 के आदेश का उल्लंघन है, इस बीच 21.08.2017 पर, ओआईएल ने अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए भारित शेयरों की बिक्री की अनुमति देने के निर्देशों के लिए 2017 का आई. ए. 77497 के रूप में एक आवेदन दायर किया और यह भी अनुरोध किया कि एक स्पष्टीकरण जारी किया जाए कि 11.08.2017 का आदेश बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गिरवी रखे गए शेयरों के अलावा अन्य शेयरों तक सीमित है। 2017 के आई. ए. 77497 में, ओ. आई. एल. ने निम्नानुसार कहा थाः -

" 24. यह इन परिस्थितियों में है कि प्रतिवादी कंपनी

इस माननीय न्यायालय से यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2017 को पारित आदेश शेयरों तक सीमित है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को गिरवी रखे गए लोगों के अलावा संस्थान, जिनकी बिक्री प्राप्त करने के बाद की जा रही है

प्रतिज्ञा लेने वालों की पूर्व सहमति।

25. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्देश किसी भी स्थिति में,

संभावित लेनदारों पर प्रभाव पड़ता है और इन निधियों की उपलब्धता से केवल ऋण को कम करने में मदद मिलेगी। केवल यही होगा उत्तरदाताओं द्वारा रखे गए शेयरों का मूल्य बढ़ाएँ।

इसी तरह का आवेदन 2017 का आई. ए. No.76959 समान पैराग्राफ 24 और 25 के साथ आर. एच. सी. द्वारा दायर किया गया था।

15. 31.08.2017 पर, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दियाः

" चूंकि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका 23 अक्टूबर, 2017 को पूर्ण विचार के लिए आने वाली है, इसलिए हम इस स्तर पर उठाए गए मुद्दों पर गहराई से विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि इसका जवाब देने के लिए उतना ही समय लगेगा जितना मामले की सुनवाई और अंत में निर्णय लेने के लिए आवश्यक होगा। इसलिए हम इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार करते हैं, सिवाय इसके कि इस न्यायालय के 11 अगस्त, 2017 के अंतरिम आदेश का उद्देश्य फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रखे गए फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के भारित और भारित शेयरों दोनों के संबंध में होना था। नतीजतन, इंगित सीमा तक शेयरों का कोई हस्तांतरण नहीं होगा।

ऊपर।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक 11 अगस्त, 2017 को अवमानना का कोई मामला नहीं बनाया गया है। हालाँकि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान आदेश और उपरोक्त स्पष्टीकरण पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करेगा। अब से। अवमानना याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है "।

16. इस तारीख को अवमानना याचिका का निपटारा किया गया था और साथ ही यह उल्लेख किया गया था कि आदेश और उसमें निहित स्पष्टीकरण अब से पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करेगा। 11.08.2017 और 31.08.2017 दिनांकित आदेश को बाद में इस न्यायालय द्वारा 15.02.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया गया था जो इस प्रकार हैः

" पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हम 11 अगस्त, 2017 और 31 अगस्त, 2017 के अपने अंतरिम आदेशों को स्पष्ट करते हैं, जिसका अर्थ है कि दी गई यथास्थिति फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट द्वारा रखे गए फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के शेयरों पर लागू नहीं होगी। लिमिटेड, जो इस न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त, 2017 के अंतरिम आदेशों पर या उससे पहले बोझिल हो सकता है और

31 सेंट अगस्त, 2017।

निर्देशों के लिए आवेदनों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि 23.02.2018 पर, यह

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किएः

" इस न्यायालय का 15 फरवरी, 2018 का अंतरिम आदेश होगा - जब तक उच्च न्यायालय मामले का फैसला नहीं करता, तब तक मैदान में बने रहना जारी रखें।

17. 06.09.2018 से 18.09.2018 इंडियाबुल्स वेंचर्स की अवधि के दौरान

लिमिटेड (आई. वी. एल.), जिसके साथ एफ. एच. एच. पी. एल. एक डीमैट खाता रखता है

एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए एफ. एच. एल. के 12,25,000 शेयरों को आई. एच. एफ. एल. को हस्तांतरित किया गया। अक्टूबर, 2018 में दायर वर्तमान अवमानना याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि शेयरों का यह हस्तांतरण दिनांकित आदेशों की अवमानना में था

11.08.2017 , 31.08.2017 , 15.02.2018 और 23.02.2018 "।

5. जैसा कि ऊपर उद्धृत पैराग्राफ 17 में कहा गया है, अवमानना

8.2017 , 15.02.2018 और 23.02.2018 इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया। जबकिइस प्रश्न सहित मुद्दे के मामलों के साथ कि क्या 12,25,000 को 11.08.2017 से पहले गिरवी रखा गया था या नहीं, इस न्यायालय ने एक निर्धारित किया था

निर्णय के पैरा 3 में निम्नानुसार हैः

एम/एस। दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

मालविंदर मोहन सिंह

शिविंदर

मोहन सिंह (आरोपी)

(कथित समकालीन

समकालीन No.10)

सं. 9))

99 %

99 %

मालव होल्डिंग्स प्रा.

शिवि होल्डिंग्स प्रा. लि.

लि.

50 %

50 %

आरएचसी होल्डिंग प्रा. लि.

लिमिटेड (प्रतिवादी)

12 %

एसएलपी में संख्या 8)

81 %

44 % 12 %

19 %

ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

फोर्टिस हेल्थकेयर

होल्डिंग प्रा. लि.

(एस. एल. पी. में उत्तरदाता संख्या 1)

67 %

52 %

33 %

आरएचसी वित्त

फोर्टिस हेल्थकेयर

प्रा. लि.

लि.

100 %

22 %

6 %

6 %

16 %

फोर्टिस अस्पताल

रेलिगेयर

लि.

एंटरप्राइजेज लिमिटेड

85 %

रेलिगेयर फिनवेस्ट

लि.

6. ये मुद्दे कि क्या पारित आदेशों की अवमानना की गई थी

इस न्यायालय और क्या 12,25,000 शेयरों की गिरवी 1.08.2017 से पहले थी या नहीं, इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार विचार किया गया थाः

" 21. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ये 12,25,000 शेयर थे

11.08.2017 से पहले गिरवी रखा या नहीं। इस स्तर पर यह उचित होगा। यह उल्लेख करने के लिए कि आई. एच. एफ. एल. का रुख कि कोई प्रतिज्ञा नहीं बनाई गई थी

11.08.2017 के बाद गलत है। 21.08.2017 पर किया गया खुलासा एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा बी. एस. ई. और एन. एस. ई. को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 30,59,260 शेयर

एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा धारित एफ. एच. एल. के पक्ष में 14.08.2017 पर प्रतिज्ञा की गई थी

22. हम बता सकते हैं कि अक्टूबर 2017 तक आई. एच. एफ. एल. नहीं था। इस न्यायालय में प्रतिनिधित्व किया। हालाँकि, 16.08.2017 और 31.08.2017 [2022] 11 एससीआर पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ईमेल के माध्यम से आर. एच. सी. ने आई. एच. एफ. एल. को यथास्थिति आदेश के बारे में सूचित किया

इस न्यायालय द्वारा पारित। इस प्रकार, आई. एच. एफ. एल. यह दावा नहीं कर सकता कि वे नहीं थे

विशेष रूप से तेल, आर. एच. सी., एम. एम. एस. और एस. एम. एस. द्वारा दाखिल किए गए जवाब यह स्पष्ट है कि 06.09.2018,07.09.2018,08.09.2018 IHFL पर

इन स्थानांतरणों के बारे में पता चला, इसने तुरंत आई. एच. एफ. एल. को सूचित किया कि स्थानांतरण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन था

11.09.2017 पर। 11.09.2018 दिनांकित संचार के बावजूद, आई. एच. एफ. एल. 11.09.2018 पर एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए एफ. एच. एल. के शेयरों का हस्तांतरण जारी रखा,

12.09.2018 , 14.09.2018 , 17.09.2018 और 18.09.2018। 24.09.2018 पर,

इस अदालत को सूचित किया गया था कि आई. एच. एफ. एल. ने 12,25,000 शेयरों का हस्तांतरण किया था।

एफ. एच. एच. एल. द्वारा एफ. एच. एल. में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए आयोजित किया गया। जिस तरह से

29.09.2018 , 9,04,760 शेयरों का एक और लेन-देन हुआ था।

मुख्य मुद्दा यह है कि क्या 12,25,000 शेयरों पर बोझ डाला गया था या नहीं। नहीं।

23. एफ. एच. एल. एक सार्वजनिक कंपनी है और एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, इसे

स्टॉक एक्सचेंज को अपने शेयरधारिता पैटर्न का खुलासा करें। एक चार्ट एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाएगा

विभिन्न चरणों में स्वामित्व की स्थितिः

एस. नहीं। तिमाही समाप्ति

फंसा हुआ।

असंक्रमित

कुल शेयर

की हिस्सेदारी

शेयर

एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. एल.

सितंबर 2016

5,29,31,574

27,21,59,955

1

32,50,91,529

25,22,63,248

32,50,91,529

7,28,28,281

2

दिसंबर 2016

28 जनवरी 2017

32,50,91,529

25,19,23,248

7,31,68,281

3

4

मार्च 2017

23,18,01,440

3,84,40,089

27,02,41,529

22,22,11,701

18,38,96,484

3,83,15,217

5

जून 2017

सितम्बर 2017

17,53,94,820

26,31,777

6

17,80,26,597

17,80,26,597

26,3

1,777

17,53,94,820

दिसंबर 2017

7

6,89,084

27,

31,367

34,20,451

8

मार्च 2018

27,

31,367

5,51,484

जून 2018

32,82,851

9

सितम्बर 2018

11,53,091

6,0

1,607

5,51,484

10

11,53,091

5,51,484

11

6,0

1,607 1 / एस.

दिसंबर 2018

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

यह सच है कि हमें यह तय करना है कि क्या इस न्यायालय के आदेशों की कोई अवज्ञा है, लेकिन ऐसा करते समय हम दिल्ली उच्च न्यायालय और उपरोक्त चार्ट के समक्ष कार्यवाही का संदर्भ देंगे ताकि यह दिखाया जा सके कि कैसे दोनों उत्तरदाताओं ने अदालतों के आदेशों का उल्लंघन किया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आई. डी. 2 पर ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. के विद्वान वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया था कि अदालत को प्रकट की गई गैर-परिसंपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और दिनांकित आई. डी. 1 के आदेश के संदर्भ में प्रकट की गई शेयरधारिता प्रभावित नहीं होगी। जब याचिकाकर्ता को लगा कि इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। दो दिनों के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसे दिए गए वचन के आधार पर एक और आदेश पारित किया गया।

24. उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि जून में समाप्त होने वाली तिमाही में

2017 , एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. के कुल शेयर 22,22,11,701 थे और भारित शेयर 18,38,96,484 थे। केवल 3,83,15,217, बिना नंबर वाले थे। 25. इस न्यायालय ने 11.08.2017 पर निर्देश दिया कि एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी के संबंध में यथास्थिति बनी रहे। 31.08.2017 पर

यह स्पष्ट किया गया कि यह आदेश भारित और गैर-भारित दोनों शेयरों पर लागू होगा। 14.08.2017,30,59,260 पर,

आई. एच. एफ. एल. के पक्ष में बिना ऋण वाले शेयरों को गिरवी रखा गया था। जहां तक दिनांकित 11.08.2017 आदेश के इस उल्लंघन का संबंध है, दिनांकित 31.08.2017 आदेश को देखते हुए, इसे माफ कर दिया जाता है। इसका मतलब यह होगा कि बिना ऋण वाले शेयरों को घटाकर 3,52,55,957 कर दिया जाना चाहिए था। 26. हालांकि, सितंबर 2017 के आंकड़े पूरी तरह से अलग स्थिति दिखाते हैं। कुल शेयरधारिता गिरकर 17,80,26,597 हो गई है और बिना ऋण वाले शेयर 26,31,777 हो गए हैं। इसका मतलब है कि 14.08.2017,3,26,24 पर गिरवी रखे गए 30,59,260 शेयरों के अलावा, इस अवधि के दौरान 180 शेयरों को भारित या हस्तांतरित किया गया था। ओ. आई. एल., आर. एच. सी., एम. एम. एस. या एस. एम. एस. द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इन बिना ऋण वाले शेयरों को कैसे बोझिल किया गया था या

अदालतों के आदेशों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए स्थानांतरण। 27. अब हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे कि क्या आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. ने इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया था या नहीं? इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए यह निर्धारित करना उचित होगा कि क्या आई. एच. एफ. एल. [2022] 11 एस. सी. आर.

ऐसे किसी भी शेयर को हस्तांतरित किया गया जो 14.08.2017 तक भारित नहीं थे।

28. यह हमें 01.07.2018 और 30.09.2018 के बीच की अवधि के लिए FHL के शेयरधारिता पैटर्न पर लाता है क्योंकि इसी अवधि के दौरान IHFL ने शेयरों का हस्तांतरण किया था। आई. एच. एफ. एल. के अनुसार ये 12,25,000 शेयर उनके पास गिरवी रखे गए थे। न तो 2017 के आई. ए. No.109493 में और न ही अवमानना संख्या द्वारा दायर उत्तर में। 1-8 , क्या इस बारे में कोई स्पष्ट कथन है कि विभिन्न प्रतिज्ञाएँ कैसे और कब बनाई गईं? ऋण का उल्लेख किया गया है।

2016 के दस्तावेज़ और 14.08.2017 की प्रतिज्ञा के लिए भी। कथित अवमानकर्ता संख्या के अनुसार। 1 8 तक, एफ. एच. एल. आई. वी. एल. के साथ एक डीमैट खाता बना रहा था। मामला यह है कि जब आई. एच. एफ. एल. के शेयरों का मूल्य बाजार में गिर गया, तो आई. एच. एफ. एल. के बकाया के बराबर प्रतिभूति बनाने के लिए, आगे के शेयरों को आई. वी. एल. द्वारा आई. एच. एफ. एल. को हस्तांतरित कर दिया गया। यह आग्रह किया जाता है कि यह ध्यान में रखते हुए किया गया था कि

एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा आई. वी. एल. और आई. एच. एफ. एल. को 11.08.2017 से पहले दिए गए निर्देश। ये हस्तांतरण एफ. एच. एच. पी. एल. के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में आई. एच. एफ. एल. द्वारा निष्पादित वितरण निर्देश पर्ची के आधार पर किए गए थे। भले ही यह सच हो, कथित अवमानकर्ता उल्लंघन करने के दोषी हैं

इस न्यायालय के आदेश। आई. डी. 1 का आदेश स्पष्ट रूप से एफ. एच. एच. पी. एल. को आई. एच. एफ. एल. में अपनी हिस्सेदारी बदलने से रोकता है। 31.08.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से, यह स्पष्ट किया गया था कि 11.08.2017 दिनांकित आदेश भारित और गैर-भारित शेयरों दोनों पर लागू होगा। यह केवल 15.02.2018 पर ही स्पष्ट किया गया था कि यह 11.08.2017 और 31.08.2017 से पहले के भारित शेयरों पर लागू नहीं होगा। 3 आदेशों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम 31.08.2017 के बाद किसी भी बिना ऋण वाले शेयर से शुल्क नहीं लिया जा सकता है। भले ही एफ. एच. एच. पी. एल. ने आई. वी. एल. को सुरक्षा मूल्य बढ़ाने के लिए अपने डीमैट खाते से शेयरों को स्थानांतरित करने का अधिकार देते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, लेकिन उस पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग इस अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता था। एफ. एच. एच. पी. एल. जो नहीं कर सका, वह स्पष्ट रूप से उसके प्रतिनिधि या वकील द्वारा नहीं किया जा सका। जिन शेयरों का उपयोग 31.08.2017 के बाद प्रतिभूति को बढ़ाने के लिए किया गया था, वे स्पष्ट रूप से इस तारीख से पहले के बिना ऋण वाले शेयर थे। याचिका स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और निर्देश के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए एक लंगड़ा बहाना है।

यथास्थिति बनाए रखना जो, जैसा कि संशोधित किया गया था, बिना ऋण वाले शेयरों पर लागू होना था। उत्तरदाताओं को पता था और 1/एस की गिरावट के मामले में, उन कथित समझौतों के बारे में अज्ञानता का दावा नहीं कर सकते हैं जिनके तहत उन्हें प्रतिभूतियों पर शीर्ष-अप करने की आवश्यकता थी।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

शेयरों का बाजार मूल्य। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश लागू होना था, भले ही इसमें कोई गिरावट हो।

लेनदारों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य।

29. इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, हम एफ. एच. एल. द्वारा बी. एस. ई. को किए गए खुलासों का उल्लेख कर सकते हैं। उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि तिमाही में 30.06.2018 को समाप्त करते हुए, FHHPL के पास FHL में 32,82,851 शेयर थे, जिनमें से केवल 5,51,484 को ही भारित किया गया था, जिसका अर्थ है कि शेष 27,31,367 गैर-भारित शेयर थे। का खुलासा

30.09.2018 और 31.12.2018 दोनों दर्शाते हैं कि की संख्या

भारित शेयरों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की कुल हिस्सेदारी 32,82,851 से घटकर 11,53,091 हो गई है। इसका मतलब है कि जो हस्तांतरित किया गया था वह 21,29,760 अनएनकंबर्ड शेयर थे और एनकंबर्ड शेयर नहीं थे। इसलिए 12,25,000 शेयरों का लेन-देन बिना ऋण वाले शेयरों से बाहर है क्योंकि 31.03.2018 के बाद, ऋण वाले शेयर 12,25,000 से बहुत नीचे थे। 30. हम इस विवाद में नहीं पड़ रहे हैं कि क्या शेयरों का हस्तांतरण पूर्व-हस्ताक्षरित पर्ची या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर वितरण निर्देश पर्ची के आधार पर किया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन शेयरों पर बोझ नहीं डाला गया था और अवमानकर्ता रिकॉर्ड पर कोई ठोस सामग्री रखने में विफल रहे हैं जो यह दर्शाता है कि ये 12,25,000 शेयर पहले या बाद में गिरवी रखे गए थे।

31.08.2017 .

इन आदेशों का उल्लंघन किया है और इसलिए, हम अवमानना संख्या पाते हैं। 1 8 आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. के सक्रिय निदेशक जो जानबूझकर दोषी हैं और जानबूझकर इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करना और उन्हें न्यायालय की अवमानना करने का दोषी ठहराना। हम सजा के सवाल पर उन्हें सुनेंगे।

7. इसके बाद इस न्यायालय ने अवमानकर्ता संख्या की भूमिका पर विचार किया। 9 0 , मालविंदर मोहन सिंह (एम. एम. एस.) और शिविंदर मोहन 1 (एस. एम. एस.) क्रमशः:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. याचिकाकर्ता इस न्यायालय में तब आया जब दिनांक 11.08.2017 का आदेश पारित किया गया और दिनांक 31.08.2017 के आदेश द्वारा स्पष्ट किया गया। इस अवधि के दौरान भी एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की कुल हिस्सेदारी 22,22,11,701 से गिरकर 17,80,26,597 से 4,41,85,104 शेयरों तक गिर गई। एम. एम. एस. और एस. एम. एस. ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि यह कैसे हुआ। हुआ। अवमानकर्ता यह खुलासा करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हमारे सामने एकमात्र स्पष्टीकरण 30,59,260 शेयरों की गिरवी रखने के बारे में है।

14.08.2017 . शेयरधारिता में इस भारी गिरावट को नजरअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन भले ही हम इसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि मार्च 2018 में शेयरधारिता 34,20,451 और अंत में दिसंबर 2018 में 11,53,091 पर कैसे गिर गई। दिल्ली उच्च न्यायालय को दिया गया वचन था कि 19.06.2017 और 21.06.2017 पर शेयरधारिता को बनाए रखा जाएगा। 11.08.2017 पर, इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को शेयरधारिता को बदलने से रोक दिया। 11.08.2017 पर, इस न्यायालय ने ऊपर निर्दिष्ट यथास्थिति का आदेश पारित किया। उस विशिष्ट आदेश के बावजूद, 14.08.2017 पर एक प्रतिज्ञा बनाई गई थी। यह इस अदालत के आदेशों का उल्लंघन था। आर. एच. सी. और ओ. आई. एल. ने इस न्यायालय के समक्ष 21.08.2017 पर आवेदन दायर कर आदेश में संशोधन और इस निर्देश के लिए अनुरोध किया कि 11.08.2017 का आदेश उन शेयरों के अलावा अन्य शेयरों तक सीमित हो सकता है जो पहले से ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गिरवी रखे गए थे।

हालांकि अलग-अलग आवेदन दायर किए गए हैं, अनुच्छेद 25 दोनों अनुप्रयोग समान हैं और यहाँ ऊपर उद्धृत किए गए हैं।

1 / एस. दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए धन। इस कथन के आधार पर, दिनांक 1 का आदेश पारित किया गया था और इस न्यायालय ने मामले पर एक उदार दृष्टिकोण अपनाया और बिना कोई कार्रवाई किए अवमानना का निपटारा किया। 37. दुर्भाग्य से, इन अवमानकों के कार्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये बयान उनका पालन करने के कम से कम इरादे के बिना दिए गए थे। इन अवमानकों ने याचिकाकर्ता के अधिकारों को विफल करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफ. एच. एल. में अपनी हिस्सेदारी को कम करने की एक सुविचारित योजना पहले ही तैयार कर ली थी।

38. दिए गए स्पष्टीकरण विचार के योग्य नहीं हैं।

एस. एम. एस. के अनुसार वह इन कंपनियों के प्रशासन में भी भाग नहीं ले रहा था और धार्मिक सेवा में चला गया था। यह इस तथ्य से गलत साबित होता है कि वह निदेशक मंडल की अधिकांश बैठकों में भाग लेते रहे हैं। दोनों अवमानकों द्वारा लिया गया अगला बचाव यह है कि उन्होंने कंपनियों पर नियंत्रण खो दिया क्योंकि भारित शेयरों को बेच दिया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह न केवल भारित शेयर हैं, बल्कि गैर-भारित शेयर भी हैं जिन्हें हस्तांतरित किया गया है। दिसंबर 2017 में, एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. के असंबद्ध शेयर 26,31,777 थे और दिसंबर 2018 में केवल 6,01,607 असंबद्ध शेयर थे। यह किसी भी तरह से संदेह से परे दर्शाता है कि इस न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। यह स्पष्ट है कि अवमानकर्ताओं ने जानबूझकर और स्वेच्छा से एफ. एच. एल. पर नियंत्रण खो दिया।

39. एक वादी को अदालत में हमेशा सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। एक.

जो इक्विटी चाहता है उसे किसी भी प्रासंगिक सामग्री को नहीं छिपाना चाहिए। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए गए वचनों के साथ-साथ इस न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन किया है। जहाँ तक उसके समक्ष किए गए उपक्रमों का संबंध है, दिल्ली उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार करेगा। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि न। 9 और 10 ने भी जानबूझकर और अपमानजनक रूप से इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की है। इस न्यायालय में इस मामले के लंबित रहने की अवधि के दौरान जो हुआ है, वह यह है कि एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी, जो पूरी तरह से ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. के स्वामित्व में है। मोड़ एस. एम. एस. और एम. एम. एस. द्वारा नियंत्रित होते हैं, एफ. एच. एल. में लगभग गायब हो गए हैं। एफ. एच. एच. एल. के पास अब एफ. एच. एल. में कोई शेयर नहीं है। यह सच हो सकता है कि [2022] 11 एस. सी. आर.

40. किसी भी व्यक्ति या संस्था को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत की अवमानना विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। नागरिक अवमानना को इसके तहत परिभाषित किया गया है अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 का अर्थ धारा 2 (बी) के तहत अदालत को दिए गए किसी वचन के जानबूझकर उल्लंघन के अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना है। अपराधी

धारा 2 (सी) के तहत अवमानना को कुछ भी शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जो अदालत के अधिकार को कम करता है या कम करता है या कम करता है। आपराधिक अवमानना का अर्थ कोई भी कार्य है जो न्यायिक कार्यवाही के नियत पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, अवमानकर्ता सं. 9 और 10 निश्चित रूप से न्यायालय के अधिकार को कमजोर करता है। हम एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के साथ काम कर रहे हैं जो एक पुरस्कार में फलीभूत हो गया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके। 9 और 10 हैं

41. इस न्यायालय द्वारा 11.08.2017 पर एक के साथ पारित आदेश 31.08.2017 पर स्पष्टीकरण और 15.02.2018 पर किए गए संशोधन को अलग-अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि अवमानकर्ताओं द्वारा दिए गए गंभीर उपक्रमों और आश्वासनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कई बार, अंतिम बार 21.06.2017 पर देर हो चुकी है। ये आश्वासन इस आशय के थे कि भले ही न्यायालय ऋण के भुगतान के लिए भारित शेयरों की बिक्री की अनुमति देता है, इसका (संभावित) लेनदारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और धन की उपलब्धता केवल ऋण को कम करेगी और शेयरों के मूल्य में वृद्धि करेगी। उपरोक्त गंभीर के विपरीत

आश्वासन और उपक्रम, जिन्हें बार-बार दोहराया गया था।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

ऑर्डर प्राप्त करने के लिए, शेयरधारिता में गिरावट आई, जैसा कि पैराग्राफ 23 की तालिका से स्पष्ट है। एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए शेयरों की कुल संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई, जो सितंबर 2016 में 27,21,59,955 और 5,29,31,574 से गिरकर दिसंबर 2018 में 5,51,484 और 6,01,607 हो गई। मूल्यांकन पर प्रभाव के साथ उपरोक्त तथ्य को कभी भी न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था और इस ज्ञान के साथ छिपाया गया था कि यदि इन तथ्यों को ध्यान में लाया जाता है, तो याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए पारित किए जाने वाले आदेशों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा।

42. इससे भी अधिक चौंकाने वाली और स्पष्ट रूप से तिरस्कारपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से एक सुविचारित योजना में, कंपनी में नियंत्रित ब्याज को स्थानांतरित करने के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ एफ. एच. एल. की अधिकृत पूंजी को बढ़ाया गया था। नतीजतन, कंपनी के रूप में एफ. एच. एल. में एम. एम. एस. और एस. एम. एस. की नियंत्रण रुचि कम हो गई। हाथ बदले। बहुमत द्वारा रखे गए ब्याज को नियंत्रित करना

शेयरधारकों का काफी बाजार मूल्य होता है। इसके अलावा, एक विदेशी शेयरधारक द्वारा लाई गई राशि, जिसका अब एफ. एच. एल. में नियंत्रक हित है, को पूरे तथ्यों को रिकॉर्ड में लाए बिना संदिग्ध और गुप्त तरीके से स्थानांतरित कर दिया गया है। यह राशि पुरस्कार के भुगतान और संतुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं है। सिंगापुर में पंजीकृत एक न्यास यानी आर. एच. टी. हेल्थ ट्रस्ट (आर. एच. टी.) को बहुत जल्दबाजी और गुप्त तरीके से लगभग 4600 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। संयोग से, उत्तरदाताओं ने नहीं। 9 और 10 स्वयं या अपनी होल्डिंग कंपनियों के माध्यम से एक समय में ट्रस्ट में सबसे बड़े यूनिटहोल्डर थे। यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता देनदार होने के नाते पैंतरेबाज़ी, हस्तांतरण और परिवर्तित कर रहे हैं

मूल्य की परिसंपत्तियाँ, इस इच्छा और इरादे के साथ कि याचिकाकर्ता निर्णय के अनुसार अवमूल्यन राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं होंगे।

43. इसलिए हम इस न्यायालय के आदेशों को अलग-अलग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए पांच गंभीर आश्वासनों और वचनों के साथ पढ़ेंगे। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश और पारित आदेश इस तथ्य के आलोक में थे कि अवमानकर्ता हमेशा यह अनुमान लगाते थे कि उक्त आश्वासन और उपक्रम बाध्यकारी और पालन करने वाले थे। 44. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अवमानकर्ता 9 और 10 ने एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी को जानबूझकर बदल दिया है। उन्होंने [2022] 11 एस. सी. आर. के अधिकारों को पराजित करने के उद्देश्य से ऐसा किया है।

याचिकाकर्ता। उन्होंने इस न्यायालय के दिनांक 11.08.2017,31.08.2017 के आदेशों का भी जानबूझकर और आपत्तिजनक रूप से उल्लंघन किया है और

15.02.2018 . तदनुसार उन्हें अपराध करने का दोषी ठहराया जाता है।

आज हम उनसे नरमी से निपटने पर विचार कर सकते हैं। 14.12.2018 दिनांकित आदेश का उल्लंघन

46. यह भी तर्क दिया गया था कि अवमानना संख्या। 9 और 10 ने दिनांकित 14.12.2018 आदेश का भी उल्लंघन किया है। चूंकि यह मुख्य अवमानना याचिका का विषय नहीं है और इस संबंध में संबंधित पक्षों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए हम महसूस करते हैं कि इस मुद्दे को बाकी अवमानना याचिकाओं से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि मुख्य दलीलें और जवाब कथित अवमानना के संबंध में हैं।

दिनांकित आदेशों की संख्या 11.08.2017,31.08.2017,15.02.2018 और 23.02.2018।

47. हालाँकि, हम मामलों को वैसा ही नहीं रहने दे सकते जैसा वे हैं। 14.12.2018 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया थाः

" नोटिस जारी करें। अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति

उत्तरदाताओं को वर्तमान के लिए छूट दी गई है। फोर्टिस में नियंत्रक हिस्सेदारी की बिक्री के संबंध में यथास्थिति

मलेशियाई आई. एच. एच. हेल्थकेयर बरहाद को स्वास्थ्य सेवा

बनाए रखा "।

आदेश निर्देश देता है कि आई. एच. एच. हेल्थकेयर बी. एच. डी. को एफ. एच. एल. में नियंत्रित हिस्सेदारी की बिक्री के संबंध में यथास्थिति बनी रहे। (मलेशियाई कंपनी) को बनाए रखा जाना चाहिए। अब हमें बताया जाता है

कि यह बिक्री पहले ही हो चुकी थी। इस मामले की जांच की जानी चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बिक्री वास्तव में कब 1/एस होगी।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

एफ. एच. एल. में नियंत्रण हिस्सेदारी आई. एच. एच. हेल्थकेयर बी. एच. डी. को कब हस्तांतरित की गई थी। (मलेशियाई कंपनी)। इसके अलावा, 09.01.2019 पर, एफ. एच. एल. ने इस अदालत में एक आवेदन दायर किया और कहा कि एफ. एच. एल. और आई. एच. एच. हेल्थकेयर बी. एच. डी. के बीच लेनदेन। (मलेशियाई कंपनी) को 13.11.2018 पर पूरा किया गया था और प्रार्थना की गई थी कि 14.12.2018 दिनांकित आदेश को संशोधित किया जाए क्योंकि यह IHH हेल्थकेयर बीएचडी में नियंत्रित हिस्सेदारी की बिक्री से संबंधित है।

(मलेशियाई कंपनी)।

48. 2019 का आई. ए. No.8948 याचिकाकर्ता द्वारा 15.01.2019 पर दायर किया गया था।

यह बताते हुए कि एफ. एच. एल. 4,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का प्रस्ताव कर रहा है।

लगभग, इसके द्वारा प्राप्त [आई. एच. एच. हेल्थकेयर बी. एच. डी. को शेयरों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप। (मलेशियाई कंपनी)] से आर. एच. टी. हेल्थ ट्रस्ट, सिंगापुर (आर. एच. टी.)। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की

धन के इस हस्तांतरण को रोकना और 14.12.2018 दिनांकित आदेश का अनुपालन। एफ. एच. एल. ने इस आई. ए. को एक जवाब दाखिल किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया। कि 15.01.2019 पर ही FHL ने लेन-देन पूरा कर लिया था

हालाँकि यह पूरी तरह से ज्ञात था कि इस न्यायालय ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया था। 49. दिलचस्प बात यह है कि आर. एच. सी. और ओ. आई. एल. के मुख्य प्रवर्तक अर्थात एम. एम. एस. और एस. एम. एस. आर. एच. टी. में सबसे बड़े इकाई धारक थे जब इसे शुरू में शामिल किया गया था। के 20.06.2017 पर इकाई धारण के आंकड़े

आर. एच. टी. ट्रस्ट, सिंगापुर दिखाता है कि एस. एम. एस., एम. एम. एस. और उनका परिवार

एफ. एच. एच. पी. एल., एफ. एच. एल. और आर. एच. सी. के सदस्यों के पास वस्तुतः आर. एच. टी. न्यास का स्वामित्व था। वह स्थिति अब बदल गई है और अब स्थिति ऐसी है कि जिन कंपनियों/संघों के एम. एम. एस. और एस. एम. एस. भागीदार हैं, वे अब स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं हैं और ऐसे अन्य व्यक्ति भी हैं जो वहां हैं। आर. एच. टी. न्यास में हिस्सेदारी कब और कैसे विभिन्न लोगों द्वारा हस्तांतरित की गई, यह एक ऐसा मामला है जिस पर गौर करने की आवश्यकता है।

8. अवमानकर्ता Nos.9 और 10 और संस्थाओं, ओ. आई. एल. और एफ. एच. एल. को न्यायालय को दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद, न्यायालय ने निर्णय में निम्नानुसार निर्देश दियाः

" 51. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम इस अवमानना का निपटारा करते हैं

निम्नलिखित शर्तों में याचिकाः -

(i) हम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक और इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड के निदेशक (समकालीन संख्या। 1 & 5) , गगन बंगा, इंडियाबुल्स के निदेशक [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडियाबुल्स वेंचर्स के निदेशक

लिमिटेड (कंटेंनर Nos.2 और 6), अश्विनी कुमार हुड्डा, निदेशक इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (कंटेंनर नंबर 3), सचिन चौधरी, निदेशक इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (कंटेंनर नंबर 4), दिव्येश भरत कुमार शाह, निदेशक इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड (कंटेंनर नंबर 7) और पिनांक जयंत शाह, निदेशक इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड (कंटेंनर नंबर 8), जो आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. के सक्रिय निदेशक हैं, जानबूझकर और जानबूझकर इस अदालत के आदेशों की अवज्ञा करने के लिए दोषी पाए जाते हैं। हम उन्हें सजा के सवाल पर सुनेंगे। हम लोगों को अपमानित करने का अवसर देते हैं। 1-8 आज से आठ सप्ताह के भीतर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 31.08.2017 पर 12,25,000 शेयरों का मूल्य जमा करके खुद को अवमानना से मुक्त करना। यदि उक्त प्रतिवादी अवमानना से खुद को मुक्त करते हैं, तो हम सजा सुनाते समय एक उदार दृष्टिकोण अपना सकते हैं।

(ii) मालविंदर मोहन सिंह, ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के निदेशक और आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक

(समकालीन <ID1 और 12) और शिविंदर मोहन सिंह, ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के निदेशक और आरएचसी होल्डिंग के निदेशक

प्राइवेट लिमिटेड (कंटेंनर Nos.10 और 13) ने जानबूझकर और जानबूझकर इस न्यायालय के दिनांकित 11.08.2017,31.08.2017 और 15.02.2018 के आदेशों का उल्लंघन किया जैसा कि 23.02.2018 पर जारी है।

इसलिए हम उन दोनों को अवमानना करने का दोषी मानते हैं

इस न्यायालय से। हम उन्हें अवमानना से खुद को शुद्ध करने का एक मौका देते हैं। हम निर्देश देते हैं कि यदि अवमानकर्ताओं में से प्रत्येक रुपये की राशि जमा करता है। इस न्यायालय में आज से आठ सप्ताह के भीतर हम सजा सुनाते समय उनके साथ नरमी से निपटने पर विचार कर सकते हैं।

(iii) यदि अवमानकर्ताओं में से कोई भी राशि जमा करता है जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, तो यह न्यायालय अगली तारीख को तय करेगा कि इस राशि का वितरण कैसे किया जाए।

(iv) रजिस्ट्री को आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्कर के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना याचिका दायर करने का निर्देश दिया जाता है।

इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, मालविंदर मोहन सिंह, शिविंदर मोहन मेसर्स।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

सिंह और फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने जानबूझकर इस अदालत के दिनांक 14.12.2018 के आदेश का उल्लंघन किया और उन्हें 03.02.2020 के लिए वापस करने योग्य नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया कि उन्हें अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

52. वर्तमान अवमानना याचिका को 03.02.2020 पर सूचीबद्ध करें जब ऊपर नामित सभी अवमानक न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। उस दिन हम सजा के मुद्दे पर उनकी बात सुनेंगे। इसके साथ ही अवमानना याचिका, जिसका आदेश दिया गया है,

पंजीकृत को 03.02.2020 पर भी सूचीबद्ध किया जाएगा। 9. पैराग्राफ 51 के उप-पैराग्राफ (i) में दी गई छुट्टी के संदर्भ में

दिनांक 11.2.2021 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने 17 बैंकों/वित्तीय संस्थानों को नोटिस जारी किया जिनके साथ कुछ वित्तीय लेनदेन किए गए थे। समकालीनों और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों द्वारा प्रवेश किया गया और कुछ शेयरों को उन्हें गिरवी रखा गया, ताकि उक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों के संस्करण को ध्यान में रखा जा सके।

11. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.02.2021 के आदेश में समकालीनों, नोटिसियों और दाइची की ओर से आगे की गई दलीलों का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद इस न्यायालय द्वारा कुछ निर्देश पारित किए गए थे जो इस प्रकार हैं: -

" 7. अवमानकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासदेव ने दिनांक 1 (खंड 55) के आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से दायर हलफनामे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उक्त शपथपत्र के पैराग्राफ 7 में दिया गया सारणीबद्ध चार्ट और उसके पैराग्राफ 8 में किए गए दावे

निम्नलिखित प्रभाव:

" 7. एफ. एच. एल. में एफ. एच. एल. द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या का विवरण

वे इस प्रकार हैं:

तिथि	असंक्रमित फंसा हुआ। शेयर	कुल संख्या शेयर	असंक्रमित शेयरों की
28.02.2017	26,81,66,020	3,84,25,509	30,65,91,529 (59.23 %)
31.03.2017	23,18,01,440	3,84,40,089	27,02,41,529
31.07.2017	18,64,94,060	84,89,948	19,49,84,008
31.08.2017	17,53,94,820	26,31,777	

17,8
0,26,597

26,43,277

17,8
0,26,597

17,53,83,820

31.01.2018

(ए के अनुसार
रिलीज करें

से

11,500 प्रतिज्ञा की।

शेयर)

28.02.2018 7,65,584

26,54,867

34,2
0,451

27,31,367

31.03.2018 6,89,084

34,2
0,451
33,62,851

16.05.2018 6,3 1,484

27,31,367

(0.
65 %)

8. न ही उत्तरदाता नं। 14 न ही प्रत्यर्थी संख्या 19 बेचा गया और / या 06.03.2017 के बाद किसी भी शेयर को आगे बढ़ा दिया। हालांकि,

मौजूदा ऋण/प्रतिज्ञा समझौतों के अनुसार, विभिन्न बैंक

स्वयं ने प्रतिज्ञा के अधिकार/शीर्ष-अप का प्रयोग किया

उत्तरदाता से किसी भी संदर्भ या किसी भी कार्रवाई के बिना शेयर

नं. 14 & 19 और/या एफएचएचएल, अधिक विस्तार से वर्णित

यहाँ नीचे। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों के माध्यम से

दिनांकित 11.08.2017 और 31.08.2017 एफ. एच. एच. एल. और सभी

वित्तीय संस्थानों को बेचने/अलग-थलग करने से भी बोझ उठाना पड़ा

एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. एल. द्वारा रखे गए बिना ऋण वाले शेयरों के रूप में। यह आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15-2.2018 को संशोधित किया गया था,

जिसके द्वारा भारित शेयरों को बेचने की अनुमति दी गई थी

संबंधित ऋणदाता। उपरोक्त सभी के कारण, बिक्री/ताजा थे

06.03.2017 से 31.08.2017 तक की अवधि के बोझ लेकिन

इसके बाद 5ill 15.02.2018 में कोई बदलाव नहीं हुआ।

बोझ/बिक्री और एक बार फिर आगे की बिक्री हुई 15.02.2018 के बाद। एफ. एच. एच. एल. द्वारा 1/एस. में रखे गए बिना ऋण वाले शेयर।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

एफ. एच. एल. माननीय सर्वोच्च द्वारा पारित दिनांकित 23.02.2018 आदेश द्वारा संरक्षित है और एफ. एच. एच. एल. द्वारा भारित/विमुख नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 11.08.2017,31.08.2017,15.02.2018 और 23.02.2018 आदेशों की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं और अनुलग्नक ए (कोली) के रूप में चिह्नित हैं।

8. इस प्रकार, यह उत्तर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हालांकि कथित रूप से न तो प्रतिवादी संख्या 14 और न ही प्रतिवादी संख्या 19 को बेचा गया या आगे नहीं बेचा गया।

06.03.2017 के बाद किसी भी शेयर को बोझिल करने के लिए, विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों ने स्वयं गिरवी रखने/ऊपर उठाने के अधिकार का प्रयोग किया।

प्रत्यर्थी संख्या 14 या प्रत्यर्थी संख्या 19 से किसी भी संदर्भ या कार्रवाई के बिना गिरवी रखे गए शेयर।

9. इन परिस्थितियों में, विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों को नोटिस जारी किए गए थे जैसा कि दिनांक 11.02.2021 के आदेश में विस्तृत है।

10. कुछ बैंकों/वित्तीय संस्थानों की ओर से श्री श्याम दीवान और श्री रामजी श्रीनिवासन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और श्री जयंत मेहता, श्री संजय गुप्ता और श्री शर्मा, विद्वान अधिवक्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर पहले ही विचार किया जा चुका है और ऐसी कोई दलीलें नहीं हैं जिन पर संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई प्रतिक्रिया दायर की जा सके।

संस्थाएं।

11. जवाब में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने आदेश के पैराग्राफ 23 में निर्धारित चार्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, यह प्रस्तुत करने के लिए कि चार्ट की पहली तीन प्रविष्टियों से पता चलता है कि शेयरों की कुल संख्या <ID2,529 पर स्थिर रही; और यह कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष संबंधित उत्तरदाताओं द्वारा <ID1 पर आश्वासन दिए जाने के बाद (आदेश के पैराग्राफ 5 में दूसरे आश्वासन के रूप में चिह्नित), न केवल शेयरों की कुल संख्या कम होने लगी, बल्कि बिना अंक वाले शेयरों की संख्या भी कम होने लगी।

जैसा कि चार्ट में बताया गया है, शेयर 7,31,68,281 से 6,01,607 तक गिर गए। श्री द्विवेदी ने तब दिल्ली उच्च न्यायालय में सभी प्रत्यर्थियों की ओर से दायर किए गए हलफनामे का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि बिना ऋण वाले शेयरों का मूल्य 4,000/- करोड़ रुपये से अधिक था और पुरस्कार लागू होने की स्थिति में बिना ऋण वाली प्रतिभूति का मूल्य पर्याप्त था। उक्त शपथपत्र के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार थेः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी प्रत्यर्थियों की ओर से न्यायालय को दिए गए आश्वासन के समर्थन में प्रत्यर्थियों द्वारा रखी गई बिना ऋण वाली संपत्तियों के संबंध में, जैसा कि दिनांकित 24.5.2016 पत्र में दर्ज किया गया है। 3. इसलिए, दिनांक 1 के आदेश को आगे बढ़ाते हुए, मैं प्रत्यर्थी संख्या 19 और अन्य सभी प्रत्यर्थियों की ओर से वर्तमान शपथ पत्र दाखिल कर रहा हूं।

4. सभी प्रत्यर्थियों ने इस माननीय न्यायालय को 6.12.2016 पर अपनी संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने-अपने हलफनामे प्रस्तुत किए थे। उक्त शपथ-पत्र के अनुसार सभी उत्तरदाताओं द्वारा किए गए निवेशों का कुल बही मूल्य (उत्तरदाताओं के बीच निवेश को छोड़कर) Rs.10,217.10 करोड़ है, जिसमें से 1,800 करोड़ रुपये के निवेश पर बोझ डाला गया है और 8,000 करोड़ रुपये के अवशिष्ट निवेश पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा, 31.12.2016 पर केवल आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी No.19) द्वारा रखे गए निवेशों का बही मूल्य 6 करोड़ रुपये, 510.54 करोड़ रुपये है।

जिसमें से 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये के निवेश पर बोझ डाला जाता है और 4 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये के अवशिष्ट निवेश पर कोई बोझ नहीं डाला जाता है।

5. प्रत्यर्थी No.19 ने उपरोक्त पैरा (4) में उल्लिखित 31.12.2016 के अनुसार अपने गैर-ऋणित निवेशों का आंतरिक मूल्यांकन भी किया है और ऐसे आंतरिक मूल्यांकनों के आधार पर, इसके अनुमानित (रूढ़िवादी आधार पर) उचित मूल्य का मूल्यांकन किया है।

31.12.2016 पर गैर-ऋण निवेश लगभग है।

3, 453 करोड़ रुपये। 6. उपरोक्त निवेशों के अलावा, प्रत्यर्थी ने ऋण और अग्रिम (अन्य प्रत्यर्थी संस्थाओं को ऋण और अग्रिम के अलावा) भी दिए हैं और चालू परिसंपत्तियों पर उठाए गए ऋणों को जमा करने के बाद, वसूली योग्य ऋण और अग्रिमों की राशि रु। 252.59 करोड़ जो कि उपरोक्त निवेशों के अतिरिक्त है।

7. प्रत्यर्थी No.19 द्वारा रखे गए शेयरों के माध्यम से किसी भी गैर-ऋण निवेश को बेचने का कोई इरादा नहीं है। जिस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, उसमें दाईची सैंक्यो कंपनी लिमिटेड v की बिक्री शामिल हो सकती है।

ऑस्कर वेस्टमेंट्स लिमिटेड [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

29,00,000 प्रतिवादी द्वारा रखे गए एस. आर. एल. लिमिटेड के इक्विटी शेयर मालव के स्वामित्व वाले एस. आर. एल. लिमिटेड के No.19 और 7.05,000 इक्विटी शेयर

होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (उत्तरदाता No.15)

निवेशक। एस. आर. एल. का बाद में किसी अन्य सूचीबद्ध समूह कंपनी के साथ विलय करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अगर ऐसा होता भी है तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तरदाताओं की अगली परिसंपत्तियाँ।

8. इसमें और पूंजी जारी करने के प्रस्ताव हैं

डाउनस्ट्रीम कंपनियाँ [उत्तरदाता No.19 के नीचे]। शेयर जारी करने का शुद्ध परिणाम अपस्ट्रीम कंपनी के शेयरों के मूल्य में वृद्धि होगी। जिन कंपनियों में अल्पांश निवेशकों को नई पूंजी जारी की जा रही है, उनमें प्रवर्तक सबसे बड़े एकल शेयरधारक बने रहेंगे और इससे आगे चलकर मूल्य का सृजन होगा। निजी इक्विटी को शामिल करना कोष या ऐसा कोई निवेशक-यदि ऐसा होना था-होगा।

डाउनस्ट्रीम कंपनियों के वित्त में सुधार करना और इस प्रकार बिना ऋण वाले और बोझ वाले शेयरों के उचित मूल्य में वृद्धि करना।

9. घोषित असंबद्ध परिसंपत्तियों का मूल्य पुरस्कार लागू होने की स्थिति में उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति है। बिना ऋण वाली परिसंपत्तियों का यह उचित मूल्य जैसा कि पैरा (5) में उल्लिखित है।

इसमें फोर्टिस के 5 करोड़ इक्विटी शेयरों का मूल्य शामिल नहीं है।

उत्तरदाताओं की अंतर्निहित सहायक कंपनी द्वारा आयोजित हेल्थकेयर लिमिटेड को लचीलेपन और ऋण पुनर्भुगतान के लिए उपरोक्त मूल्यांकन से अलग रखा गया है। विभिन्न समूह इकाइयाँ "।

2. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि यह केवल बोझ या गिरवी रखने का मामला नहीं था, बल्कि शेयरों की बिक्री के उदाहरण थे और इसका उद्देश्य निश्चित रूप से [2022] 11 एस. सी. आर. की सीमा को कम करना था।

एफ. एच. एच. पी. एल. का नियंत्रण। उन्होंने आगे कहा कि जिस स्तर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए आवेदनों को प्राथमिकता दी गई थी, जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश पारित किया गया था, किसी भी बैंक ने इस अदालत को यह नहीं बताया था कि उक्त आदेश के परिणाम क्या होंगे; और यह कि डेढ़ साल के मामले में, एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी नगण्य स्तर तक कम हो गई थी। 13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद पी. दातार ने कहा कि आम तौर पर एक बुनियादी व्यवस्था या ऋण समझौता होता है, जिसके संदर्भ में शुल्क सहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां होती हैं।

ऋणभार या शेयर तब बेचे जाते थे जब प्रतिभूतियों के अन्य रूप उपलब्ध होते थे। उन्होंने आगे कहा कि जिन व्यवस्थाओं के तहत शेयरों को गिरवी रखा गया था, उनका खुलासा किया जाना चाहिए ताकि वह उद्देश्य भी स्पष्ट हो जिसके लिए मूल आवास या ऋण प्राप्त किया गया था। उदाहरण के लिए,

नवंबर, 2016 में इंडिया बुल्स और आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच कथित रूप से 'आवासीय परियोजनाओं के निर्माण/विकास' के लिए Rs.350 करोड़ की राशि के लिए एक ऋण समझौता किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसी कोई परियोजना सामने नहीं आई है और लगातार लेन-देन के माध्यम से Rs.350/- करोड़ की राशि की हेराफेरी की गई है। इसलिए ऋण सुविधा का विस्तार करते समय बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा किस तरह का उचित परिश्रम किया गया था, इसे रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए। 14. दोनों विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के साथ, संबंधित व्यक्ति और कॉर्पोरेट संस्थाएं सीधे एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए शेयरों को नहीं बेच सकते थे और इसलिए, एक उपकरण का उपयोग किया गया था और व्यवस्था इतनी संरचित थी कि शेयरों के खिलाफ बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्रवाई की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि बैंकों/वित्तीय संस्थानों ने इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में हस्तक्षेप किया था, कि वे निश्चित रूप से मेसर्स के पक्ष में दिए गए पुरस्कार से अवगत थे। दाइची सैंक्यो कंपनी लिमिटेड; और इसलिए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका की गहन जांच की आवश्यकता होगी।

आई/एस। दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

15. परिसर में, वर्तमान में, हम सभी नोटिस प्राप्तकर्ताओं को निर्देश देते हैं

बैंक और वित्तीय संस्थानः -

" (क) उन अग्रिम ऋणों या वित्तीय आवासों से संबंधित बुनियादी दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखना जिनके संबंध में एफ. एच. एल. के शेयर उनके साथ गिरवी रखे गए थे;

प्रस्तावित प्रतिभूतियों की प्रकृति को अभिलेख पर रखना

(ख)

ऐसी ऋण व्यवस्थाओं के साथ संबंध;

बोझ के विवरण को दर्ज करने के लिए और

((ग)

के नाम पर खड़े एफ. एच. एल. के असंबद्ध शेयर

एफ. एच. एच. पी. एल., सितंबर, 2016 में उनके द्वारा आयोजित;

बोझ के विवरण को दर्ज करने के लिए और

((घ)

के नाम पर खड़े एफ. एच. एल. के असंबद्ध शेयर

एफ. एच. एच. पी. एल., उनके द्वारा 11.08.2017 पर आयोजित;

(ई)

के नाम पर एफ. एच. एल. के शेयरों का विवरण देना

एफ. एच. एच. पी. एल., जिसे बाद में उनके द्वारा बोझ के तहत रखा गया था

11.08.2017 ;

(च)

के नाम पर एफ. एच. एल. के शेयरों का विवरण देना

एफ. एच. एच. पी. एल., जनवरी से बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा बेची गई,

2017 ;

(जी)

यह खुलासा करने के लिए कि क्या इस तरह का बोझ इसके बाद पैदा हुआ

11.08.2017 किसी नई व्यवस्था या समझौते के अनुसरण में था और, यदि ऐसा है, तो ऐसे समझौते का विवरण / व्यवस्था;

यह खुलासा करना कि क्या इस तरह के समझौते/व्यवस्था के तहत कोई

(ज)

प्रतिज्ञा करने वालों द्वारा अन्य प्रतिभूति दी गई थी; और

((i)

भारित शेयरों का मूल्य देने के लिए जैसे वे खड़े थे

सितंबर, 2016 में, 11.08.2017 पर और उसके बाद

तिथियाँ "।

12. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.4.2021 के बाद के आदेश में सूचना संख्या 4 की ओर से प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ाई गईं और निम्नानुसार पारित की गईं:

" श्री संजय गुप्ता, मेसर्स की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता।

आरबीएल बैंक लिमिटेड-सूचना संख्या 4 प्रस्तुत करता है:

[2022] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(अ)

11.08.2017 पर, 38.75 फोर्टिस हेल्थकेयर के करोड़ शेयर

लिमिटेड मेसर्स को दी गई सुविधाओं के संबंध में नोटिस प्राप्तकर्ता के साथ प्रतिबद्ध था। रेलिगेयर वेलनेस लिमिटेड (जिसे अब आर. डब्ल्यू. एल. हेल्थवर्ल्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) और रेलिगेयर एविएशन लिमिटेड (जिसे अब लिगेयर एविएशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

(ख)

20.02.2018 पर, 33.75 करोड़ शेयर रुपये में बेचे गए। 47

80, 000 शेयरों की एक और किश्त 24.05.2018 पर लगभग एक करोड़ रुपये में बेची गई।

इस प्रकार, 4.20 लाख शेयर अभी भी सूचना प्राप्तकर्ता के नियंत्रण में हैं।

((ग)

नं. 4।

((घ)

सभी सुविधाएँ अब चौगुनी हो गई हैं और राशि

नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा अग्रिम राशि बरामद कर ली गई है।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिज्ञाकर्ता ने कभी संपर्क नहीं किया

4. 20 लाख शेयरों की राशि के अतिरिक्त शेयरों की वसूली के लिए नोटिस, हालांकि सभी व्यवस्थाएं चौगुनी हो गई थीं।

इन परिस्थितियों में, हम नोटिस संख्या 4 को अगले आदेश तक इन 4.20 लाख शेयरों को रखने का निर्देश देते हैं।

13. सभी संबंधित समकालीनों के साथ-साथ नोटिसियों ने प्रासंगिक दस्तावेजों और सामग्रियों को संलग्न करते हुए अपने जवाब दाखिल किए। संबंधित

दस्तावेज़ 200 से अधिक खंडों में हैं। की व्यापक रूपरेखा

नोटिसियों की ओर से प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियाँ निम्नलिखित प्रभाव से हैं कि कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समकालीन Nos.9 और 10 के नियंत्रण में लिए गए विभिन्न वित्तीय आवासों/ऋणों के लिए,

एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया था

यदि प्रतिभूति का मूल्य कम या कम हो रहा था तो सूचना देने वालों के हितों की रक्षा के लिए उन शेयरों को खुले बाजार में बेचने के लिए सूचना देने वालों के पक्ष में प्राधिकरण। नोटिसियों की ओर से दायर प्रतिक्रियाओं में विभिन्न लेनदेन का उल्लेख किया गया है और समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखा गया है।

14. नोटिसियों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से निकलने वाली तारीखों और घटनाओं की एक व्यापक सूची नीचे सारणीबद्ध की गई है।

तिथियों की सूची में उपयोग किए गए संक्षिप्त नाम इस प्रकार हैं: -

एक्सिस बैंक लिमिटेड (एबीएल)

Alichi SANKYO COMPANY LIMITED v. ओ. एस. सी. स्टेमेंट्स लिमिटेड [उदय उमेश ललित, सी.

एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (एम्बिट)

क्रेडिट सुइस फाइनेंस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (सी. एस. एफ. आई. पी. एल.)

डायोन ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड (डी. आई. ओ. एन.)

ई. सी. एल. फाइनेंस लिमिटेड (ई. सी. एल.) फिनसर्व साझा सेवा लिमिटेड (एफ. एस. एस. पी. एल.)

एफ. एच. एल. (फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड)

एफ. एच. एच. एल. (फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग लिमिटेड)

लक्ष्मी विलास बैंक (एल. वी. बी.) ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ओ. आई. एल.)

आरएचसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (आरएचसी)

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल)

रेलिगेयर एविएशन लिमिटेड/लिगेयर एविएशन लिमिटेड (आर. ए. आई.)

रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आर. एफ. एल.)

रेलिगेयर कैपिटल मार्केट्स इंटरनेशनल (मॉरीशस)]

(आरसीएमआईएमएल)

रेलिगेयर वेलनेस Ltd./RWL हेल्थवर्ल्ड लिमिटेड (आर. वी.) रणताकर बैंक लिमिटेड (आरबीएल)

यस बैंक लिमिटेड (वाईबीएल)

मध्यस्थता और निष्पादन से संबंधित अंतिम तिथियाँ आसान संदर्भ के लिए तिथियों की सूची में उत्तरदाता की ओर से दिए गए उपक्रमों की प्रक्रिया करती हैं। दा की सूची

इसके अंतर्गतः

[2022

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तिथि

विशिष्टताएँ

एफ. एच. एल. शेयरों ने विभिन्न तिथियों पर ए. बी. एल. के पक्ष में प्रतिज्ञा की ताकि इसे सुरक्षित किया जा सके।

विभिन्न ऋण सुविधाएँ।

2007-2014

इन सुविधाओं के बंद होने पर गिरवी रखे गए शेयरों को जारी किया गया।

वाई. बी. एल. द्वारा स्वामित्व वाली समूह कंपनियों को दिए गए ऋण और 2009 से सिंह ब्रदर्स द्वारा नियंत्रित।

2009-2013

3.3 जुलाई में वाई. बी. एल. के पक्ष में करोड़ों एफ. एच. एल. शेयरों का गिरवी रखा गया था।

2010 कुछ सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए। गिरवी रखे गए शेयर जारी किए गए

इन सुविधाओं को बंद करने पर। आरएचसी और आरएचसी के बीच निष्पादित Rs.50 करोड़ के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा

08.11.2010

ए. बी. एल., प्रतिभूति "की पूरी वर्तमान परिसंपत्तियों पर पहला प्रभार है।

ई.

कंपनी, वर्तमान और भविष्य दोनों "

आर. बी. एल. द्वारा निम्नलिखित की सुरक्षा के तहत आर. डब्ल्यू. एल. तक विस्तारित किया गयाः ए "। सभी वर्तमान परिसंपत्तियों और स्थिर चल परिसंपत्तियों पर प्रथम पारि पासु शुल्क

कंपनी की परिसंपत्तियाँ, वर्तमान और भविष्य दोनों "

27.07.2012

और

बी. आर. एच. सी. की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी

होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और वही इस अवधि के दौरान बकाया रहेंगे।

आरबीएल ऋण की मुद्रा "
सिंगापुर में दाइची द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत

12.11.2012

मध्यस्थता मामला सं. 19074/सीवाईके

आर. बी. एल. द्वारा आर. ए. एल. को आई. डी. 1 करोड़ के लिए ऋण सुविधा का
विस्तार
निम्नलिखित सुरक्षाः

कंपनी की परिसंपत्तियाँ, वर्तमान और भविष्य दोनों
बी. गुड़गांव में स्थित भूमि और भवन का बंधक जिसके स्वामित्व में है

29.11.2012

टोरस बिल्ड कॉन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड न्यूनतम हार्ड एसेट कवर प्रदान करता है

1.40 X भूमि और भवन के नवीनतम बाजार मूल्य के आधार पर

Rs.100 आर. ए. एल. को वाई. बी. एल. द्वारा दिया गया करोड़ रुपये का ऋणः
ए. प्रथम परि पास वर्तमान परिसंपत्तियों और चल स्थिर पर शुल्क लेता है।

उधारकर्ता की परिसंपत्तियाँ (वर्तमान और भविष्य दोनों)।
बी. 1 क्षेत्रीय भूमि पर विशेष शुल्क (10.35 के अनुसार)

03.08.2013

सेक्टर 62, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गुड़गांव में एकड़) सड़क

06.08.2013

आर. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 1.33x का कवर सुनिश्चित करता है।
ग. आर. एस. की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पूरे कार्यकाल के दौरान वैध रहेगा

एफ.

डी. लोव इन्फ्रा और वेलनेस से गैर-निपटान उपक्रम
आरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर में अपनी पूरी हिस्सेदारी के लिए प्राइवेट लिमिटेड

महीनों का ब्याज भुगतान इस रूप में किया जाएगा वाय. बी. एल. के साथ ग्रहणाधिकार चिह्नित सावधि जमा

Rs.10 इस उधारकर्ता पर करोड़ बकाया हैं

23.03.2021 .

1 / एस. दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

Rs.200 वाई. बी. एल. द्वारा एच. टी. एल. को निम्नलिखित के विरुद्ध करोड़ रुपये का ऋण दिया गयाः A. वर्तमान परिसंपत्तियों और चल स्थिर पर प्रथम पैरी पासू शुल्क

उधारकर्ता की परिसंपत्तियाँ (वर्तमान और भविष्य दोनों)।

ख. असंबद्ध भूमि पर विशेष शुल्क (व्यापक-10.35)

175 , पेज।

खण्ड.

2013

सेक्टर 62 में एकड़, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गुड़गांव) स्वामित्व वाली सड़क

556

आर. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1.33x का कवर सुनिश्चित करना

2013

सुविधा की अवधि। डी . लोव इन्फ्रा और वेलनेस से गैर-निपटान उपक्रम

आरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर में अपनी पूरी हिस्सेदारी के लिए प्राइवेट लिमिटेड

प्राइवेट लिमिटेड।

176 ,

खण्ड.

ई. तीन Pg.604 के बराबर ऋण सेवा आरक्षित खाता (डीएसआरए)

महीनों का ब्याज भुगतान अग्रिम रूप में किया जाएगा

वाय. बी. एल. के साथ ग्रहणाधिकार चिह्नित सावधि जमा

बिक्री के माध्यम से वसूली के बाद 16.10.2019 पर सुविधा बंद कर दी गई

प्रतिभूतियाँ।

175 ,

खण्ड.

रु. 130 वाई. बी. एल. द्वारा डी. आई. ओ. एन. को दिया गया करोड़ रुपये का ऋण।

Pg.503

2014

खण्ड. 176

176 , , पेज।

रु. 10 इस उधारकर्ता पर अभी भी करोड़ों का बकाया है।

2014

618,646

23.03.2021 .

एफ. एस. एस. पी. एल. को 1 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए सुविधा समझौता

2014 एबीएल

खण्ड. 197

, पेज. 1

(समझौता रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है)

1,80,00,000 एफ. एच. एल. शेयरों ने ए. बी. एल. के पक्ष में वचन दिया

खण्ड. 197

, पेज. 1

2014

235 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा

1,55,00,000 एफ. एच. एल. शेयर वाई. बी. एल. [डब्ल्यू. आर. टी.] के साथ गिरवी रखे गए। डी. आई. एन.

खण्ड.

173 ,

06.03.2014]

2014

Pg.147

29.07.2015 पर 50,000 से अधिक एफ. एच. एल. शेयर जारी करने का संकल्प लें।

वाई. बी. एल. द्वारा Rs.130 करोड़ का स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट बढ़ाया गया

एलवीएल।

खण्ड. 200

, पेज 3

2014

यह सुविधा 27.09.2016 पर बंद कर दी गई थी।

सुरक्षा के विरुद्ध एल. ए. एल. और ए. बी. एल. के बीचः ए. विमान फाल्कन 2000 पर विशेष प्रभार (क्रम संख्याः

आई. ओ. आई.)

बी. की सभी वर्तमान और चल अचल संपत्तियों पर अधीनस्थ शुल्क कंपनी, वर्तमान और भविष्य दोनों।

खण्ड.

168 ,

2014 ग. बैंकिंग की धारा 19 (2) के अनुपालन की प्रतिज्ञा

Pg.230

विनियमन अधिनियम) एफ. एच. एल. और आर. ई. एल. के समभाग रु. 32.50 करोड़

डी. आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट गारंटी

ई. बिना शर्त और अपरिवर्तनीय जोड़ और कई व्यक्तिगत

सिंह ब्रदर्स से गारंटी एफ . ऋणदाता के पक्ष में विमान के बीमा का आवंटन [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

168 ,

10,00,000 एफ. एच. एल. के शेयरों ने क्रेडिट वॉल्यूम को सुरक्षित करने के लिए ए. बी. एल. के पक्ष में प्रतिज्ञा की।

30.06.2014

रुपये की सुविधा। 100 करोड़।

Pg.252

आर. बी. एल. ने एफ. एच. एल. की प्रतिज्ञा का अनुरोध करते हुए संशोधित मंजूरी पत्र जारी किया

खण्ड. 178 , Pg.41

26.09.2014

शेयर।

रुपये के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट। 220.5 वाई. बी. एल. द्वारा करोड़ रुपये का विस्तार किया गया एलवीएल।

खण्ड. 200 , पेज। 3

30.09.2014

यह सुविधा 27.09.2016 पर बंद कर दी गई थी।

72. 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट निष्पादित किया गया
आरसीएमआईएमएल और एबीएल।

सितम्बर 2014

खण्ड. 197 , पेज. 2

75,00,000 ए. बी. एल. के पक्ष में एफ. एच. एल. के शेयर गिरवी रखे गए।

क्रेडिट सुविधा दिनांकित 27.07.2012 को बढ़ाकर रु। 63.75

निम्नलिखित प्रतिभूतियों के विरुद्ध आरबीएलः A. सभी वर्तमान परिसंपत्तियों और स्थिर चल परिसंपत्तियों पर पहली बार शुल्क लिया जाता है

कंपनी की प्रतिभूति जमा सहित परिसंपत्तियाँ, दोनों

वर्तमान और भविष्य।

खण्ड. 178 , Pg.43

08.10.2014

बी. आरएचसी की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी, और आरबीएल ऋण की मुद्रा के दौरान बकाया रहेगा

52,04,000 आर. बी. एल. के पक्ष में एफ. एच. एच. एल. द्वारा गिरवी रखे गए एफ. एच. एल. शेयर

खण्ड. 178 , Pg.65

15.10.2014

[डब्ल्यू. आर. टी. 26.09.2014] वाई. बी. एल. ने ओ. आई. एल. को Rs.500 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की।

खण्ड. 200 , पृ. 4

20.02.2015

यह सुविधा 23.02.2017 पर बंद थी।

65,10,000 एफ. एच. एल. शेयरों ने वाई. बी. एल. के पक्ष में वचन दिया

खण्ड.

173 ,

एल. ए. एल. (Rs.100 करोड़) + एच. टी. एल. (Rs.200) तक सुविधाओं का विस्तार

Pg.184

20.02.2015

करोड़) + एलवीएल (रु। 220.5 करोड़ + Rs.130 करोड़)

खण्ड. 200 , पृ. 4

यह सुविधा बंद थी।

खण्ड. 197 , पेज. 2

ए. बी. एल. द्वारा 40,000 एफ. एच. एल. शेयर जारी किए गए। 28.03.2014]

25.02.2015

15,72,000 एफ. एच. एल. शेयरों ने वाई. बी. एल. के पक्ष में वचन दिया

एल. ए. एल. (Rs.100 करोड़) + एच. टी. एल. (Rs.200) तक सुविधाओं का विस्तार

खण्ड.

174 ,

05.06.2015

करोड़) + एलवीएल (रु। 220.5 करोड़ + Rs.130 करोड़)

Pg.221

यह सुविधा बंद कर दी गई थी।

खण्ड. 197 , पेज। 3

एबीएल [डब्ल्यू. आर. टी.] द्वारा 33,50,000 एफ. एच. एल. शेयरों का विमोचन। 28.03.2014]

खण्ड. 201 , पेज 3

29.07.2015

आरबीएल [डब्ल्यू. आर. टी.] द्वारा 15,04,000 एफ. एच. एल. शेयरों का विमोचन। 29.11.2012]

खण्ड. 200 , पेज. 5

वाई. बी. एल. [डब्ल्यू. आर. टी.] द्वारा 50,00,000 एफ. एच. एल. शेयरों का विमोचन। 02.05.2014]
44,43,000 एफ. एच. एल. शेयरों ने वाई. बी. एल. के पक्ष में वचन दिया

खण्ड.

174 ,

एल. ए. एल. (Rs.100 करोड़) + एच. टी. एल. (Rs.200) तक सुविधाओं का विस्तार

Pg.206

11.09.2015

करोड़) + एलवीएल (रु। 220.5 करोड़ + Rs.130 करोड़)

खण्ड. 200 , पेज. 5

यह सुविधा बंद कर दी गई थी।

2,15,00,000 एफ. एच. एल. के शेयरों ने अतिरिक्त रूप से ए. बी. एल. के पक्ष में प्रतिज्ञा की

72. 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट का सम्मान।
197 , पेज 3

28.09.2015

आरसीएमआईएमएल और एबीएल के बीच निष्पादित।

29.09.2015 एबीएल [डब्ल्यू. आर. टी.] द्वारा 75,00,000 एफ. एच. एल. शेयरों का विमोचन। 28.03.2014] एम/एस।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

26,80,000 एफ. एच. एल. शेयर एल. वी. बी. के साथ Rs.40 करोड़ के बदले गिरवी रखे गए

खण्ड. 202 , pg. 2

30.09.2015

ऋण सुविधा

खण्ड. 200 , पेज. 5

Rs.250 वाई. बी. एल. द्वारा एफ. एस. एस. पी. एल. को दिए गए करोड़ रुपये यह सुविधा थी

30.09.2015

खण्ड.

175 , पेज।

प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से 16.10.2019 पर बंद किया गया

578

खण्ड.

104 ,

07.10.2015 आर. एच. सी. और एफ. एच. एल. के बीच निष्पादित ब्रांड लाइसेंस समझौता

Pg.292
खण्ड. 197 , पेज 3

14.10.2015 एबीएल [डब्ल्यू. आर. टी.] द्वारा 1,95,00,000 एफ. एच. एल. शेयर जारी किए गए। 29.09.2015]

46,30,000 एफ. एच. एल. शेयरों ने वाई. बी. एल. के पक्ष में वचन दिया

Rs.250 एफ. एस. एस. पी. एल. को करोड़ रुपये की ऋण सुविधा। ये प्रतिज्ञाएँ खंड थीं। 200 , पेज. 6

16.10.2015

27.11.2015 पर जारी किया गया।

2,37,35,000 एफ. एच. एल. शेयरों ने वॉल्यूम को सुरक्षित करने के लिए वाई. बी. एल. के पक्ष में प्रतिज्ञा की।

174 ,

27.10.2015

Rs.250 एफ. एस. एस. पी. एल. को करोड़ों की ऋण सुविधा

पेज। 267

30.09.2015 दिनांकित मंजूरी पत्र के लिए एल. वी. बी. द्वारा सुविधा जारी रही

खण्ड. 202 , pg. 2

29.10.2015

29.10.2015

104 ,

आरएचसी और एसआरएल। वॉल्यूम के बीच निष्पादित ब्रांड लाइसेंस समझौता।

10.11.2015

Pg.352

सीमित

27.11.2015 | 46,30,000 वाई. बी. एल. द्वारा जारी एफ. एच. एल. शेयर [डब्ल्यू. आर. टी. 16.10.2015]

खण्ड. 200 , पेज. 6

38,28,000 एफ. एच. एल. शेयरों ने वाई. बी. एल. के पक्ष में वचन दिया

खण्ड.

174 ,

एल. ए. एल. (Rs.100 करोड़) + एच. टी. एल. (Rs.200) तक सुविधाओं का विस्तार

Pg.211

27.11.2015

करोड़) + एलवीएल (रु। 220.5 करोड़ + Rs.130 करोड़)

खण्ड. 200 , पेज 7

यह सुविधा बंद कर दी गई थी। आर. बी. एल. द्वारा संशोधित क्रेडिट सुविधा दिनांक 27.07.2012 रु. 52.50

12.01.2016 करोड़ (Rs.22,50,00,000 + 15,00,00,000 + 8,00,00,000 + वॉल्यूम। 178 , Pg.56

7,00,00,000)

खण्ड. 201 , पेज 3

18.02.2016 आरबीएल [डब्ल्यू. आर. टी.] द्वारा 11,00,000 एफ. एच. एल. शेयरों का विमोचन। 29.11.2012]

ऋण सुविधा [डब्ल्यू. आर. टी 27.07.2012] आरबीएल द्वारा Rs.40 द्वारा बढ़ाया गया
एफ. एच. एल. शेयरों की गिरवी के विरुद्ध 1.4 एक्स की सीमा तक करोड़ रुपये

निम्नलिखित प्रतिभूति के साथ सुविधा राशिः

ए. सभी वर्तमान परिसंपत्तियों और चल स्थिर खंड पर प्रथम पारि पासु शुल्क। 178 , Pg.59

11.03.2016

कंपनी के सेट के रूप में, वर्तमान और भविष्य दोनों

64

और

बी. आर. ई. एल. और एफ. एच. एल. के शेयरों की 1.4 एक्स की सीमा तक प्रतिज्ञा सुविधा राशि

30.09.2015 दिनांकित मंजूरी पत्र के लिए एल. वी. बी. द्वारा सुविधा जारी रही

खण्ड. 202 , pg. 2

11.03.2016

29.10.2015

क्रेडिट सुविधा समझौता जिसमें एक टॉप अप तंत्र शामिल है

आर. एच. सी. और सी. एस. एफ. आई. पी. एल. के बीच 1,86,75,000 खंड की प्रतिज्ञा द्वारा सुरक्षित। 171 , Pg.25

14.03.2016

एफ.

एच. एल. शेयर [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35,47,500 एफ. एच. एल. शेयरों ने वाई. बी. एल. के पक्ष में वचन दिया

174 ,

खण्ड.

एल. ए. एल. (Rs.100 करोड़) + एच. टी. एल. (Rs.200) तक सुविधाओं का विस्तार

Pg.216

15.03.2016

करोड़) + एलवीएल (रु। 220.5 करोड़ + Rs.130 करोड़)

खण्ड. 200 , पेज 7

यह सुविधा बंद कर दी गई थी। 14,75,000 एफ. एच. एल. शेयरों ने आर. बी. एल. [डब्ल्यू. आर. टी.] के पक्ष में प्रतिज्ञा की।

खण्ड. 178 , Pg.75

11.03.2016]

18.03.2016

कुल मिलाकर, आरबीएल ने 40,75,000 एफएचएल शेयरों पर गिरवी रखा

खण्ड. 201 , पृ. 4

18.03.2016

वाई. बी. एल. द्वारा आर. एच. सी. को Rs.300 करोड़ का ऋण दिया गया। यह सुविधा थी

खण्ड. 200 , पेज 7

28.03.2016

17.03.2017 पर बंद किया गया

5,41,35,500 एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही इसके पक्ष में थे

पूर्व

खण्ड. 200 , पेज. 1

30.03.2016

30.03.2016 से पहले YBL।

खण्ड.

174 ,

वाई. बी. एल. के पक्ष में 852 एफ. एच. एल. शेयरों की प्रतिज्ञा के लिए समझौता

Pg.346,392

30.03.2016

एफएचएचपीएल द्वारा

खण्ड. 200 , पेज 8

पूर्व

खण्ड. 197 , पेज 3

1,36,50,000 एफ. एच. एल. के शेयर ए. बी. एल. के पक्ष में थे।

29.04.2016

खण्ड. 228 , पृ. 4

पूर्व

8,06,38,352 एफ. एच. एल. शेयरों को वाई. बी. एल. के पक्ष में रखा गया था।

29.04.2016

खण्ड. 200 , पेज 8

Vol.5,6, Pg. 8

29.04.2016

दाइची के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार

Ss.47/49 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को प्राथमिकता दी गई

खण्ड. 1 , Pg.24

18.05.2016

दाइची द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष ओ. एम. पी. (एफ. ई. ए.) होने के नाते

(कॉम.) नं. 06/2016

क्रेडिट सुविधा समझौता जिसमें एक टॉप अप मैकेनिस शामिल है

खण्ड.

171 ,

20.05.2016

आर. एच. सी. और सी. एस. एफ. आई. पी. एल. के बीच 68,50,000 एफ. एच. एल. की प्रतिज्ञा द्वारा सुरक्षित

पेज। 117,232

शेयर

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पहला उपक्रम

खण्ड. 1 , Pg.78

24.05.2016

उत्तरदाता

रुपये का स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट। 304.5 वाई. बी. एल. द्वारा करोड़ रुपये का विस्तार किया गया

30.06.2016

खण्ड. 200 , पेज 9

एलवीएल।

खण्ड.

175 ,

Pg.508

रु. आई. डी. 1 पर 72.5 करोड़ रुपये बकाया हैं।

19.07.2016

खण्ड.

176 ,

वाई. बी. एल. ने एक करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा का विस्तार किया। 304.5 करोड़ से लीगेयर तक

Pg.710,743

आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिए गए ऋण के पुनर्वित्त के लिए वॉयेजेस आयरलैंड लिमिटेड
और पंजाब नेशनल बैंक ने 5 विमानों की खरीद के लिए

खण्ड. 224 , पेज 8

एफ. एच. एच. पी. एल. और वाई. बी. एल. के बीच निष्पादित पुट विकल्प समझौता

खण्ड. 200 , पेज 9,

27.07.2016

समूह की कंपनियों को दिए गए विभिन्न ऋणों के अनुसार, वाई. बी. एल.

44

एफ. एच. एच. पी. एल. को वाई. बी. एल. के देय किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए कहने का अधिकार था

खण्ड. 200 , Pg.10

91,43,554 एफ. एच. एल. शेयरों को वाई. बी. एल. के पक्ष में रखा गया था

27.07.2016

175 ,

खण्ड.

सुरक्षित पुट विकल्प

Pg.424

175 ,

वाई. बी. एल. द्वारा 2,65,02,852 एफ. एच. एल. शेयरों पर क्रॉस कोलैटरल [डब्ल्यू. आर. टी.]

खण्ड.

28.07.2016

30.03.2016] एल. वी. एल. को सुरक्षित करने के लिए [रु. 304.5 करोड़] सुविधा

Pg.401

उत्तरदाताओं द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतिकरण

खण्ड. 1 , Pg.87

22.08.2016

कि परिसंपत्तियों के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है (दूसरा

उपक्रम)

वाई. बी. एल. द्वारा क्रॉस कोलैटरल 1,05,50,000 एफ. एच. एल. शेयरों पर [डब्ल्यू. आर. टी.

खण्ड.

173 ,

26.08.2016

Pg.160

02.05.2014] एल. वी. एल. को सुरक्षित करने के लिए [रु. 304.5 करोड़] सुविधा

वाई. बी. एल. द्वारा 1,99,00,500 एफ. एच. एल. शेयरों [डब्ल्यू. आर. टी.

20.02.2015 , 05.06.2015 , 11.09.2015 , 27.11.2015 , 15.03.2016] को

174 ,

खण्ड.

26.08.2016

Pg.240,252

सुरक्षित एलएएल (Rs.100 करोड़), एलवीएल [रु। 304.5 करोड़], LVL (Rs.130 करोड़), HTL (रु। 200 करोड़) सुविधा एम/एस।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

7,25,000 एफ. एच. एल. शेयरों ने एल. वी. बी. के पक्ष में वचन दिया

खण्ड. 202 , पेज. 2

30.08.2016

26.10.2016 सुविधा 20,00,000 ए. बी. एल. के पक्ष में एफ. एच. एल. के शेयर भी गिरवी रखे गए

खण्ड.

169 ,

30.09.2016

डब्ल्यू. आर. टी. 72. 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट निष्पादित किया गया

पेज 424

आरसीएमआईएमएल और एबीएल के बीच।

60,00,000 ए. बी. एल. के पक्ष में एफ. एच. एल. के शेयर भी गिरवी रखे गए

169 ,

खण्ड.

30.09.2016 डब्ल्यू. आर. टी. 72. 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट निष्पादित किया गया

पेज 424

आरसीएमआईएमएल और एबीएल के बीच।

50,00,000 ए. बी. एल. के पक्ष में एफ. एच. एल. के शेयर भी गिरवी रखे गए

169 ,

खण्ड.

30.09.2016 डब्ल्यू. आर. टी. 72. 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट निष्पादित किया गया

पीजी424

आरसीएमआईएमएल और एबीएल के बीच

10,00,000 ए. बी. एल. के पक्ष में एफ. एच. एल. के शेयर भी गिरवी रखे गए

खण्ड.

169 ,

30.09.2016 डब्ल्यू. आर. टी. 72. 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट निष्पादित किया गया

पेज। 424

आरसीएमआईएमएल और एबीएल के बीच 2,00,000 एफ. एच. एल. के शेयरों ने अतिरिक्त रूप से ए. बी. एल. डब्ल्यू. आर. टी. के पक्ष में प्रतिज्ञा की।

खण्ड.

169 ,

30.09.2016 72. 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट निष्पादित किया गया

पेज। 424

आरसीएमआईएमएल और एबीएल।

कुल 40,75,000 एफ. एच. एल. शेयर आर. बी. एल. खंड के पक्ष में थे। 201 , pg. 4

30.09.2016

खण्ड. 197 , पृ. 4,

04.10.2016 एबीएल [डब्ल्यू. आर. टी.] द्वारा 20,00,000 एफ. एच. एल. शेयरों का विमोचन। 29.09.2015]

44

ओ. आई. एल. ने वाई. बी. एल. को स्वीकृत ऋण के बदले Rs.161 करोड़ का भुगतान किया

खण्ड. 224 , पेज. 6

07.10.2016

20.02.2015

38,95,000 एफ. एच. एल. शेयरों ने एल. वी. बी. के पक्ष में वचन दिया

खण्ड. 202 , pg. 2

31.10.2016

26.10.2016 सुविधा सिंह ब्रदर्स, ओ. आई. एल., आर. एच. सी. द्वारा वरीयता प्राप्त परिसंपत्तियों का शपथ पत्र

खण्ड.

54 ,

02.12.2016

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष

पेज। 31,39,46,51

एल. वी. बी. ने ऋण में कमी के खिलाफ 18,00,000 एफ. एच. एल. शेयर जारी किए

खण्ड. 202 , पेज 3

09.12.2016

रुपये से 26.10.2016 की सुविधा। 150 करोड़ से रु। 100 करोड़। कुल 2,58,50,000 एफ. एच. एल. शेयर इसके पक्ष में थे

खण्ड. 228 , पृ. 4

15.12.2016

वाईबीएल

खण्ड.

175 ,

वाई. बी. एल. ने ओ. आई. एल. को Rs.565 करोड़ की ऋण राशि को मंजूरी दी

पेज। 521

खण्ड. 200 , Pg.11

23.12.2016

Rs.225 करोड़ तुरंत जारी किए गए।

खण्ड.

176 ,

रु. 430.4 करोड़ 23.03.2021 तक बकाया हैं।

पेज। 754,786

महत्वाकांक्षा, आर. एच. सी. और के बीच निष्पादित ऋण सह प्रतिज्ञा समझौता

खण्ड. 159 , Pg.35

05.01.2017

एफ. एच. एच. पी. एल क्रॉस कोलैटरल [डब्ल्यू. आर. टी. 27.10.2015] से अधिक 2,37,35,000 FHL शेयर वॉल्यूम।

174 ,

10.01.2017

एल. वी. एल. को सुरक्षित करने के लिए [रु. वाई. बी. एल. द्वारा 304.5 करोड़] सुविधा

पेज। 307

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी की प्रस्तुति दर्ज करने का आदेश दिया

17.01.2017

वह उपक्रम दिनांकित 24.05.2016 अभी भी धारण करता है (तीसरा उपक्रम)

[202

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

Pre23.1.17,

खण्ड. 197 , पेज. 5

एबीएल ने 2,58,50,000 एफएचएल शेयरों की प्रतिज्ञा ली

6.3.17

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उपक्रम

23.01.2017

उत्तरदाता (चौथा उपक्रम) दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश उत्तरदाताओं के वचन को दर्ज करता है। खंड। 1 , Pg.143 (पाँचवाँ उपक्रम)

08.02.2017

खण्ड.

174 ,

वाई. बी. एल. के पक्ष में दर्ज किए गए 58,3,000 से अधिक एफ. एच. एल. शेयरों का संकल्प लें

15.02.2017

Pg.255

ओ. आई. एल. ने वाई. बी. एल. को स्वीकृत ऋण के बदले Rs.339 करोड़ का भुगतान किया

खण्ड. 224 , पेज. 6

23.02.2017

20.02.2015

दाइची सैंक्यो द्वारा दायर हलफनामे में सभी की सूची को जोड़ा गया है

खण्ड. 1 , Pg.211

में सभी उत्तरदाता कंपनियों के बकाया शुल्क

28.02.2017

मंत्रालय के साथ प्रति फाइलिंग 27.02.2017 तक प्रवर्तन याचिका

2281

निगमित मामले

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया छठा उपक्रम

06.03.2017

उत्तरदाताओं

27.07.2016 पुट विकल्प समझौते में संशोधन

09.03.2017

एफ. एच. एच. पी. एल. और वाई. बी. एल., उस पुट ऑप्शन राइट की रिकॉर्डिंग अब वॉल्यूम भी होगी। 200 , Pg.63

ओ. आई. एल. (Rs.565 करोड़) की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है। आर. ई. एल. के पक्ष में बनाए गए अतिरिक्त शेयरों पर संकल्प लें

खण्ड. 159 , Pg.96

09.03.2017

वाई. बी. एल. द्वारा क्रॉस कोलैटरल [डब्ल्यू. आर. टी. 02.05.2014] 1,05,50,000 से अधिक पुट विकल्प डब्ल्यू. आर. टी. को सुरक्षित करने के लिए एफ. एच. एल. शेयर आरएचसी (Rs.300 करोड़), खंड। 176,177

09.03.2017

एलएएल (Rs.100 करोड़), एचटीएल (Rs.200 करोड़), एलवीएल (रु। 304.5

पेज। 797 , 811

करोड़), डियोन (Rs.130 करोड़), ऑयल (565 करोड़), FSSPL (Rs.250

करोड़)

वाई. बी. एल. द्वारा क्रॉस कोलैटरल [डब्ल्यू. आर. टी. 20.02.2015,05.06.2015,

11.09.2015 , 27.11.2015 , 15.03.2016 , 30.03.2016] ऊपर से

177 ,

2,57,31,500 पुट विकल्प सुरक्षित करने के लिए एफ. एच. एल. शेयर डब्ल्यू. आर. टी. आरएचसी (Rs.300 खंड।

09.03.2017

करोड़), एलएएल (Rs.100 करोड़), एचटीएल (Rs.200 करोड़), एलवीएल। Pg.815,828

(रु. 304.5 करोड़), डियोन (Rs.130 करोड़), ऑयल (565 करोड़),

एफ. एस. एस. पी. एल. (Rs.250 करोड़)

वाई. बी. एल. द्वारा क्रॉस कोलैटरल [डब्ल्यू. आर. टी. 27.10.2015] 2,37,35,000 से अधिक पुट विकल्प सुरक्षित करने के लिए एफ. एच. एल. शेयर डब्ल्यू. आर. टी. आरएचसी (Rs.300 करोड़),

खण्ड.

177 ,

एलएएल (Rs.100 करोड़), एचटीएल (Rs.200 करोड़), एलवीएल (रु। 304.5

09.03.2017

Pg.832

करोड़), डियोन (रु। 130 करोड़), ओ. आई. एल. (565 करोड़), एफ. एस. एस. पी. एल. (Rs.250 करोड़)

वाई. बी. एल. द्वारा क्रॉस कोलैटरल [डब्ल्यू. आर. टी. 30.03.2016,27.07.2016] समाप्त हो गया

3,56,46,406 पुट विकल्प सुरक्षित करने के लिए एफ. एच. एल. शेयर डब्ल्यू. आर. टी. आरएचसी (Rs.300)

खण्ड.

175 ,

09.03.2017

करोड़), एल. ए. एल. (Rs.100 करोड़), एच. टी. एल. (Rs.200 करोड़), एल. वी. एल.

Pg.463

(रु. 304.5 करोड़), डियोन (Rs.130 करोड़), ऑयल (565 करोड़), एफ. एस. एस. पी. एल. (Rs.250 करोड़)

14.03.2016 सी. एस. एफ. आई. पी. एल. और आर. एच. सी. होल्डिंग्स के बीच ऋण सुविधा

खण्ड. 203 , pg. 2

15.03.2017

लिमिटेड बंद। सी. एफ. एस. आई. पी. एल. ने एफ. एच. एल. के शेयरों पर सभी प्रतिज्ञाएँ जारी कीं।

20.05.2016 सी. एस. एफ. आई. पी. एल. और आर. एच. सी. होल्डिंग्स के बीच ऋण सुविधा

खण्ड. 203 , pg. 2

22.03.2017

लिमिटेड बंद। सी. एफ. एस. आई. पी. एल. ने एफ. एच. एल. के शेयरों पर सभी प्रतिज्ञाएँ जारी कीं।
वाई. बी. एल. ने ऑस्कर को स्वीकृत ऋण के बदले 1 करोड़ रुपये जारी किए

खण्ड. 224 , पेज. 6

मार्च '17

23.12.2016 एम/एस।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

खण्ड. 200 , Pg.14

रु. का ऋण। 150 वाई. बी. एल. द्वारा एल. ए. एल. को स्वीकृत करोड़ रुपये।

03.05.2017

खण्ड.

175 ,

रु. 10 23.02.2021 तक करोड़ बकाया हैं।

Pg.530

के बीच निष्पादित Rs.100 करोड़ के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट

170 ,

खण्ड.

19.05.2017 डीऑन और एबीएल। 42,33,333 एफ. एच. एल. के शेयरों ने इसके पक्ष में प्रतिज्ञा की

Pg.649

एबीएल।

Rs.140 करोड़ के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधा

170 ,

खण्ड.

19.05.2017 डीऑन और एबीएल। 64,16,667 एफ. एच. एल. के शेयरों ने इसके पक्ष में प्रतिज्ञा की

पेज। 672

एबीएल।

3,50,000 एफ. एच. एल. के शेयरों ने अतिरिक्त रूप से ए. बी. एल. के पक्ष में प्रतिज्ञा की

खण्ड.

170 ,

निष्पादित किए गए Rs.100 करोड़ के लिए स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट के संबंध में

19.05.2017

Pg.649

डीआईओएन और एबीएल के बीच।

आई. एच. एच. हेल्थकेयर बरहाद द्वारा एफ. एच. एल. को जारी आशय पत्र और

खण्ड. 86 , Pg.32

24.05.2017

अधिग्रहण के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में संबंधित संस्थाएं एफ. एच. एल. के पक्ष में बनाए गए अतिरिक्त शेयरों पर संकल्प लें

खण्ड. 159 , Pg.95

02.06.2017

मार्जिन की कमी के कारण महत्वाकांक्षा

खण्ड. 197 , Pg.84

एबीएल [डब्ल्यू. आर. टी.] द्वारा 1,06,50,000 एफ. एच. एल. शेयर जारी किए गए। 28.03.2014]

07.06.2017

92

22,00,000 एफ. एच. एल. शेयरों के संबंध में पहले से ही प्रतिज्ञा समझौता आर. बी. एल. डब्ल्यू. आर. टी. के पक्ष में। 29.11.2012 भी वॉल्यूम सुरक्षित करने के लिए। 178 , Pg.92

07.06.2017

क्रेडिट सुविधा डब्ल्यू. आर. टी. 27.07.2012 1,42,00,000 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

168 ,

खण्ड.

15.06.2017

एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. लिगारे को सुरक्षित करने के लिए 30.09.2016]

Pg.294

सुविधाएँ

1,42,00,000 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

खण्ड.

170 ,

एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. डी. आई. ओ. एन. को सुरक्षित करने के लिए 19.05.2017]

15.06.2017

Pg.695

सुविधा

1,42,00,000 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

खण्ड.

170 ,

एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. डी. आई. ओ. एन. को सुरक्षित करने के लिए 19.05.2017]

15.06.2017

Pg.718

सुविधा

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सातवां उपक्रम

19.06.2017

उत्तरदाता

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आठवाँ उपक्रम

21.06.2017

उत्तरदाता [वर्तमान एसएलपी में चुनौती के तहत आदेश]

एबीएल [डब्ल्यू. आर. टी.] द्वारा 60,00,000 एफ. एच. एल. शेयरों का विमोचन। 30.09.2016]

खण्ड. 197 , पेज 7,8

20-23.6.17

एबीएल [डब्ल्यू. आर. टी.] द्वारा 18,25,000 एफ. एच. एल. शेयरों का विमोचन। 30.09.2016]
एस. एल. पी. (सी) 20417/2017 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता दी गई

खण्ड. 1

22.06.2017

21.06.2017 दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ

पोस्ट

खण्ड. 197 , पेज 9

एबीएल ने 1,83,75,000 एफएचएल शेयरों पर गिरवी रखना जारी रखा।

23.06.2017

खण्ड. 202 , पेज 3

एल. वी. बी. ने रुपये के भुगतान पर 1,00,000 एफ. एच. एल. शेयर जारी किए। 1. 6 करोड़

11.07.2017

एम्बिट ने आर. एच. सी. को ऋण वापस लेने का नोटिस जारी किया और आर. एच. सी. को बुलाया

खण्ड. 159 , Pg.97

17.07.2017

ब्याज के साथ पूरी ऋण राशि चुकाने के लिए

आरबीएल ने डब्ल्यू. आर. टी. से ऋण वापस लेने की सूचना जारी की। 29.11.2012 सुविधा

खण्ड. 201 , पेज 7

17.07.2017

45,83,333 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

खण्ड.

167 ,

18.07.2017

एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. 19.05.2017 ABL] सुरक्षित करने के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

64,16,667 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

खण्ड.

167 ,

18.07.2017

एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. 19.05.2017 ABL] सुरक्षित करने के लिए

पेज। 180

आर. एच. सी. होल्डिंग सुविधा 10,00,000 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

168 ,

खण्ड.

18.07.2017 एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. 30.06.2014 और 28.07.2016

Pg.204

ए. बी. एल.] आर. एच. सी. होल्डिंग सुविधा को सुरक्षित करने के लिए 45,83,833 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

168 ,

खण्ड.

18.07.2017 एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. 19.05.2017 ABL] सुरक्षित करने के लिए

Pg.319

लीगेयर सुविधा

64,16,667 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

168 ,

खण्ड.

18.07.2017 एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. 19.05.2017 ABL] सुरक्षित करने के लिए

Pg.344

लीगेयर सुविधा

10,00,000 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

169 ,

खण्ड.

18.07.2017 एफ. एच. एल. शेयर पहले ही गिरवी रखे जा चुके हैं [डब्ल्यू. आर. टी 30.06.2014 & 28.07.2016

Pg.446

एबीएल] 30.09.2016 सुविधा को सुरक्षित करने के लिए

45,83,333 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

खण्ड.

169 ,

18.07.2017

एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. 19.05.2017 ABL] सुरक्षित करने के लिए

Pg.470

30.09.2016 सुविधा

64,16,667 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

खण्ड.

169 ,

एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. 19.05.2017 ABL] सुरक्षित करने के लिए

18.07.2017

Pg.493

30.09.2016 सुविधा 64,16,667 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

170 ,

खण्ड.

एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. 19.05.2017 ABL] सुरक्षित करने के लिए

18.07.2017

Pg.764

एक और 19.05.2017 ABL सुविधा

45,83,333 पर एक क्रॉस संपार्श्विक बनाने के लिए प्रतिज्ञा समझौता

खण्ड.

170 ,

18.07.2017

एफ. एच. एल. शेयर पहले से ही गिरवी रखे गए हैं [डब्ल्यू. आर. टी. 19.05.2017 ABL] सुरक्षित करने के लिए

Pg.741

एक और 19.05.2017 सुविधा

खण्ड. 202 , pg. 4

18.07.2017

एल. वी. बी. ने 5,00,000 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और रु. 7,44,96,752 प्राप्त किए। 1,05,50,000 एफ. एच. एल. शेयरों [डब्ल्यू. आर. टी.] पर परस्पर संपार्श्विक 02.05.2014]। वॉल्यूम।

173 ,

18.07.2017

पेज। 176

वाई. बी. एल. द्वारा एल. ए. एल. सुविधा को सुरक्षित करने के लिए (रु. 150 करोड़)

2,57,31,500 एफ. एच. एल. शेयरों [डब्ल्यू. आर. टी.] पर परस्पर संपार्श्विक। 20.02.2015,

खण्ड.

174 ,

18.07.2017

05.06.2015 , 11.09.2015 , 27.11.2015 , 15.03.2016 , 30.03.2016] को

Pg.260

वाई. बी. एल. द्वारा सुरक्षित एल. ए. एल. सुविधा (Rs.150 करोड़) 2,65,02,852 एफ. एच. एल. शेयरों [डब्ल्यू. आर. टी. 30.03.2016] खंड।

406 ,

18.07.2017

Pg.175

वाई. बी. एल. द्वारा एल. ए. एल. सुविधा को सुरक्षित करने के लिए (रु. 150 करोड़)

खण्ड. 202 , pg. 4

एल. वी. बी. द्वारा 5,00,000 एफ. एच. एल. शेयरों के खिलाफ शपथ ली गई

18.07.2017

2,80,000 + 7,25,000 + 38,95,000 FHL के खिलाफ शपथ ली गई

खण्ड. 202 , pg. 4

19.07.2017

एल. वी. बी. के शेयर

खण्ड. 202 , पृ. 4

19.07.2017

एल. वी. बी. ने 11,00,000 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और रु. 16,61,19,096

खण्ड. 202 , पृ. 4

19.07.2017 एल. वी. बी. ने 10,00,000 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और रु. 15,20,65,630

खण्ड. 202 , pg. 4

19.07.2017 एल. वी. बी. ने 5,50,000 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और रु. 8,29,46,812 प्राप्त किए।

खण्ड. 202 , pg. 4

19.07.2017 एल. वी. बी. ने 10,00,000 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और रु. 15,06,83,015 एम/एस।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

खण्ड. 231 , pg. 2

21.07.2017 आर. एच. सी. ने एम्बिट के पूरे बकाया का भुगतान किया

वाई. बी. एल. के पक्ष में दर्ज किए गए 406 एफ. एच. एल. शेयरों पर 2,98,15 का संकल्प लें

21.07.2017

खण्ड. 200 , Pg.15

[डब्ल्यू. आर. टी. 30.03.2016,27.07.2016]

खण्ड. 231 , pg. 2

24.07.2017

एम्बिट ने एफ. एच. एल. और आर. ई. एल. के शेयरों पर प्रतिज्ञा जारी की आरबीएल ने 2,00,000 एफएचएल शेयर जारी किए [डब्ल्यू. आर. टी. 29.11.2012]

08.08.2017

कुल संख्या। आर. बी. एल. के साथ एफ. एच. एल. के भारित शेयरों का वॉल्यूम था। 201 , पेज 7

38,75,000

आरबीएल को रु। 3.20 करोड़ [डब्ल्यू. आर. टी.] 29.11.2012]

खण्ड. 201 , पेज 8

10.08.2017

इस न्यायालय द्वारा स्टेटस क्वो डब्ल्यू. आर. टी. शेयरधारिता का निर्देश देने वाला आदेश

11.08.2017

एफएचएल में एफएचएचपीएल

कुल एफ. एच. एल. शेयर जो ए. बी. एल. के पक्ष में थे

11.08.2017

खण्ड. 228 , पृ. 4

1,83,75,000

खण्ड. 201 , पेज 8

14.08.2017 आर. बी. एल. डब्ल्यू. आर. टी. द्वारा जारी ऋण वापसी सूचना 27.07.2012 सुविधा

खण्ड. 23 , Pg.42

खण्ड. 202 , पृ. 4

14.08.2017 एल. वी. बी. ने 1,00,000 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और रु. 1,49,79 271 प्राप्त किए।

खण्ड. 202 , pg. 4

14.08.2017 एल. वी. बी. ने 4,00,000 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और रु. 6,06,50,588 प्राप्त किए।

खण्ड. 202 , पेज. 5

14.08.2017 एल. वी. बी. ने 3,34,350 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और रु. 5,02,68,887.26 प्राप्त किए।

खण्ड. 202 , पेज. 5

14.08.2017 एल. वी. बी. ने 65,000 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और 60,578 प्राप्त किए

खण्ड. 202 , पेज. 5

14.08.2017 एल. वी. बी. ने 1,50,650 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और रु. 2,28,54,809 प्राप्त किए।

खण्ड. 202 , पेज. 5

14.08.2017 एल. वी. बी. ने 2,00,000 एफ. एच. एल. शेयर बेचे और रु. 2,99,49,031 प्राप्त किए।

खण्ड. 1 , एलओडी

14.08.2017

इंडियाबुल्स द्वारा बनाई गई प्रतिज्ञा

कुणाल द्वारा दायर किया गया छत्तरजी Pg.20

इस न्यायालय द्वारा आदेश दर्ज करते हुए कि 11.08.2017 आदेश

31.08.2017

प्रचालनशील डब्ल्यू. आर. टी. के भारित और भार रहित शेयर एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा आयोजित एफ. एच. एल.

खण्ड. 1 , एलओडी

सिंह ब्रदर्स ने फोर्टिस से अपना इस्तीफा दे दिया और

कुणाल द्वारा दायर किया गया

08.02.2018

रेलिगेयर निदेशक मंडल

छत्तरजी Pg.23

सिंगापुर में मास्टर खरीद समझौता निष्पादित किया गया

खण्ड. 1 , एलओडी

12.02.2018

आर. एच. टी. परिसंपत्तियों का अधिग्रहण Rs.4650 करोड़ में। इसका समर्थन किया गया।

कुणाल द्वारा दायर किया गया

आर. एच. टी. की ओर से गुरप्रीत सिंह ढिल्लों।

छत्तरजी Pg.24

सिंह ब्रदर्स ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज खंड के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। 67 , Pg.33

14.02.2018

सीमित

इस न्यायालय ने अपने आदेश को संशोधित किया और बैंकों को लागू करने की अनुमति दी

15.02.2018

11.08.2017 से पहले बनाई गई उनकी प्रतिज्ञाएँ

खण्ड. 200 , Pg.16

YBL ने 8,97,81,906 FHL शेयरों पर अपनी प्रतिज्ञा का आह्वान किया

16.02.2018

खण्ड. 197 , Pg.10

20.02.2018 एबीएल ने अपनी प्रतिज्ञा को 1,83,75,000 शेयरों पर लागू किया

खण्ड. 201 , Pg.11

आरबीएल ने 33,75,000 शेयर बेचे और Rs.47,04,11,504 प्राप्त किया

20.02.2018

101 ,

खण्ड.

एम्बिट द्वारा जारी किए गए 16,500 से अधिक एफ. एच. एल. शेयरों का संकल्प लें

01.03.2018

पेज।

खण्ड. 1 1 , , एलओडी

विभिन्न बैंकों द्वारा रखी गई प्रतिज्ञाओं के आह्वान के कारण गिरावट आई

मार्च '18

कुणाल द्वारा दायर किया गया

एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी 71.7% से 0.66% तक

छत्तरजी Pg.28

आरबीएल ने 80,000 शेयर बेचे और रु। 1,14,54,502

खण्ड. 201 , Pg.11

24.05.2018

आरबीएल के पास 4,20,000 शेयर बचे हैं। रेलिगेयर संस्थाओं के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया और

जून-सितंबर '18

उन 23 संस्थाओं के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू की जिन पर खंड बकाया था।

227 , Pg.28

2300 करोड़ रुपये

खण्ड. 1 , एलओडी

एफ. एच. एल. और आई. एच. एच. के बीच शेयर सदस्यता समझौता निष्पादित किया गया

13.07.2018

कुणाल द्वारा दायर किया गया छत्तरजी Pg.36

आर. एच. सी. होल्डिंग्स का हलफनामा इस न्यायालय को उल्लंघन के बारे में सूचित करता है

11.08.2017 आई. एच. एफ. एल. द्वारा एस. सी. आई. आदेश जिसमें 12,25,000 शेयर खंड गिरवी रखा गया है। 38

24.09.2018

एफएचएल का

खण्ड. 39 , पेज. 5

06.10.2018

दाइची ने इस अदालत के समक्ष अवमानना याचिका दायर की

दाइची ने औपचारिक हस्तक्षेप आवेदन खंड दाखिल करने की अनुमति दी। 119 @

29.10.2018

एन. सी. एल. टी. में हस्तक्षेप हेतु

Pg.97

खण्ड. 75 @ Pg.10

दाइची ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष हस्तक्षेप के लिए आवेदन को प्राथमिकता दी

07.12.2018

आर. ई. एल. ने शिकायत डब्ल्यू/एस. एस. को प्राथमिकता दी। 210 , 212 और 447 कंपनियों का खंड। 67 @ Pg.62

17.12.2018

सिंह ब्रदर्स और ज्ञात सहयोगियों के खिलाफ अधिनियम 2013 आर. एफ. एल. ने सिंह ब्रदर्स और उनके खिलाफ शिकायत को प्राथमिकता दी।

आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस के समक्ष सहयोगी-एफ़. आई. आर. Vol.67 @Pg.98

18.12.2018

50/2019

एस. ई. बी. आई. ने एक स्वतंत्र जाँच के परिणामस्वरूप एक आदेश पारित किया

जिसमें आर. ई. एल. से बड़े पैमाने पर धन का विचलन पाया गया और

Vol.67

@

प्रवर्तकों के कहने पर सहायक।

14.03.2019

पेज। 145

आर. ई. एल. और आर. एफ. एल. को ऋण वापस लेने और वसूली के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया

प्रवर्तक समूह से संबंधित संस्थाओं के लिए

आर. ई. एल. द्वारा पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ शिकायत और

खण्ड. 227 @

22.03.2019

ईओडब्ल्यू के साथ ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड सहित उनकी संस्थाएं,

Pg.29

Rs.525 करोड़ के गबन के लिए दिल्ली पुलिस

खण्ड. 119 @

दाइची मामले में एनसीएलटी ने आदेश सुरक्षित रखा

27.03.2019

पेज। 106

एस. सी. आई. के समक्ष उल्लिखित आई. ए. 58004/2019 और अंतरिम रोक थी

खण्ड. 67 @ Pg.28

05.04.2019

दाइची के पक्ष में एन. सी. एल. टी. की कार्यवाही के खिलाफ मंजूरी अंतरिम ठहराव की छुट्टी के लिए आवेदन दिनांक 05.04.2019

खण्ड. 67

10.04.2019

रेलिगेयर द्वारा पसंद किया गया

आर. एफ. एल. ने ओ. एस. पी. एल. इन्फ्राडेल लिमिटेड, सिंह के खिलाफ शिकायत को प्राथमिकता दी।

खण्ड. 227 @

बंधुओं और आर. एच. सी. होल्डिंग को गबन के लिए

08.08.2019

Pg.29

Rs.250 करोड़-एफ़. आई. आर. 64/2020

अलग आदेश के माध्यम से, एस. ई. बी. आई. ने खंड पर जारी किए गए निर्देशों की पुष्टि की।

75

11.09.2019

Pg.231

14.03.2019

आर. एफ. एल. ने ज़ी समूह की कंपनियों, सिंह के खिलाफ शिकायत को प्राथमिकता दी

खण्ड. 227 @

21.09.2019

भाइयों और आर. एच. सी. होल्डिंग्स को रुपये का गलत नुकसान करने के लिए। 150

Pg.29

करोड़-एफ़. आई. आर. 82/2020 एम/एस.

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

आर. एफ. एल. द्वारा खंड पर दायर शिकायत के आधार पर एफ. आई. आर. 189/2019 दर्ज की गई। 227 @

23.09.2019

Pg.30

15.05.2019

इस अदालत ने सिंह ब्रदर्स और आईएफएचएल के अधिकारियों को दोषी ठहराया

15.11.2019

खण्ड. 226 , पृ. 4

तिरस्कार का

खण्ड. 120 (अ)

06.01.2020 ईओडब्ल्यू द्वारा दायर एफ. आई. आर. 50/2019 में आरोप पत्र

पेज। 131

इस अदालत ने सिंह ब्रदर्स को इस पर विचार करने के लिए समय दिया

खण्ड. 226 , पेज. 5

03.02.2020

अवमानना को दूर करने का प्रस्ताव

खण्ड. 121 @

23.03.2020 ईओडब्ल्यू द्वारा दायर एफ. आई. आर. 189/2019 में आरोप पत्र

Pg.269

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला

15.10.2020

एस. ई. बी. आई. ने निर्णय प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पारित किया

12.11.2020

खण्ड. 211 @ पेज 9

निधियों के विविधीकरण के लिए 10 संस्थाओं के खिलाफ

ऋणदाताओं-बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जारी की गई सूचना

11.02.2021

यह न्यायालय

18.02.2021 इस न्यायालय द्वारा ऋणदाताओं से पूछे गए प्रश्न [18.02.2021 आदेश]

15. संबंधित की ओर से प्रस्तुतियाँ

मुख्य बिंदुओं के साथ समकालीन, उत्तरदाता, नोटिस और अन्य पक्ष निम्नलिखित खंडों में हैं:

-

खण्ड 126: प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रस्तुतियाँ

ए.

भारत का

खण्ड 157: श्री अरविंद पी. दातार की संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ

बी.

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निर्माण के संबंध में

गलत प्रतिज्ञाएँ

सी.

खण्ड 160: जूलियस बेयर कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

खण्ड 161: इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

डी.

खण्ड 163: ई. सी. एल. फाइनेंस लिमिटेड

ई.

खण्ड 178: आरबीएल बैंक लिमिटेड

एफ.

खण्ड 182: आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

जी.

खण्ड 183: फर्स्ट अबू धाबी बैंक लिमिटेड

एच.

खण्ड 191: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

आई.

खण्ड 203: क्रेडिट सुइस फाइनेंस लिमिटेड

जे.

सभी प्रतिज्ञाओं को जारी किया और ए. एन. आर. और आर. एच. सी. दोनों को बंद कर दिया

उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुविधाओं ने अपनी यथास्थिति पारित कर दी आदेश दें।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

खण्ड 214: रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुतियाँ (उत्तरदाता No.17)

खण्ड 215: रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड, रेलिगेयर कॉमट्रेड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुतियाँ (प्रत्यर्थी संख्या 16,17,18)

याचिकाकर्ता द्वारा कोई अंतिम राहत का दावा नहीं किया गया है

रेलिगेयर समूह के खिलाफ

याचिकाकर्ता के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप इस संदर्भ में शुरू किए गए 23 मामलों में अंतरिम रोक लगा दी गई।

एन. सी. एल. टी. के समक्ष प्रतिवादी प्रत्यर्थी, ऋणी का वित्तीय लेनदार होने के नाते

परिसमापन पर जलप्रपात तंत्र में इसके वित्तीय ऋण, की तुलना में अधिक हैं

याचिकाकर्ता।

रेलिगेयर ने धोखाधड़ी में भाग नहीं लिया था और

लाभार्थी

खण्ड 218,225,226: शिवेंद्र मोहन सिंह और मालविंदर मोहन सिंह की ओर से प्रस्तुतियाँ (समकालीन नं.

9,10,12,13) खण्ड 222: प्रत्यर्थियों द्वारा अवमानना को शुद्ध करने के लिए याचिकाकर्ता का प्रस्ताव

8 भूमि क्षेत्र और 1 संपत्ति होने की वजह से

एक इमारत

3 रेलिगेयर, एसआरएल और फोर्टिस ब्रांड/ट्रेडमार्क हैं। लीगेयर यात्राओं के साथ बैंक में नकद उपलब्ध है

(आयरलैंड) लिमिटेड

बनाए गए प्रतिज्ञाओं को रद्द करना या शीर्ष अधिकार

24.05.2016 के बाद प्रयोग किया जाता है

इंडियाबुल्स द्वारा जमा की गई राशि की निकासी

18.11.2019

द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर एफ. एच. एल. से वसूली

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सिंह ब्रदर्स

खण्ड 223: शिवेंद्र मोहन सिंह की भूमिका के बारे में याचिकाकर्ता की दलीलें

हर पहलू में सिंह भाई एक साथ थे।

जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31.01.2018 I SANKYO COMPANY LIMITED v घोषित नहीं किया।

ऑस्कर एन. टी. एस. लिमिटेड [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

फैसला और सिंगापुर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया

निर्णय दिनांकित 21.12.2018

एनई 224: यस बैंक लिमिटेड (नोटिस प्राप्तकर्ता) द्वारा प्रस्तुतियाँ

0

वाई. बी. एल. एक सुरक्षित लेनदार है।

विषय के रूप में वाई. बी. एल. को क्लीन चिट दी गई है।

अड़चनों की चिंता है

वाई. बी. एल. ने खंड 173-177,199 में प्रस्तुतियों के माध्यम से स्पष्ट किया कि उसने एफ. एच. एल. शेयरों के पोस्ट 11.08.2017 और विषय पर कोई बोझ नहीं डाला था।

बाधाओं को केवल इसके अनुसार लागू किया गया था

15.02.2018 एस. सी. आई. का आदेश

जब निर्णय द्वारा आश्वासन दिया गया था तब वाई. बी. एल. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था।

कर्जदार

वाई. बी. एल. याचिकाकर्ता के फैसले का देनदार नहीं है।

वाई. बी. एल. की कई वसूली प्रक्रियाएँ लंबित हैं।

जे. डी. के खिलाफ

एफ. एच. एच. पी. एल. ने वाई. बी. एल. के साथ विभिन्न प्रतिज्ञा समझौतों के तहत एक प्रतिनिधित्व दिया कि कोई मुकदमा नहीं था। एफ. एच. एल. शेयरों का बकाया।

एस. एम. एस. से कोई व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त नहीं हुई

क्रॉस कोलैटरलाइजेशन नए सिरे से सृजन नहीं है

अड़चनें

मुझे 228: एक्सिस बैंक लिमिटेड

एबीएल को क्लीन चिट दे दी गई थी।

Vol.197 दाखिल किया गया ए. बी. एल. द्वारा कोई टॉप अप नहीं बनाया गया

केवल उन प्रतिज्ञाओं के संबंध में अंतर संपार्श्विककरण समझौते जो पहले से ही बोझिल थे और मानक उद्योग ऋण प्रथाओं के अनुसार। एबीएल ने 15.02.2018 आदेश [2022] 11 एस. सी. आर. के बाद सभी प्रतिज्ञाओं को लागू किया।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वॉल्यूम 162/229: लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा प्रस्तुतियाँ

(सूचनाकर्ता No.17):

कार्यवाही की कोई सूचना नहीं

रांचेम के साथ वास्तविक लेन-देन

एफ. एच. एल. के शेयरों पर प्रतिज्ञा और संकल्प का आह्वान

खण्ड 230: दाइची सैंक्यो की ओर से प्रस्तुतियाँ (याचिकाकर्ता)

3 इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही -

1. एसएलपी (सी) 20417/2017

अवमानना याचिका (सी) 2120/2018

2 .

3 .

एस. एम. सी. (सी) 4/2019

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को तीन में वर्गीकृत किया गया हैः

8 जिन बैंकों ने जानबूझकर आदेशों का उल्लंघन किया है

4 .

और डी. एच. सी. को दिए गए आश्वासनों के साथ-साथ

एससीआई

4 जिन बैंकों ने शेयर जारी किए और नहीं बेचे

5 .

24.05.2016 के बाद के शेयर

6 .

4 बैंक और वित्तीय संस्थान जो

दिनांकित 18.02.2021 आदेश के अनुपालन में न तो उपस्थित हुए और न ही कोई हलफनामा दायर किया।

याचिकाकर्ता को अवमानना वापस लेने की अनुमति दी जाए

जमा करें

Rs.4000 करोड़ वापस लाने के लिए FHL/IHH को निर्देश

और इसके परिणाम

खण्ड 232: एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

शेयरों पर प्रतिज्ञा कभी लागू नहीं की गई

हमने श्री मुकल रोहतगी, श्री राकेश द्विवेदी, श्री अरविंद को सुना।

1 श्री जॉयदीप गुप्ता, की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

ले कंटेनर्स Nos.9 और 10 का प्रतिनिधित्व श्री कैलाश ने किया।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता। की ओर से

के. लिमिटेड (वाई. बी. एल.), एक्सिस बैंक लिमिटेड (ए. बी. एल.) और इंडियाबुल्स हाउसिंग मिटेड (आई. एच. एफ. एल.) प्रस्तुतियाँ श्री श्याम आई./एस. द्वारा प्रस्तुत की गईं।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]एन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जबकि बाकी नोटिसकर्ता थे

दूसरे विद्वान वकील द्वारा भेजा गया।

17. दाइची की ओर से की गई बुनियादी दलीलें इस प्रकार थीं:

(ए) उत्तरदाताओं को एक विदेशी पुरस्कार का सामना करना पड़ा है, जो तैयार किया गया है

उक्त समकालीनों Nos.9 और 10 द्वारा नियंत्रित कंपनियों द्वारा रखी गई शेयरधारिता को कम करने के लिए एक सुनियोजित योजना;
और इस प्रकार, उक्त पुरस्कार के निष्पादन को विफल करने का प्रयास किया।

(बी)

प्रस्तुत दस्तावेजों में संदर्भित विभिन्न लेन-देन न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि सुरक्षा के कई रूप

अचल संपत्तियों पर शुल्क सहित, व्यक्तिगत

उपक्रम और अन्य प्रतिभूतियाँ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध थीं। लेकिन आगे क्या हुआ

एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. के शेयरों के खिलाफ थे।

(ग) जिस तरह से एफ. एच. एल. में नियंत्रक हित, जो कंपनी बदले में सभी भौतिक परिसंपत्तियों को नियंत्रित करती थी, को कम किया गया था, वह संदिग्ध और संदिग्ध था। इसी तरह, आई. एच. एच./एन. टी. के. द्वारा नियंत्रित ब्याज के अधिग्रहण से पता चलेगा कि वही परिसंपत्तियां अब आर. एच. टी. द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं जो आर. एच. टी. द्वारा स्थापित एक न्यास के अलावा और कुछ नहीं था।

वर्तमान संख्या। 9 और 10.

((घ) ये लेन-देन प्रामाणिक नहीं थे और इसके लिए -

सच्चाई को उजागर करते हुए, यह न्यायालय फोरेंसिक ऑडिटर (ओं) की नियुक्ति पर विचार कर सकता है।

18. दाइची द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में, की भूमिकाएँ

ऋणदाताओं के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं से विशेष रूप से निपटा गया था

निम्नानुसार:

" उ. निर्णय देनदार: I. याचिकाकर्ता ने 22 जून 2017 [एसएलपी खंड I और 2] को एसएलपी [खंड 1 और 2] दायर किया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने याचिकाकर्ता [एस. एल. पी. खंड 221,223] की ओर से, अन्य बातों के साथ-साथ, एम. एम. एस. और एस. एम. एस. (श्री कैलाश) के वकील द्वारा की गई दलीलों के खिलाफ दलीलें दीं।

क्रमशः वासदेव और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा)। याचिकाकर्ता ने

इस संबंध में माननीय न्यायालय के प्रश्न का भी विशेष रूप से उत्तर दिया गया

अवमानना याचिका में निर्णय देनदारों के खिलाफ अभिवचन

[एस. एल. पी. खंड 217] जिसके आधार पर अवमानना निर्णय दिया गया था

पास किया, उनके खिलाफ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. निर्णय देनदारियों को इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपने मामले का जवाब देने और बचाव करने का पूरा अवसर दिया गया था। एम. एम. एस. और एस. एम. एस. ने एस. एल. पी. और अवमानना याचिका पर अलग-अलग जवाब दाखिल किए। एमएमएस

13 मार्च 2019 (एस. एल. पी. खंड 54,55) को एस. एल. पी. में अपना जवाब हलफनामा दायर किया और एस. एम. एस. ने 12 मार्च 2019 (एस. एल. पी. खंड 53) को एस. एल. पी. को अपना जवाब दाखिल किया। एम. एम. एस. ने अवमानना याचिका (एस. एल. पी. खंड 59) पर भी अपना जवाब दाखिल किया। इसके अलावा, एम. एम. एस. ने अवमानना याचिका (एस. एल. पी. खंड 65) में एक प्रतिवाद दायर किया। एस. एम. एस. ने अवमानना याचिका (एस. एल. पी. खंड 62) में भी एक उत्तर दाखिल किया। याचिकाकर्ता ने एम. एम. एस. (एस. एल. पी. खंड) के जवाब के लिए एक जवाबी-हलफनामा दायर किया। 61)। याचिकाकर्ता ने अपने जवाबी हलफनामे में बताया कि कैसे एम. एम. एस. और एस. एम. एस. ने अदालत को यह कहते हुए गुमराह किया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इस पर कार्रवाई की है।

प्रत्यर्थियों ने यह झूठा दावा करके न्याय के मार्ग में बाधा डाली कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों को पूरा करने के लिए पहले ही पांच करोड़ शेयर अलग रखे जा चुके हैं और उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में बिना ऋण वाले शेयर उपलब्ध हैं। पुरस्कार प्राप्त करें। प्रत्यर्थियों ने अदालतों को कभी भी "पूर्व-हस्ताक्षरित पर्ची" के अस्तित्व के बारे में सूचित नहीं किया जिसका उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उत्तरदाताओं के गरीबों के कारण किया जा सकता है।

3. श्री द्विवेदी ने निर्णय देनदारों के खिलाफ खंडन प्रस्तुतियाँ दीं [एसएलपी खंड 221/पृष्ठ 1-9,17-23]। उनके प्रस्तुतिकरण थे (i) निर्णय ऋणदाताओं ने इस संबंध में सक्रिय गलत निरूपण किया। याचिकाकर्ता, डी. एच. सी. और इस माननीय न्यायालय के लिए असंबंधित शेयरों/शीर्ष खंडों का अस्तित्व; (ii) एफ. एच. एच. पी. एल. शेयरों के रूप में आर. एच. सी. और ऑस्कर की परिसंपत्तियों का मूल्य केवल एफ. एच. एच. पी. एल. के स्वामित्व वाले एफ. एच. एल. के शेयरों के मूल्य से प्राप्त होता है; (iii) पुरस्कार को लागू करने के लिए दाइची द्वारा उठाए गए किसी भी कदम के कारण एफ. एच. एल. शेयरों के शेयर मूल्य में कोई गिरावट नहीं आई; और (iv) निर्णय देनदारों ने एफ. एच. एल. के वाणिज्यिक हित में कदम नहीं उठाए। एस. एल. पी. में एम. एम. एस. द्वारा दायर 2020 की आई. ए. संख्या 43119 के संबंध में, याचिकाकर्ता

अपना जवाब दाखिल किया [एसएलपी खंड 110/पृष्ठ 1-11], अन्य बातों के साथ, 1/एस के साथ सहमत।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

तालिका "ए" में सभी संस्थाओं के फोरेंसिक ऑडिट का प्रस्ताव और

तालिका "बी" [एसएलपी खंड 222/पृष्ठ 2]। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने भूमि पार्सल, ब्रांड/की बिक्री के लिए एम. एम. एस. के अनुरोध पर भी सहमति व्यक्त की।

ट्रेडमार्क और संचालन कंपनियाँ, और इस तरह से प्राप्त धन याचिकाकर्ता के पक्ष में इस माननीय न्यायालय में जमा किया जाता है।

4. अवमानना के शुद्धिकरण के प्रस्ताव के संबंध में माननीय न्यायालय के इस प्रश्न के उत्तर में, याचिकाकर्ता ने निर्णय देनदारों के खिलाफ कुछ राहत का प्रस्ताव दिया हैः ([एस. एल. पी. खंड 222/पृष्ठ 2-4]

B. बैंक और वित्तीय संस्थान

5. याचिकाकर्ता ने अवमानना निर्णय के अनुसार, एस. एम. सी. [एस. एम. सी. खंड 26/पृष्ठ <आई. डी. 1] में एफ. एच. एल. द्वारा दायर अपने जवाब के जवाब में, इस माननीय न्यायालय को एम. एम. एस., एस. एम. एस., अन्य निर्णय देनदार, आई. एच. एच. के साथ मिलीभुगत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिज्ञाओं के निर्माण और टॉप-अप के अभ्यास से अवगत कराया।

हेल्थकेयर बरहाद और एफ. एच. एल., जिसके कारण अंततः एफ. एच. एल. में ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. (एफ. एच. एच. पी. एल. के माध्यम से) की नियंत्रित हिस्सेदारी कम हो गई।

6. इसके बाद, श्री अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से, मौखिक प्रस्तुतियों और संक्षिप्त लिखित के माध्यम से

प्रस्तुतियाँ-17 फरवरी 2021 को दायर की गईं [एसएलपी खंड 157], इस माननीय न्यायालय को सूचित किया कि 24 मई 2016 को डीएचसी को पहला आश्वासन दिए जाने के बाद गलत प्रतिज्ञाएँ की गईं। चूंकि ये प्रतिज्ञाएँ अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बनाई गई थीं, श्री दातार ने इस माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि वह अन्य बातों के साथ-साथ 24 मई 2016 को एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी के संबंध में यथास्थिति बहाल करने और 24 मई 2016 के बाद सभी गलत प्रतिज्ञाओं के निर्माण के संबंध में याचिकाकर्ता को पुनर्स्थापित करने का आदेश पारित करे।

7. अपनी लिखित प्रस्तुतियों में [एसएलपी खंड 125/पृष्ठ 3], याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय से विवादित प्रतिज्ञाओं को रद्द करने का अनुरोध किया है।

और/24 मई 2016 के बाद बनाई गई प्रतिभूतियाँ या, वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ता को इसके कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति और पुनर्स्थापना के लिए 24 मई 2016 को या उसके बाद बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिज्ञाओं का निर्माण और बाद में शेयरों की बिक्री [एसएलपी खंड 125/पृष्ठ

6-7] . याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय को एम. एम. एस., एस. एम. एस., एफ. एच. एल. और आई. एच. एच. के साथ मिलकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई गई योजना के बारे में भी सूचित किया है, ताकि याचिकाकर्ता को [2022] 11 एस. सी. आर. के प्रणालीगत कमजोर होने से एफ. एच. एल. शेयरों पर दिए गए अधिकारों से वंचित किया जा सके।

एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी को नियंत्रित करना [एस. एल. पी. खंड 138/पृष्ठ 7/अनुच्छेद/9-11,15]। 8. उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, इस माननीय न्यायालय ने 18 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इसके द्वारा कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

माननीय न्यायालय। 18 फरवरी 2021 के आदेश के कथित अनुपालन में, कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने

उन्होंने अपने शपथ पत्र दाखिल किए। याचिकाकर्ता ने 23 मार्च 2021 को अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ दायर की हैं [एसएलपी खंड 187] इस माननीय न्यायालय को निर्णय देनदारों के साथ मिलीभगत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अवमाननापूर्ण कृत्यों के बारे में सूचित किया है। याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय को सूचित किया कि मई 2017 तक, बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा टॉप अप के लिए कोई अवसर नहीं हो सकता था क्योंकि एफ. एच. एल. शेयरों की शेयर कीमत कमोबेश स्थिर रही थी और शेयर की कीमत प्रभावित नहीं हुई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 15 तारीख के आदेश प्राप्त करने के लिए निर्णय देनदारों के साथ इस माननीय न्यायालय को सक्रिय रूप से गुमराह किया था।

देनदारियों को कम करने के लिए, परिसंपत्तियों के मूल्य या संख्या पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। असंबद्ध शेयरों का "[एस. एल. पी. खंड। 187 / पृष्ठ 4/अनुच्छेद 4]। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि बैंक और वित्तीय संस्थान पूरी तरह से अवगत थे अदालती आदेशों और निर्णय देनदारियों द्वारा डी. एच. सी. को दिए गए आश्वासन और इसलिए, डी. एच. सी. के आदेशों के जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन के दोषी हैं।

9. बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान (हां, एक्सिस और आई. एच. एफ. एल.), श्री गोपाल जैन (एल. वी. बी., जूलियस बेयर और फर्स्ट गल्फ), श्री पिनाकी मिश्रा (क्रेडिट सुइस), श्री रामजी श्रीनिवासन (एम्बिट फिनवेस्ट) और श्री अमित सिब्बल (ई. सी. एल. फाइनेंस) द्वारा विस्तृत मौखिक प्रस्तुतियों के बाद, याचिकाकर्ता ने 12 मई 2021 को अपना खंडन/प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ दायर कीं। 221 / 11 / 10-16 , 24-103] . श्री द्विवेदी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा की गई दलीलों का खंडन करते हुए व्यापक मौखिक प्रस्तुतियाँ भी दीं। इस माननीय न्यायालय की सुविधा के लिए, आई/एस।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

श्री द्विवेदी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कियाः

श्रेणी I: आठ बैंक जिन्होंने जानबूझकर आदेशों का उल्लंघन किया है

((i)

और डी. एच. सी. के साथ-साथ इस माननीय न्यायालय को दिए गए आश्वासनों को अवमानना का नोटिस जारी किया जाना चाहिए [एस. एल. पी. खंड 221 /

पृष्ठ 47-64];

((ख)

श्रेणी II: चार बैंक जिन्होंने शेयर जारी किए हैं और

24 मई 2016 के बाद कोई शेयर नहीं बेचा गया [एसएलपी खंड 221/पृष्ठ 65]

71] ; और

((iii) श्रेणी III: चार बैंक और वित्तीय संस्थान जो इसके अनुपालन में न तो पेश हुए और न ही कोई हलफनामा दायर किया

18 फरवरी 2021 का आदेश [एसएलपी खंड 221/पृष्ठ 83]।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अवमाननापूर्ण तरीके से की गई गलत प्रतिज्ञाओं के संबंध में और फोरेंसिक ऑडिट करने के निर्देश के लिए कुछ राहतों का प्रस्ताव किया। [एसएलपी खंड 222/पृष्ठ 4 5]। सी. फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड और आई. एच. एच. हेल्थकेयर बरहाद

11. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि पुरस्कार जारी करने के समय सिंह ने

भाइयों ने अपनी समूह कंपनियों, आर. एच. सी. और ओ. आई. एल. के माध्यम से एफ. एच. एल. में एक नियंत्रक हिस्सेदारी (71.7%) का आनंद लिया, जो एक सूचीबद्ध कंपनी है जो पूरे भारत में विभिन्न अस्पतालों का स्वामित्व और नियंत्रण करती है [एस. एल. पी. खंड 133]। प्रासंगिक समय पर एफ. एच. एल. के स्वामित्व का वर्णन याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक चार्ट में किया गया है [अनुलग्नक डब्ल्यू-1/एस. एल. पी. खंड 133/पृष्ठ 10] [इसके अलावा, एस. एम. सी. खंड 26/पृष्ठ 20]। याचिकाकर्ता ने हर समय कहा है कि एफ. एच. एच. पी. एल. में आर. एच. सी. और ऑस्कर के शेयरों का मूल्य यह पूरी तरह से एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की नियंत्रण हिस्सेदारी [एस. एल. पी. खंड 221/पृष्ठ 2] से प्राप्त किया गया था।

12. 06 दिसंबर 2018 को, याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगने के लिए एसएलपी (एसएलपी खंड 40) में 2018 का आई. ए. संख्या 176128 दायर किया। इन दस्तावेजों ने जून 2017 को समाप्त होने वाली तिमाही से सितंबर 2018 को समाप्त होने वाली

तिमाही के लिए एफ. एच. एल. के शेयरधारिता पैटर्न का खुलासा किया ताकि एफ. एच. एच. पी. एल. के माध्यम से एफ. एच. एल. में हिस्सेदारी में कमी को उजागर किया जा सके।

सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता ने प्रवर्तन कार्यवाही ड्राइंग में 16 जुलाई 2018 को डी. एच. सी. के समक्ष 2018 का आवेदन-आई. ए. No.9264 भी दायर किया था।

27 मार्च 2018 और 13 जुलाई 2018 की प्रेस विज्ञप्ति पर ध्यान दें जो दर्शाती है कि आई. एच. एच. एफ. एच. एल. और आर. एच. टी. ट्रस्ट [एस. एल. पी. खंड 40/पृष्ठ 83-85] की संपत्तियों का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव कर रहा था। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि निर्णय देनदारों को पूरी डिक्रिटल राशि जमा करने का निर्देश दिया जाए और एफ. एच. एल. को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए।

13. याचिकाकर्ता ने 15 जनवरी 2019 को अवमानना याचिका में निर्देशों (2019 का आई. ए. संख्या 8948) के लिए एक आवेदन भी दायर किया, यह जानने पर कि, इस माननीय न्यायालय के 14 तारीख के आदेश के बावजूद। दिसंबर 2018 में, एफ. एच. एल. में नियंत्रक हिस्सेदारी आई. एच. एच. को हस्तांतरित करने का लेन-देन आगे बढ़ रहा था और एफ. एच. एल. द्वारा प्राप्त आई. एन. आर. 4000 करोड़ की राशि आर. एच. टी. ट्रस्ट को हस्तांतरित की जा रही थी, जिसमें सिंह ब्रदर्स और जजमेंट डेटर्स का पर्याप्त हित था। याचिकाकर्ता ने इस आवेदन में प्रार्थना की थी कि आर. एच. टी. को धन के हस्तांतरण पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि उपक्रम नहीं हो जाता।

14. याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी 2019 को अवमानना याचिका में निर्देश (2019 का आई. ए. सं. 15162) के लिए एक और आवेदन दायर किया [एस. एल. पी. खंड 46/पृष्ठ 1-5] यह सुनिश्चित करने के बाद कि एफ. एच. एल. ने आर. एच. टी. की पोर्टफोलियो परिसंपत्तियों का अधिग्रहण पूरा कर लिया था और 15 जनवरी 2019 को इस माननीय न्यायालय के 14 दिसंबर 2018 के आदेश का उल्लंघन करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर 4650 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर दिए गए थे। याचिकाकर्ता का आवेदन। एफ. एच. एल. ने 2019 आई/एस के आई. ए. सं. 8948 को जवाब दाखिल किया।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

[फरवरी 2019 में एस. एल. पी. खंड 50] और आई. ए. सं. 2019 का 15162 [एस. एल. पी. खंड 49]। 15. 09 मार्च 2021 को मौखिक प्रस्तुतियों के दौरान, एफ. एच. एल. ने आर. एच. टी. लेनदेन का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि एफ. एच. एल.

कार्रवाई अवमानना के कार्य के बराबर नहीं थी। श्री दातार ने आई. एच. एच., एफ. एच. एल. और आर. एच. टी. की भूमिका से संबंधित इस माननीय न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करते हुए 18 मार्च 2021 [एस. एल. पी. खंड 185] को अपनी मौखिक और लिखित प्रस्तुतियों में उस गुप्त पद्धति पर प्रकाश डाला, जिसके द्वारा लंबित आवेदन और 14 दिसंबर 2018 के यथास्थिति आदेश की जानकारी के बावजूद, आई. एन. आर. 4000 करोड़ की राशि भारत से बाहर स्थानांतरित की गई थी। श्री दातार ने यह भी प्रस्तुत किया कि 4000 करोड़ रुपये का प्रेषण 14 दिसंबर 2018 के यथास्थिति आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि

चूंकि आर. एच. टी. ने 31 दिसंबर 2018 को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को आर. एच. टी. लेनदेन के लिए 26 मार्च 2019 तक लंबे ठहराव की तारीख बढ़ाने का खुलासा किया था, इसलिए कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी।

इस राशि को 15 जनवरी 2019 को आर. एच. टी. को भेजने की तात्कालिकता। को। याचिकाकर्ता के दावों को विफल करते हुए, 14 दिसंबर 2018 के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्राप्त धन को तुरंत हटा दिया गया।

आर. एच. टी. द्वारा अपने यूनिटधारकों को वितरित [एस. एल. पी. खंड 185/पृष्ठ 9]। इस राशि में से, एफ. एच. एल. ने स्वीकार किया है-आई. एन. आर. 817 करोड़ [एस. एम. सी. खंड 37/पृष्ठ 81]।

16. श्री दातार ने 12 मई 2021 को समापन दलीलों के दौरान आर. एच. टी. लेनदेन पर याचिकाकर्ता की स्थिति को संक्षेप में दोहराया। श्री दातार ने बैंकों द्वारा की गई बड़े पैमाने की साजिश को समझाने के लिए साजिश के अत्याचार के सिद्धांत पर भी भरोसा किया

और वित्तीय संस्थानों ने प्रत्यर्थियों, एफ. एच. एल. और आई. एच. एच. के साथ मिलकर तर्क दिया कि यह केवल उचित और उचित है कि एफ. एच. एल. को दाइची के लिए आई. एन. आर. 4000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक (एस. एम. एस. और आई. एच. एच.) द्वारा दिए गए उपक्रम के संबंध में क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

एम. एम. एस. क्रमशः) 21 जून 2017 को [एस. एम. सी. 26/पृष्ठ 63/अनुच्छेद 97]। 17. अवमानना के शुद्धिकरण के प्रस्ताव के संबंध में माननीय न्यायालय के इस प्रश्न के जवाब में, याचिकाकर्ता ने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड और आई. एच. एच. हेल्थकेयर बरहाद के खिलाफ कुछ राहत का प्रस्ताव दिया है।

[एसएलपी खंड 222/पृष्ठ 6]।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. आरएचटी ट्रस्ट, सिंगापुर

18. श्री दातार ने एफ. एच. एल.-आई. एच. एच. आर. एच. टी. लेनदेन के संबंध में मौखिक प्रस्तुतियाँ दीं। संक्षेप में, प्रस्तुतियाँ इस प्रकार थींः (i) श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों और श्री गुरप्रीत सिंह ढिल्लों आर. एच. टी. के यूनिटहोल्डर हैं। श्री गुरप्रीत सिंह ढिल्लों आर. एच. टी. [एस. एल. पी. खंड 26/पृष्ठ <आई. डी. 1] के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे; (ii) एफ. एच. एल.-आई. एच. एच.-आर. एच. टी. लेनदेन पर शुरू में 2017 में सिंह ब्रदर्स और आई. एच. एच. [एस. एल. पी. खंड 26/पृष्ठ] के बीच बातचीत हुई थी।

37] ; और (iii) एफ. एच. एल.-आई. एच. एच.-आर. एच. टी. लेनदेन सिंह ब्रदर्स, एफ. एच. एल. के कहने पर और उनके पारस्परिक लाभ के लिए किया गया था।

आई. एच. एच. और विभिन्न बैंक और वित्तीय संस्थान [एस. एल. पी. खंड 26/पृष्ठ 43]। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों और श्री गुरप्रीत सिंह ढिल्लों सिंह भाइयों के करीबी रिश्तेदार हैं और यह संभव है कि ढिल्लों परिवार (जिसमें श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों और श्री गुरप्रीत सिंह ढिल्लों सदस्य हैं) को भी एफ. एच. एल.-आई. एच. एच.-आर. एच. टी. लेनदेन से लाभ हुआ हो।

19. अवमानना के शुद्धिकरण के प्रस्ताव के संबंध में इस माननीय न्यायालय के प्रश्न के जवाब में, याचिकाकर्ता ने आर. एच. टी. के खिलाफ आर. एच. टी. को एक नोटिस सहित कुछ राहत का प्रस्ताव दिया है। [एसएलपी खंड 222/पृष्ठ 6]।

ई. रेलिगेयर

फिनवेस्ट लिमिटेड ("रेलिगेयर ग्रुप")। रेलिगेयर समूह ने एसएलपी में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित 05 अप्रैल 2019 के आदेश को हटाने की मांग की है, जिससे उनके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। 23 राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, दिल्ली के समक्ष इकाइयाँ।

21.श्री वेणुगोपाल ने अपने खंडन प्रस्तुतियों [एसएलपी खंड 220] और सुविधा संकलन [एसएलपी खंड 209] पर भरोसा किया। इसके अलावा, अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए आवेदन [एसएलपी खंड 211] पर भी भरोसा रखा गया था, जिसमें उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि 14 मार्च 2019 को एस. ई. बी. आई. द्वारा पारित आदेश को वास्तव में 12 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। श्री वेणुगोपाल द्वारा संक्षेप में प्रस्तुतियाँ इस प्रकार थींः (i) रेलिगेयर समूह ने उन नौ संस्थाओं में से आठ के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू नहीं की है जिनकी भूमि बिक्री के लिए दी गई है; (ii) इन 1/एस द्वारा अधिग्रहित भूमि।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

कंपनियों को ज्यादातर 2010 से पहले अधिग्रहित किया गया था, जबकि रेलिगेयर समूह ने केवल आईडी1 में ऋण दिए थे और इसलिए, रेलिगेयर समूह के ऋण का उपयोग संभवतः उन भूमि के अधिग्रहण के लिए नहीं किया जा सकता था; (iii) रेलिगेयर समूह में संस्थाएं डिक्री धारक नहीं हैं और इसलिए वर्तमान कार्यवाही के अनुसार बरामद की गई किसी भी राशि में हिस्सेदारी करने की हकदार नहीं हैं, जिसका प्रस्ताव 2010 में निपटाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले के तथ्य; और (iv) चूंकि रेलिगेयर समूह की दिवालिया याचिकाएं धोखाधड़ी पर आधारित हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

22. की ओर से समापन प्रस्तुतियों के दौरान याचिकाकर्ता, श्री राकेश द्विवेदी ने 05 अप्रैल 2019 के स्थगन आदेश को जारी रखने की मांग की क्योंकि इसका वर्तमान अवमानना याचिका के परिणाम पर सीधा असर पड़ता है। की ओर से प्रस्तुत किया गया था

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस आदेश के जारी रहने के अभाव में सिंह बंधुओं द्वारा की गई अवमानना को दूर करने के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियां दिवालिया हो जाएंगी।

इस प्रकार की कार्यवाही अवमानना को दूर करने की प्रक्रिया को खतरे में डालती है। [एसएलपी खंड 222/पृष्ठ 7]।

एफ. विविध

23. समकालीन संख्या द्वारा जमा किए गए आई. एन. आर. <आई. डी. 1,000 की निकासी। 1- 8 (आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. और इसके निदेशक) ("अवमानना जमा") अवमानना निर्णय के अनुच्छेद 51 (i) में निहित निर्देश का अनुपालन। श्री जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता ने 12 मई 2021 को दाइची की ओर से दलीलें दीं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अवमानना जमा प्राप्त करने का हकदार है

और, इसलिए, अवमानना जमा को वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि अवमानना याचिका में 2020 की आई. ए. संख्या 50764 में अनुरोध किया गया है। [एस. एल. पी. खंड 91]।

24. अवमानना जमा करना अवमानकर्ताओं के अपमानजनक आचरण के परिणामस्वरूप किया गया था जिसने गंभीर रूप से

याचिकाकर्ता के हित को प्रभावित किया। याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित सुरक्षात्मक आदेशों की अवमानना करने वाले पक्ष द्वारा की गई जमा राशि में कोई तीसरा पक्ष हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता है। इसके अलावा, ये अवमानना कार्यवाही में जमा किए गए धन हैं और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 73 इन कार्यवाही में लागू नहीं होती है।

19. इस तर्क के समर्थन में कि आई. एच. एच./एन. टी. के. को एफ. एच. एल. में धन वापस करने का निर्देश दिया जाए, यह प्रस्तुत किया गया था कि निम्नलिखित मामले उठाए गए थेः

" (i) क्या फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड/आई. एच. एच. आदि ने 15 जनवरी 2019 को लगभग 4000 करोड़ रुपये की राशि भेजने में 14 दिसंबर 2018 के यथास्थिति आदेश का उल्लंघन किया है और इस प्रकार अवमानना की है? (ii) क्या आई. एच. एच. द्वारा आई. एन. आर. 4000 करोड़ वापस लाए जाने चाहिए।

और फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड में जमा किया?

12 मई 2021 को सुनवाई के दौरान उठाए गए अतिरिक्त प्रश्न और याचिकाकर्ता की ओर से श्री दातार द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण नीचे दिए गए हैंः अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1: क्या यातना पर प्रस्तुतियाँ

षड्यंत्र और आरोपण का सिद्धांत बनाया गया था दलीलों का अभाव?

(क) याचिकाकर्ता द्वारा साजिश के संबंध में एक विशिष्ट याचिका दायर की गई थी। पृष्ठ 63 पर एस. एम. सी. खंड 26 के पैरा 97 में। तैयार संदर्भ के लिए, अनुच्छेद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 97. उत्तरदाताओं, एफ. एच. एल. और आई. एच. एच. के साथ मिलकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई साजिश को देखते हुए, दाइची सैंक्यो प्रस्तुत करते हैं कि यह केवल न्यायसंगत और उचित है।

21 जून 2017 को इसके सीईओ और प्रबंध निदेशक द्वारा। दाइची सैंक्यो आगे कहते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि जब तक और जब तक एफ. एच. एल. इस राशि को अवमूल्यन राशि की प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराता है, एफ. एच. एल./आई. एच. एच. को ओपन ऑफर के साथ आगे बढ़ने या एस्क्रो में पड़े आई. एन. आर. 4000 की राशि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उस उद्देश्य के लिए लेखा "।

29 अप्रैल 2016 का पुरस्कार 19 उत्तरदाताओं के खिलाफ था।

दिल्ली उच्च न्यायालय को बार-बार आश्वासन दिया गया कि कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

(ख) जिस तरह से एफ. एच. एल. में फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ("एफ. एच. एच. पी. एल".) की हिस्सेदारी को 71.1% से घटाकर 0.66% कर दिया गया, वह आठ उपक्रमों का पूरी तरह से उल्लंघन था। दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया और बैंकों और आई. एच. एच. की सक्रिय जानकारी के बिना नहीं किया जा सकता था।

(ग) विशिष्ट अभिवचनों के अलावा, इन मामलों में व्यापक अभिवचनों और निम्नलिखित संस्थाओं की भूमिका से भी साजिश का पता चलता हैः

(ii) एफ. एच. एल. और आई. एच. एच. हेल्थकेयर बरहाद ने यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करते हुए और आदेश को विफल करने के लिए 4000 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया। (iii) आर. एच. टी. हेल्थ ट्रस्ट, सिंगापुर, एफ. एच. एल. और आई. एच. एच. से आई. एन. आर. 4000 करोड़ की प्राप्ति के लेनदेन में भाग ले रहा है।

14 दिसंबर 2018 के यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करते हुए भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया। यह तब किया गया जब श्री गुरप्रीत सिंह ढिल्लों (सिंह ब्रदर्स के मामा) हस्ताक्षरकर्ता थे। और आर. एच. टी. के मामलों के शीर्ष पर।

((घ) आरोपण का सिद्धांतः यह एक तय सिद्धांत है कि निदेशकों के कार्य, जो प्रबंधन और नियंत्रण में हैं, को एक ऐसी कंपनी का कार्य माना जाता है जो एक कानूनी इकाई है लेकिन जिसका कोई दिमाग या शरीर नहीं है। सोचना और कार्य करना। यह अच्छी तरह से तय है कि [2022] 11 एस. सी. आर. में निदेशकों के कार्य।

नियंत्रण कंपनी के कार्यों के रूप में जिम्मेदार हैं और इस तरह से माना जाता है। ऐसी व्यापक दलीलें हैं जो दर्शाती हैं कि एफ. एच. एच. पी. एल. और एफ. एच. एल. सहित समूह कंपनियाँ इसके अधीन थीं। सिंह बंधुओं का प्रबंधन और नियंत्रण। इस प्रकार, आरोपण का सिद्धांत या सिद्धांत लागू होता है। सिंह द्वारा उपक्रम

भाई समूह की कंपनियों का उपक्रम कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से एफ. एच. एल. भी शामिल है।

अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2: क्या यह माननीय न्यायालय इसके लिए कोई सजा देने के अलावा निर्देश जारी कर सकता है

अवमानना?

(क) इस माननीय न्यायालय के पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत। अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) के तहत एक दीवानी अवमानना है। इसके अलावा, "कोई भी अन्य कार्य जो भी हो" करना जो "किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या किसी अन्य तरीके से बाधा डालता है या बाधा डालता है" उसकी धारा 2 (सी) (iii) के तहत आपराधिक अवमानना है।

(क) न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 केवल न्यायालय की अवमानना के लिए सजा देने का प्रावधान करता है। लेकिन इस माननीय न्यायालय का अवमानना क्षेत्राधिकार न केवल सजा देने में सक्षम बनाता है

लेकिन पुनर्भुगतान के माध्यम से राहत देना। दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम में इस माननीय न्यायालय का निर्णय। स्किपर

निर्माण 3 यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि न्यायालय अपने आदेशों का उल्लंघन करते हुए की गई चीजों को सुधारने और सुधारने के लिए उचित निर्देश दे सकता है।

(ख) धारा 4 में दिए गए निर्णयों का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें कहा गया था कि यह माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के लिए भी संज्ञान ले सकता है। (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम में एक अन्य बिंदु पर इसे खारिज कर दिया गया था। भारत संघ 3)।

(ग) वर्तमान मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए उपक्रमों की पवित्रता और वैधता दांव पर है।

) 15 एस. सी. सी. 60 I-पाठ के लिए, पैरा 24-28 पर एस. एम. सी. खंड 36, पी 227-251 देखें।

) 2 एस. सी. सी. 584,602-603 (पैरा 22 और 23)।

) 4 एस. सी. सी. 409-उच्चतम न्यायालय राज्य विधिज्ञ परिषद से किसी अधिवक्ता का नाम नहीं हटा सका।

1 / एस. दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

यदि दंड से मुक्ति के साथ इनका उल्लंघन किया जा सकता है, तो यह भारत में कानून के शासन और उच्च न्यायपालिका की छवि और प्रतिष्ठा के लिए एक गंभीर झटका होगा। यह विनम्रता से कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए

कि यदि किसी वचन का उल्लंघन किया जाता है, विशेष रूप से समूह कंपनियों के संदर्भ में, तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने

अनुच्छेद 129 और 215 के तहत जो कुछ भी पारित करने के लिए पर्याप्त शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश आवश्यक हैं कि उपक्रम

अतिरिक्त प्रश्न संख्या 3: यदि एफ. एच. एल./आई. एच. एच. को वापस लाने का निर्देश दिया जाता है। आई. एन. आर. 4000 करोड़, क्या याचिकाकर्ता इसके हकदार होंगे

इन निधियों से पुरस्कार/अवमूल्यन राशि की वसूली?

(क) पूर्व लिखित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में

प्रस्तुतियाँ [एस. एल. पी. खंड 185/पृष्ठ 9], प्रस्तुतियाँ की गई हैं कि यह क्यों आवश्यक है कि आई. एन. आर. 4000 करोड़ लाया जाना चाहिए

पीछे की ओर। आई. एन. आर. भेजने में असाधारण और अप्रत्याशित जल्दबाजी

4000 भारत के बाहर करोड़ रुपये यथास्थिति के आदेश का उल्लंघन था

यह माननीय न्यायालय दिनांक 14 दिसंबर 2018। यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है। कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी कार्य अमान्य है और पूर्व स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए। [((i) सत्य व्रता विश्वास बनाम। कल्याण कुमार और (ii) विदुर इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड v. तोश अपार्टमेंट

निजी Ltd.7]। (ख) यदि आई. एन. आर. 4000 करोड़ की राशि वापस लाई जाती है, तो यह एफ. एच. एल. के खातों में एक परिसंपत्ति होगी। यह एफ. एच. एल. की किसी भी अन्य संपत्ति जैसे भूमि, भवन, निवेश, नकद खाता, बैंक में नकद आदि की तरह होगा और इसे उपक्रम को पूरा करने के लिए संलग्न किया जा सकता है।

दिया गया।

(ग) जैसा कि बाद में इस अतिरिक्त लिखित प्रस्तुति में विस्तार से बताया गया है, सिंह भाइयों द्वारा कई उपक्रम दिए गए थे और निर्णय देनदार कि पुरस्कार समूह के लिए बाध्यकारी होगा

कंपनियाँ। (घ) निष्पादन कार्यवाही में पहला वचन (24 मई 2016 को) केवल यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था कि सूचीबद्ध संस्थाएं, मुख्य रूप से एफ. एच. एल., रेलिगेयर आदि अप्रभावित रहें। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपक्रम दिए गए कि एफ. एच. एल. के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो।

-) 2 एस. सी. सी. 266 (एस. एम. सी. खंड 36 का पैरा 23 और पृष्ठ 106-117।

) 8 एस. सी. सी. 384 (एस. एम. सी. खंड 36 का पैरा 49. पृष्ठ 118-150।

जो एक प्रमुख कंपनी थी। (ङ) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एफ. एच. एच. पी. एल. और एफ. एच. एल. उन समूह कंपनियों का हिस्सा हैं जिनकी ओर से उपक्रम दिए गए थे। इस प्रकार, भले ही ये दोनों कंपनियाँ मध्यस्थता पुरस्कार में निर्णय देनदार नहीं हैं, यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि

इन सभी समूहों को पुरस्कार संतोषजनक रूप से दिया जाता है।

(छ) सिंह ब्रदर्स द्वारा दिए गए उपक्रम इस प्रकार एफ. एच. एल. पर भी बाध्यकारी हैं। ये उपक्रम, उस समय दिए गए थे जब उनका नियंत्रण 71 प्रतिशत से अधिक था, उनकी एफ. एच. एल. हिस्सेदारी कम होने के बाद भी बाध्यकारी होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अदालत को दिया गया एक वचन जो बहुमत में हैं शेयरधारक, उस कंपनी को बाध्य करना जारी रखेंगे, भले ही उनके

बाद में हिस्सेदारी घटाकर अल्पांश कर दी जाती है। यह है।

विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब इस तरह की हिस्सेदारी में कमी की जाती है

(ज) रोसनन सैम बॉयस बनाम। बी. आर. कॉटन मिल्स लिमिटेड, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रबंधन और नियंत्रण में व्यक्ति द्वारा दिया गया उपक्रम स्वयं कंपनी का उपक्रम होगा। उसी तरह, सिंह बंधुओं द्वारा दिया गया वचन एफ. एच. एल. को समान रूप से बाध्य करेगा। उपक्रम को विफल करने के व्यवस्थित प्रयास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बी. आर. कॉटन मिल्स मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 142 के तहत अदालत पूर्ण न्याय कर सकती है और निदेशक द्वारा दिया गया वचन पहले द्वारा दिया गया वचन था।

प्रत्यर्थी कंपनी को प्रतिबद्ध माना जाएगा

अवमानना। इसी तरह, एफ. एच. एल. समान रूप से बाध्य हो सकता है

उपक्रम। (i) इस प्रकार, उपक्रम मैं आश्वासन देता हूं कि पुरस्कार राशि की संतुष्टि के लिए INR 2341.9 करोड़ की राशि हमेशा उपलब्ध रहेगी।

-) 2 एस. सी. सी. 636, (एस. एम. सी. खंड 36 के पृष्ठ 58-60 पर पैरा 7,8,9)

एम/एस। दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

एफ. एच. एल. की ओर से यह एक उपक्रम भी होगा। एक बार समूह की ओर से उपक्रम दिए गए थे और किए गए थे

यह स्पष्ट किया कि एफ. एच. एल. सबसे मूल्यवान सदस्य था

यह समूह/एकल आर्थिक इकाई, उपक्रम बाध्यकारी हैं

किसी भी संपत्ति को कुर्क करके राशि की वसूली करने का हकदार होगा। एफ. एच. एल. सहित इन संस्थाओं में से भी।

(जे) एफ. एच. एल. इस आधार पर दायित्व से बच नहीं सकता कि वह एक सूचीबद्ध संगठन है।

इकाई या वह सिंह ब्रदर्स अपनी निवेश कंपनियों के साथ

उस तारीख को एफ. एच. एल. के 1 प्रतिशत से कम शेयर थे जिस दिन आई. एन. आर. 4000 था।

करोड़ रुपये भेजे गए। आई. एच. एच., एफ. एच. एल. में नया निवेशक और अब एफ. एच. एल. के प्रबंधन का प्रभार, जिसका पूरा ज्ञान था

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए विभिन्न उपक्रम

अदालत। आई. एच. एच. और इसके निदेशक अब दायित्व से बच नहीं सकते हैं उन समझौतों का सम्मान करें जिनका मैं आश्वासन देता हूं

अलग कॉर्पोरेट व्यक्तित्व की अवधारणा। एफएचएल की परिसंपत्तियाँ

पुरस्कार के निष्पादन में संलग्न होने के लिए उत्तरदायी हैं

उपस्थित

और उपक्रमों/आश्वासनों को दिया। (के) यदि एफ. एच. एल. को दायित्व से बचने की अनुमति है, तो उपक्रम हो सकते हैं -

कंपनियों के एक समूह की ओर से दिया जाता है और इन्हें प्रदान किया जाएगा

अगर कोई नया प्रबंधन कार्यभार संभालता है या कोई नया होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है।

ऐसे शेयरधारक जिनके पास बहुमत हो।

20. समवर्ती संख्या 9-मालविंदर मोहन सिंह की ओर से, यह

प्रस्तुत किया गया था कि विचाराधीन लेनदेन व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए थे और इसकी ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया था

अवमानकर्ताओं ने परिसंपत्तियों को दाइची की पहुंच और नियंत्रण से बाहर रखा। यह. यह प्रस्तुत किया गया था कि नोटिसियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने जो कुछ भी किया वह लेनदेन के अनुसार था जो इससे पहले किया गया था

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को आश्वासन/वचन दिए गए थे। अवमानना से खुद को मुक्त करने के अपने प्रयास में, समकालीन संख्या 9 ने प्रस्तुत किया

कि उनके संबंधों और उनके समूह के नियंत्रण वाली कंपनियों द्वारा धारण की गई कुछ संपत्तियों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई की जा सकती है। लिखित प्रस्तुतियों में दी गई ऐसी संपत्तियों का विवरण इस प्रकार थाः

द्वारा बढ़ाया गया ऋण

ऋण की अवधि बढ़ाई गई

संचयी

राशि

(रु.

राशि

करोड़)

(रु. करोड़)

गुरिंदर सिंह ढिल्लों

1.57

223.15

88.78

गुरकिरत सिंह ढिल्लों

1 . मॉडलैंड परिधान

निजी गुरप्रीत सिंह ढिल्लों

79.71

सीमित

नयन तारा ढिल्लों

0.61

शबनम ढिल्लों

52.48

2 . देवेरा डेवलपर्स प्राइवेट गुरकिरण सिंह ढिल्लों

65.47

122.62

सीमित

57.16

गुरप्रीत सिंह ढिल्लों

गुरकिरत सिंह ढिल्लों

110.81

गुरप्रीत सिंह ढिल्लों

3 . फर्न हेल्थकेयर प्राइवेट संजय गोधवानी

1.92

सीमित

सुनील गोधवानी

68.60

प्राइम ट्रस्ट

4.19

5.07

लुमिनस होल्डिंग्स प्रा. लि.

लि.

4 . बेस्ट हेल्थकेयर प्राइवेट

गुरकिरत सिंह ढिल्लों

103.37

207.15

सीमित

गुरप्रीत सिंह ढिल्लों

103.78

गुरकिरत सिंह ढिल्लों

5 . निपुण जीवन-स्थान निजी

85.58

152.88

गुरप्रीत सिंह ढिल्लों 67.30

सीमित

998.3

कुल

21. यह समकालीन No.10-शिवेंद्र मोहन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

जिनसे गंभीरता से पूछताछ की जा रही थी। उक्त कंटेंनर के अनुसार, यह उनका भाई था जिसका नाम कंटेंनर नंबर 9 था, जो पूरी तरह से था सभी कथित लेन-देन के लिए जिम्मेदार।

22. जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, शेयरधारिता का बड़ा हिस्सा

एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. को यस बैंक लिमिटेड (वाई. बी. एल.) और एक्सिस बैंक लिमिटेड (ए. बी. एल.) के साथ गिरवी रखा गया था। श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इन दोनों संस्थाओं की ओर से प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाया और हमें रिकॉर्ड में रखे गए विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से ले गए।

वाई. बी. एल. की ओर से अग्रिम प्रस्तुतियाँ इस प्रकार थीं

इसके अंतर्गतः

" 7. वाई. बी. एल. के मामले का सार यह है कि 8,97,81,906 एफ. एच. एल. शेयर थे

विभिन्न समझौतों के तहत, 30.03.2016 से पहले। एक और 2,65,02,852 एफ. एच. एल. के शेयरों को दिनांकित प्रतिज्ञा समझौते के तहत भारित किया गया था।

30.03.2016 . इस प्रकार, मध्यस्थता पुरस्कार की तारीख से पहले

(29.04.2016) , कुल 8,06,38,352 एफ. एच. एल. शेयरों पर बोझ डाला गया था।

वाई. बी. एल. के पक्ष में। इसके बाद, 28.07.2016 पर, यानी 'फर्स्ट 1/S' के बाद।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

ऋणदाताओं द्वारा 'आश्वासन' (2016 के ओ. एम. पी. ई. एफ. ए. 6 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष) और दूसरे और तीसरे आश्वासन से पहले, एक और 91,43,554 एफ. एच. एल. शेयरों को गिरवी रखने के लिए एक अन्य समझौते के तहत जमा किया गया था। इसलिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जे. डी. द्वारा दिए गए दूसरे से पांचवें आश्वासन से पहले, 28.07.2016,8,97,81 द्वारा, 906 एफ. एच. एल. शेयरों को वाई. बी. एल. के पक्ष में रखा गया था। ये 8,97,81,906 FHL शेयर केवल इस माननीय न्यायालय के 15.02.2018 के आदेश के अनुसार बेचे गए थे। (पेज। 1, खंड 200)

8.यह दोहराना उचित है कि जब जे. डी. द्वारा आश्वासन दिए गए थे, तब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वाई. बी. एल. कभी भी पक्षकार नहीं था। इसके अलावा, वाई. बी. एल. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ दायर एस. एल. पी. में भी पक्षकार नहीं था। वाई. बी. एल. को जे. डी. द्वारा दायर किए जा रहे हलफनामों की सामग्री के बारे में भी जानकारी नहीं थी और न ही उसे जे. डी. द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए जा रहे आश्वासनों की प्रकृति के बारे में जानकारी थी। (पैरा 47, पृ. 34, खंड 173) 9. मान लीजिए, एफ. एच. एच. पी. एल. दाइची के लिए एक निर्णय देनदार नहीं है। इसके अलावा, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और इस माननीय न्यायालय के आदेश यह स्पष्ट करते हैं कि इस पर कोई निषेधाज्ञा नहीं थी।

11.08.2017 से पहले किसी भी समय FHHPL द्वारा रखे गए FHL के शेयर। जे. डी. या उनकी समूह कंपनियों को किसी भी समय ऋण देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वास्तव में, यहां तक कि माननीय दिल्ली

उच्च न्यायालय ने 2016 के ओ. एम. पी. ई. एफ. ए. 6 में ई. ए. संख्या 615,625 और 815 में पारित अपने निर्णय ("15 अक्टूबर 2020 का निर्णय") के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो जे. डी. को ऋण देने पर कोई प्रतिबंध था और न ही जे. डी. की संपत्तियों पर कोई निषेधाज्ञा थी।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का तर्क इस आधार पर था कि दाइची के पक्ष में विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार मध्यस्थता की धारा 49 के संदर्भ में दाइची की प्रवर्तन याचिका की अनुमति के बाद केवल 31.01.2018 पर एक डिक्री बन गया और

सुलह अधिनियम, 1996। (पारस 49 से 52, पेज। 37, खंड 173)

10. इसके अलावा, दाइची के अधिकारों को हराने के उद्देश्य से जे. डी. और वाई. बी. एल. के बीच मिलीभगत के सभी आरोप पूरी तरह से हैं।

गलत, गुणहीन और आधारहीन हैं, और किसी भी साक्ष्य द्वारा असमर्थित हैं। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि वाई. बी. एल. के पास जे. डी. और उधारकर्ताओं [2022] 11 एस. सी. आर. के खिलाफ कई वसूली कार्यवाही लंबित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. एन. आर. 532.9 की बकाया राशि के लिए विभिन्न मंचों के समक्ष करोड़ (ब्याज को छोड़कर) (22.02.2021 के अनुसार)। (पारस 43 से 46, पृ. 33 , Vol.173)

11. इसके अलावा, समकालीन सार्वजनिक प्रकटीकरण थे

एफ. एच. एल./एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किया गया

विषय संलिप्तताएँ, इस प्रकार इस तर्क को नकारते हुए कि ये बोझ/प्रतिज्ञाएँ एक विवेकपूर्ण तरीके से बनाई जा रही थीं और

मिलनसार तरीके से। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रतीत होता है कि जे. डी. संख्या। 14 और 19, दिनांकित 14.03.2017 की असंबद्ध परिसंपत्तियों के अपने हलफनामे में उल्लेख किया गया था कि एफ. एच. एल. के 5 करोड़ असंबद्ध शेयर

एफ. एच. एच. पी. एल. को ऋण दायित्वों की अदायगी के लिए अलग रखा जाएगा।

समूह कंपनियाँ (पैरा 4, पेज। 254, खंड 2, पृष्ठ। 444, 455, खंड 6)।

इसके अलावा, निश्चित रूप से, न तो जे. डी. और न ही दाइची ने कभी ऐसा किया था

जे. डी. या उनकी समूह कंपनियाँ 24.05.2016 पोस्ट करती थीं, और न ही वाई. बी. एल. एफ. एच. एल. शेयर या किसी भी मौजूदा निषेधाज्ञा के बारे में सूचित किया गया

जे. डी. या उनकी समूह कंपनियों की अन्य परिसंपत्तियाँ। इसके अलावा,

एफ. एच. एच. पी. एल., वाई. बी. एल. के साथ निष्पादित विभिन्न प्रतिज्ञा समझौतों के तहत,

यह भी प्रतिनिधित्व दिया कि कोई मुकदमा लंबित नहीं था

एफ. एच. एल. के शेयर क्या हैं? (जैसे कि। , खंड 4 (ओ), पृष्ठ। 439 , खण्ड 175) यह दर्शाता है कि दाइची सहित विभिन्न हितधारकों के बीच यह एक सर्वमान्य स्थिति थी कि ऐसा कोई निषेधाज्ञा/आदेश नहीं था। 11.08.2017 से पहले FHL शेयरों पर प्रतिबंध। (पारस 43 से 46, पृ. 33, खंड 173)

12. इसलिए, वाई. बी. एल. को रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

विषय ऋण और सुरक्षा समझौतों के बीच निष्पादित 24.05.2016 और 11.08.2017। इस प्रकार, वाई. बी. एल. को बनाए रखना एक प्रामाणिक प्रयास है।

सुरक्षित लेनदार, कुछ एकतरफा आश्वासनों के लिए जवाबदेह

जे. डी. द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को दिया गया, एक होगा

न्याय का अपमान "।

इसी तरह, ए. बी. एल. की ओर से अग्रिम प्रस्तुतियाँ थीं

देरः

29.04.2016 (दाइची के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार की तारीख)। इसके अलावा, कुल 2,58,50,000 एफ. एच. एल. शेयरों में निवेश किया गया था। 15.12.2016 द्वारा FHL का पक्ष जो दूसरे से भी पहले है

(23.01.2017) और आई. डी. 1/एस. द्वारा दिए गए तीसरे आश्वासन (6.03.2017)।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को (अनुभाग 1 से 9, @Pgs)। 1 5 खंड तक। 197) .

8. दाइची के दावे के विपरीत, तीसरे उपक्रम के बाद, एबीएल के पक्ष में कुल बोझ वास्तव में पहले के 2,58,50,000 शेयरों से घटकर 1,83,75,000 एफएचएल शेयर रह गया। इस प्रकार, 11.08.2017 के रूप में, एबीएल के पास 1,83,75,000 एफएचएल शेयरों पर एक बोझ था। इन बाधाओं को केवल इसके अनुसार लागू किया गया था

सुप्रीम कोर्ट का 15.02.2018 का आदेश (पीजीएस। 9, 10 खंड। 197)। 9. यह दोहराना उचित है कि जब जे. डी. द्वारा आश्वासन दिए गए थे, तब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष ए. बी. एल. कभी भी एक पक्ष नहीं था। इसके अलावा, ए. बी. एल. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ दायर एस. एल. पी. में भी पक्षकार नहीं था। ए. बी. एल. को जे. डी. द्वारा दायर किए जा रहे हलफनामों की सामग्री के बारे में भी जानकारी नहीं थी और न ही उसे जे. डी. द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए जा रहे आश्वासनों की प्रकृति के बारे में जानकारी थी। (पैरा 43, पृ. 26, खंड 167)

10. मान लीजिए, एफ. एच. एच. पी. एल. दाइची के लिए एक निर्णय देनदार नहीं है। इसके अलावा, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और इस माननीय न्यायालय के आदेश यह स्पष्ट करते हैं कि इस पर कोई निषेधाज्ञा नहीं थी। 11.08.2017 से पहले किसी भी समय FHHPL द्वारा रखे गए FHL के शेयर। जे. डी. या उनकी समूह कंपनियों को किसी भी समय ऋण देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वास्तव में, यहां तक कि माननीय दिल्ली

उच्च न्यायालय ने 2016 के ओ. एम. पी. ई. एफ. ए. 6 (इस माननीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया आदेश) ("15 अक्टूबर 2020 का निर्णय") में ई. ए. संख्या 615,625 और 815 में पारित अपने दिनांक 15.10.2020 के फैसले के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा है

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का तर्क इस पर आधारित था - इस आधार पर कि दाइची के पक्ष में विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार मध्यस्थता की धारा 49 के संदर्भ में दाइची की प्रवर्तन याचिका की अनुमति के बाद केवल 31.01.2018 पर एक डिक्री बन गया और

सुलह अधिनियम, 1996। (पारस 45 से 48, पृ. 27 से 30, खंड। 167)

11. इसके अलावा, दाइची के अधिकारों को हराने के उद्देश्य से जे. डी. और ए. बी. एल. के बीच मिलीभगत के सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, और किसी भी सबूत से असमर्थित हैं। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि ए. बी. एल. के पास बकाया भुगतान के लिए विभिन्न मंचों के समक्ष जे. डी. और उधारकर्ताओं के खिलाफ कई वसूली कार्यवाही लंबित है।

राशि। जैसा कि इसके अनुपालन हलफनामे में कहा गया है, आज भी [2022] 11 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लगभग 624 करोड़ रुपये (लगभग) की बकाया राशि।

जैसे of22.02.2021। (पैरा 39 से 42, Pg.25, खण्ड 167)

12. इसके अलावा, समकालीन सार्वजनिक प्रकटीकरण थे

एफ. एच. एल./एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किया गया

विषय संबंधी बाधाएं, इस प्रकार इस तर्क को नकारते हुए कि इन बाधाओं को एक विवेकपूर्ण और मिलीजुली तरीके से बनाया जा रहा था

तरीके से। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रतीत होता है कि जे. डी. संख्या। 14 और 19, में

दिनांकित 14.03.2017 की असंबद्ध परिसंपत्तियों का उनका शपथ पत्र था

उल्लेख किया कि एफ. एच. एल. के 5 करोड़ बिना ऋण वाले शेयर

एफ. एच. एच. पी. एल. को ऋण दायित्वों की अदायगी के लिए अलग रखा जाएगा।

समूह कंपनियाँ (पैरा 4, पेज। 254, खंड 2, पृष्ठ। 444, 455, खंड 6)।

इसके अलावा, निश्चित रूप से, न तो जे. डी. और न ही दाइची ने कभी ऐसा किया था

एबीएल को सूचित किया कि दोनों में से किसी को भी ऋण देने पर कोई प्रतिबंध था

जे. डी. या उनकी समूह कंपनियाँ 24.05.2016 पोस्ट करती थीं, और न ही ए. बी. एल.

एफ. एच. एल. शेयर या किसी भी मौजूदा निषेधाज्ञा के बारे में सूचित किया गया

जे. डी. या उनकी समूह कंपनियों की अन्य परिसंपत्तियाँ। यह दिखाता है

कि दाइची भी अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा कोई नहीं था 11.08.2017 से पहले FHL शेयरों पर निषेधाज्ञा/प्रतिबंध।

13. इसलिए, एबीएल को रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। विषय ऋण और सुरक्षा समझौतों के बीच निष्पादित

24.05.2016 और 11.08.2017। इस प्रकार, ए. बी. एल. को बनाए रखना-एक प्रामाणिक प्रयास है। सुरक्षित लेनदार-कुछ एकतरफा आश्वासनों के लिए जवाबदेह

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को दी गई आई. डी.

न्याय का अपमान "।

23. श्री हरीश एन. साल्वे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

आईएचएच/एनटीके की ओर से प्रस्तुतियाँ। यह प्रस्तुत किया गया था कि एफ. एच. एच. एल. द्वारा एफ. एच. एल. में रखी गई हिस्सेदारी किसी भी तरह से आई. एच. एच./एन. टी. के. के पक्ष में हस्तांतरित नहीं की गई थी, लेकिन आई. एच. एच./एन. टी. के. को जो आवंटित किया गया था वह था नए शेयरों की सदस्यता। कंपनी में पूंजी के रूप में इस तरह से निवेश किए गए धन का उपयोग एफ. एच. एल. द्वारा अपने व्यावसायिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत, अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में स्वामित्व हित आर. एच. टी. के पास था, जो सिंगापुर में स्थापित एक ट्रस्ट है और उन संपत्तियों का उपयोग एफ. एच. एल. द्वारा अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था; और बदले में एफ. एच. एल. पट्टे के किराए के माध्यम से बड़ी राशि का भुगतान कर रहा था। इन पट्टे के किराए का भुगतान करने का दायित्व एफ. एच. एल. की वित्तीय स्थिति को काफी प्रभावित कर रहा था और इस तरह प्रबंधन द्वारा पट्टा व्यवस्था के तहत जारी रखने के बजाय उक्त संपत्तियों में स्वामित्व हित प्राप्त करने के लिए निर्णय लिया गया था। यह ऐसे स्वामित्व हित के अधिग्रहण के उद्देश्य से था कि 1/एस।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]एफ. एच. एल. द्वारा आर. एच. टी. के पक्ष में 4,666 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। ये लेन-देन पूरी तरह से प्रामाणिक थे और व्यावसायिक संरचना को सुरक्षित और संरक्षित करने के ई-उद्देश्यों में दर्ज किए गए थे और

यह एफ. एच. एल. है। लिखित प्रस्तुतियों में संबंधित घटनाएँ इस प्रकार थीं:

" 2. जैसा कि नीचे बताया गया है, जो घटनाएं हुईं वे इस प्रकार थीं: (क) दाइची ने रैनबैक्सी लिमिटेड के अपने शेयरों की बिक्री में धोखाधड़ी के आरोपों के संबंध में सिंह ब्रदर्स और अन्य के खिलाफ मध्यस्थता शुरू की थी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में

लेन-देन का उस लेन-देन से कोई संबंध नहीं है।

(ख) उनके पक्ष में एक पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, डिक्री धारक ने भारत में पुरस्कार को लागू करने का बीड़ा उठाया। इन प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान, सिंह बंधुओं की ओर से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को यह वचन दिया गया था कि वे उनकी संपत्ति को अलग-थलग नहीं करेंगे। किसी समय, डिक्री धारक भी इस मामले को इस न्यायालय में ले गया, और डिक्री धारक द्वारा इसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय में वचन भी दिए गए।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच जब से एफ. एच. एल. के शेयरों के मूल्य में गिरावट आई है, जिन बैंकों से शेयरों की प्रतिभूति के बदले ऋण प्राप्त किए गए थे, उन्होंने पहले से मौजूद प्रतिज्ञाओं को लागू किया। डिक्री धारक द्वारा दायर अपील की अनुमति के लिए याचिका में, शुरू में 11 अगस्त 2017 को, इस माननीय न्यायालय ने बैंकों को किसी भी प्रतिज्ञा को भुनाने से रोक दिया। हालाँकि इस आदेश को 15 फरवरी 2018 को संशोधित किया गया जब इस अदालत ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा केवल 11 अगस्त के बाद बनाई गई प्रतिज्ञाओं से संबंधित होगी।

2017 . (घ) आदेश के संशोधन के बाद, जो बैंकर अब प्रतिज्ञाओं को लागू करने के हकदार बन गए थे, उन्होंने शेयरों की बिक्री सहित खुद को या अपने नामितों को शेयर हस्तांतरित करने के लिए कदम उठाए, और इससे शेयरधारिता में भारी गिरावट आई।

एफ. एच. एल. में सिंह ब्रदर्स।

(ङ) मार्च 2018 तक एफ. एच. एल. में सिंह ब्रदर्स की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से नीचे आ गई थी। सिंह बंधुओं ने भी इस्तीफा दे दिया।

एफएचएल के निदेशक मंडल से। नए शेयरधारक

नामित पेशेवर निदेशक और पेशेवर प्रबंधन

एफ. एच. एल. के मामलों को चलाने के लिए।

(च) एफ. एच. एल. की वित्तीय स्थिति अनिश्चित थी और यही कारण है कि एफ. एच. एल. के बोर्ड ने कंपनी को बचाने के लिए नई पूंजी शामिल करने का फैसला किया। यह [2022] 11 एस. सी. आर. से बोलियां आमंत्रित करने वाली एक सार्वजनिक प्रक्रिया द्वारा किया गया था।

इच्छुक पक्ष। उच्चतम प्रीमियम आई. एच. एच. द्वारा उद्धृत किया गया था।

हेल्थकेयर बरहाद ("आईएचएच") और यह इस प्रक्रिया के माध्यम से है कि

एन. टी. के. (आई. एच. एच. की अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

एफ. एच. एल. द्वारा जारी शेयरों की सदस्यता लें।

2018. हालांकि, शेयरों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप 4000 करोड़ रुपये के निवेश के अनुसार (170 रुपये प्रति शेयर पर, मौजूदा बाजार मूल्य से लगभग 20 प्रतिशत अधिक के प्रीमियम के साथ)

एन. टी. के. और के बीच 13 जुलाई 2018 का सदस्यता समझौता एफ. आई. आई. एल. ("शेयर सदस्यता समझौता")। [एस. एम. सी. संकलन/खंड। 15 / पेज 410-4 71] और एनटीके सार्वजनिक प्रस्ताव देने के लिए बाध्य हो गए।

उन लोगों के शेयरों का अधिग्रहण करना (जो जनता के सदस्य हैं)

एफ. एच. एल. से कौन बाहर निकलना चाहेगा।

(ज) 14 को पारित निषेधाज्ञा के आदेश का परिणाम

दिसंबर 2018 को शेयरों के अधिग्रहण की इस प्रक्रिया को पूरा करना है। फ्रीज के तहत एक खुले प्रस्ताव (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) में जनता के सदस्यों का। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निषेधाज्ञा किसी के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है और वास्तव में, के हितों के विपरीत है

सार्वजनिक शेयरधारक। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में डिक्री धारक का एकमात्र हित आई. एच. एच. पर भुगतान करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास करना है।

उन्हें उनके डिक्रिटल बकाया, इस कारण से कि संभावनाएँ

सिंह बंधुओं से वसूली (जो पहले से ही जेल में हैं)

भुगतान न करना) निराशाजनक प्रतीत होता है। 24. की ओर से की गई प्रस्तुतियों के जवाब में

अवमानना के शुद्धिकरण के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ थीं

दाइची की ओर सेः

" ए. निर्णय देनदार

1. जैसा कि 2020 के आई. ए. No.43119 में (और जैसा कि प्रस्तावित है) अवमानक एम. एम. एस. द्वारा माँगा गया है, यह माननीय न्यायालय खंड में पहचानी गई एम. एम. और एस. एम. एस. की समूह

कंपनियों के फोरेंसिक ऑडिट का निर्देश दे सकता है। 90 / तालिका ए/पृष्ठ 4 और 5 और कंपनियों और व्यक्तियों को निर्णय देनदारियों द्वारा कौन से ऋण दिए गए हैं और

खण्ड में उल्लिखित सहयोगी कंपनियाँ। 90 / तालिका बी/पृष्ठ 6 और 7। तालिका 'ए' और तालिका 'बी' का वर्णन करने वाले 2020 के आई. ए. 43119 के उद्धरण इसके साथ अनुलग्नक 'पी-1' के रूप में संलग्न किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत के बाहर पंजीकृत संस्थाओं (अप्रत्यक्ष रूप से एम. एम. एस. और एस. एम. एस. द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित) के फोरेंसिक ऑडिट का भी निर्देश दे सकता है।

आई/एस। दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

ऐसी संस्थाओं की एक सचित्र सूची इसके साथ अनुलग्नक "पी-2" के रूप में संलग्न की गई है। 2. सुप्रीम कोर्ट उन सभी संबंधित कंपनियों के फोरेंसिक ऑडिट का भी निर्देश दे सकता है, जिन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थानों (डियोन ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड, लिगारे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, लिगारे वॉयेजेस प्राइवेट लिमिटेड, रैंचेम प्राइवेट लिमिटेड, ए. एन. आर. सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ("एफ. एच. एच. पी. एल".), आर. डब्ल्यू. एल. हेल्थवर्ल्ड लिमिटेड और रेलिगेयर कैपिटल मार्केट्स इंटरनेशनल मॉरीशस लिमिटेड) से उधार लिया था और जिनके लिए एफ. एच. एच. पी. एल. के स्वामित्व वाली फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ("एफ. एच. एल".) के शेयरों को समय-समय पर गिरवी रखा गया था, जिसमें उन सभी कंपनियों के फोरेंसिक ऑडिट का भी निर्देश दिया जा सकता है, जो आदेशों का उल्लंघन करते हुए

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ("डी. एच. सी".) और उच्चतम न्यायालय को दिए गए उपक्रम। उधारकर्ता संस्थाओं की एक सूची इसके साथ अनुलग्नक "पी-3" के रूप में संलग्न की गई है। 3. एम. एम. एस. और एस. एम. एस. के अनुसार, अवमानना के एक हिस्से को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित परिसंपत्तियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं:

द्वारा स्वामित्व

एस. नहीं।

स्थान

ओ.

भूमि/निर्माण

&

क्षेत्र

भूमि

उल्हासनगर, जिला में भूमि। ठाणे, ग्रीन ग्रास एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

1 .

लि.

महाराष्ट्रः 35.150 एकड़।

उल्हासनगर, जिला में भूमि। ठाणे, व्हाइट फेदर एस्टेट्स

2 .

महाराष्ट्रः 31.775 एकड़।

प्रा. लि.

बदलापुर, महाराष्ट्र में भूमिः

विटोबा रियल्टर्स प्रा. लि.

3 .

129.560 एकड़।

असोला, दिल्ली में भूमि और भवनः

बिंदास रियल्टर्स प्रा. लि.

4 .

5 बीघा 16 बिस था

मेहसाणा, गुजरात में भूमि

आरएचसी होल्डिंग प्रा. लि.

लि.

5 .

मेहसाणा, गुजरात में भूमि

आरएचसी होल्डिंग प्रा. लि.

लि.

6 .

भूमि [नोएडा/लुधियाना]-12,845

7 .

हरित जैव ईंधन फार्म

स्क्वायर फीट-नोएडा

प्रा. लि.

3578.96 स्क्वायर यार्ड-लुधियाना

ग्रीनलाइन बिल्डवेल प्राइवेट

लिमिटेड

भूमि-ग्वालपहाड़ी, गुड़गांव

8 .

लि.

27.57 एकड़।

निर्माण

फ्लैट सी-4/5। पहली मंजिल, ताज ए-1 बुक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

9 .

इमारत, किला, मुंबई

लि.

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. उपरोक्त भूमि पार्सल के अलावा, एम. एम. एस. और एस. एम. एस. ने यह भी कहा है कि अवमानना के एक हिस्से को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित ब्रांड/ट्रेडमार्क बिक्री के लिए उपलब्ध हैं:

ब्रांड/ट्रेडमार्क

स्वामी

रेलिगेयर

एलाइव इंफोटेक प्राइवेट

1 .

समकालीनों के स्वामित्व में)

हेडवे ब्रांड्स प्राइवेट

एसआरएल

2 .

समकालीनों के स्वामित्व में)

आरएचएस

3 .

फोर्टिस

स्वास्थ्

य सेवा

से

वाएँ

प्रबंधन

(समूह कंपनी-के स्वामित्व में

समकालीन)

5. एस. एम. एस. के अनुसार, यू. एस. $10.89 मिलियन की राशि उपलब्ध है। लिगारे वॉयेज (आयरलैंड) लिमिटेड। तदनुसार, यह माननीय न्यायालय इस माननीय न्यायालय के साथ इस राशि को जमा करने का निर्देश देता है, जो कि लिगारे वॉयेजेस द्वारा आयोजित अमेरिकी डॉलर <ID1 मिलियन है। 88 / पृष्ठ 7,9,33]

एसेट का प्रकार

इनेटिटी

लीगेयर वॉयेजेस (आयरलैंड) लिमिटेड

बैंक में नकदी

[अमेरिकी डॉलर 10.89 Mn]

6. एम. एम. एस. और एस. एम. एस. द्वारा दी गई भूमि/संपत्तियों की उपरोक्त बिक्री के अनुरोध पर इस माननीय न्यायालय द्वारा अनुकूल रूप से विचार किया जाना चाहिए और इस माननीय न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को समयबद्ध तरीके से इस बिक्री प्रक्रिया को शुरू करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

B. बैंक

7. एफ. एच. एच. पी. एल. के स्वामित्व वाले एफ. एच. एल. शेयरों को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने में 24 मई 2016 (यानी पहले आश्वासन की तारीख) के बाद जिन बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने अतिरिक्त गिरवी रखे हैं या टॉप-अप के अधिकार का प्रयोग किया है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फैसला

ऋणदाताओं ने विभिन्न समूहों को दिए गए संदिग्ध ऋणों के संबंध में (और संपार्श्विक के रूप में) जानबूझकर शेयरों को गिरवी रखा है।

एफ. एच. एल. की कंपनियाँ (सिंह भाइयों के स्वामित्व और नियंत्रण में)। आठ बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एक्सिस बैंक, यस बैंक, आरबीएल बैंक, ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, इंडियाबुल्स, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और लक्ष्मी विलास बैंक) के पास 1/एस है।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

इस निंदनीय आचरण में लगे हुए और 11 मई 2021 को शेयर मूल्य के अनुसार, 24 मई 2016 के बाद गिरवी रखे गए शेयरों की राशि लगभग आई. एन. आर. 2859,45,32,748/- (यानी, भारतीय रुपये दो हजार आठ सौ पचास-नौ करोड़ चालीस-पांच लाख तीस-दो हजार सात सौ अड़तालीस केवल) है। बैंक और वित्तीय संस्थान जिन्होंने प्रतिज्ञाएँ बनाई हैं या

24 मई 2016 (यानी, पहले उपक्रम की तारीख) के बाद टॉप-अप के अधिकार का प्रयोग करते हुए, इस माननीय न्यायालय में समतुल्य राशि जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। यह माननीय न्यायालय यह भी निर्देश दे सकता है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा किया जा रहा धन उसके अवमानना अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के अनुसार है और इसलिए, यदि किसी भी और सभी धन को अवमानना को शुद्ध करने के लिए जमा करने का निर्देश दिया जाता है तो केवल दाइची के पक्ष में जारी किया जा सकता है जो अवमाननापूर्ण कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़ित हुआ है। प्रत्येक बैंक द्वारा बनाई गई प्रतिज्ञाओं की एक तालिका (24 मई 2016 के बाद) और कुल

मान अनुलग्नक "पी-4" के रूप में संलग्न है।

8. डी. सी. बी. बैंक, एच. डी. एफ. सी. लिमिटेड और सिटी कॉर्प फाइनेंस (सूचना प्राप्तकर्ता संख्या। क्रमशः 12,10 और 13) नोटिस की सेवा के बावजूद इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। इस माननीय न्यायालय को अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एफ. एच. एच. पी. एल. के स्वामित्व वाले एफ. एच. एल. के शेयरों पर उनके द्वारा बनाई गई प्रतिज्ञाओं को रद्द कर देना चाहिए और उन्हें माननीय न्यायालय में समतुल्य राशि जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। [Vol.210/पृष्ठ 82]

9. यह माननीय न्यायालय आरबीएल बैंक को राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है।

एफ. एच. एल. के 4,20,000 शेयरों के मूल्य के बराबर अर्थात लगभग। , आई. एन. आर. 9,88,89,000 (भारतीय रुपये नौ करोड़ अस्सी-आठ लाख अस्सी-नौ हजार केवल) जिन्हें एस. सी. के 15 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा स्थानांतरित या बेचे जाने से रोक दिया गया था।

10. इंडियाबुल्स ने जहां उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एफ. एच. एल. के 12,25,000 शेयर बेचे हैं और इसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है, वहीं उसने 05 सितंबर 2018-21 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान 9,04,760 शेयर भी बेचे हैं। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट को इंडियाबुल्स को आई. एन. आर. 21,30,25,742 (भारतीय रुपया 21 करोड़ तीस लाख 25 हजार सात सौ चालीस-केवल) की राशि जमा करने का निर्देश देना चाहिए, जो इन शेयरों के मूल्य [2022] 11 एस. सी. आर. के बराबर है।

(11 मई 2021 तक)। अलग से स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। 11. एक्सिस बैंक के पास अभी भी एफ. एच. एल. के 90,00,000 शेयर हैं और इन शेयरों को बेचने का निर्देश दिया जाना चाहिए और इस तरह से प्राप्त धन को इस माननीय न्यायालय में जमा किया जाना चाहिए।

12. बैंकों द्वारा शेयरों का गैरकानूनी टॉप-अप किया गया थाः

(ii) 30 नवंबर 2016 को एक्सिस बैंक द्वारा 1,000 शेयर (लगभग। मूल्यः आई. एन. आर. 11,77,25,000 (भारतीय रुपया ग्यारह करोड़ सत्तर-सात लाख बीस-पाँच हजार केवल)।

इसलिए पहले अबू धाबी बैंक और एक्सिस बैंक को उन शेयरों के मूल्य के बराबर उपरोक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए जो डी. एच. सी. और एस. सी. के आदेशों का घोर उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी रूप से ऊपर रखे गए थे। 13. यह माननीय न्यायालय दाइची सैंक्यो को 18 नवंबर 2019 को इंडियाबुल्स द्वारा जमा किए गए INR 17,93,40,000 को वापस लेने की अनुमति दे सकता है।

नवंबर 2019। दाइची ने इन धन को वापस लेने के लिए 2019 का आई. ए. No.50764 दायर किया है। [Vol.91]

सी. फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड

14. 21 जून 2017 के डी. एच. सी. के आदेश में दर्ज अपने वचन के अनुसार, उत्तरदाताओं/निर्णय देनदारों ने आश्वासन दिया था कि आई. एन. आर. 2341.90 करोड़ की राशि हमेशा उपलब्ध रहेगी और 29 अप्रैल 2016 के पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए प्राप्य। इस समय सिंह ब्रदर्स एफ. एच. एल. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे।

15. दाइची सैंक्यो के पास एफ. एच. एल. से आई. एन. आर. 2341.90 करोड़ की राशि की वसूली करने का अधिकार है क्योंकि एफ. एच. एल. भी सिंह बंधुओं द्वारा समय-समय पर दिए गए उपक्रमों के अधीन और बाध्य है। एट्रिब्यूशन के सिद्धांत के अनुसार, समय-समय पर किए गए उपक्रम/अभ्यावेदन/आश्वासन ऐसे हैं जैसे कि वे एफ. एच. एच. पी. एल. और एफ. एच. एल. द्वारा किए गए हैं (और, वास्तव में, यह माना जाना चाहिए कि दोनों एफ. एच. एच. पी. एल. और एफ. एच. एल. द्वारा किए गए हैं, दोनों (हालांकि कोई निर्णय आई/एस नहीं हैं)।

दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

देनदार) फोर्टिस समूह का हिस्सा हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. एच. एल. आठ बार दिए गए आश्वासनों/उपक्रमों से बाध्य है।

क्योंकि, अन्य बातों के साथ-साथ, सिंह भाई एफ. एच. एल. के मार्गदर्शक दिमाग और इच्छा थे।

16. एफ. एच. एल. और आई. एच. एच. ने आर. एच. टी. ट्रस्ट, सिंगापुर को भारत से बाहर 4000 करोड़ रुपये (यानी भारतीय रुपये चार हजार करोड़) की राशि हस्तांतरित करके इस माननीय न्यायालय के 14 दिसंबर 2020 के आदेश का उल्लंघन किया है। इस राशि को वापस लाया जाना चाहिए और इस माननीय न्यायालय में जमा किया जाना चाहिए। इस माननीय न्यायालय ने इस संबंध में एफ. एच. एल. के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। एफ. एच. एल., आई. एच. एच. और एन. टी. के. को इस राशि को इस माननीय न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

डी. आरएचटी ट्रस्ट 17. आर. एच. टी. न्यास और उसके निम्नलिखित अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा।

((i)

टैंक कांग फन-सी. ई. ओ./सी. एफ. ओ.-ट्रस्टी मैनेजर; और

गुरप्रीत सिंह ढिल्लों-पूर्व सीईओ और कार्यकारी

((ख)

आर. एच. टी. ट्रस्ट के निदेशक और सिंह बंधुओं के करीबी रिश्तेदार।

यह माननीय न्यायालय आर. एच. टी. ट्रस्ट और गुरप्रीत सिंह ढिल्लों को निम्नलिखित मामलों में अपनी भूमिका स्पष्ट करने का निर्देश दे सकता हैः

(1)

एफ. एच. एल. द्वारा आर. एच. टी. ट्रस्ट को 4000 करोड़ रुपये का हस्तांतरण

सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर 2018 के आदेश का उल्लंघनः

((ख)

(प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ढिल्लों परिवार के सदस्यों सहित और सिंह ब्रदर्स) जो 14 दिसंबर 2018 के आदेश का भी उल्लंघन था। इस हस्तांतरण में एफ. एच. एल. (एक यूनिटधारक के रूप में) को 817 करोड़ रुपये का और हस्तांतरण शामिल था।

और

13 फरवरी के निश्चित समझौते का निष्पादन

(iii)

2018 आर. एच. टी. की खरीद के लिए एफ. एच. एल. और आर. एच. टी. के बीच 14 नवंबर 2017 की सावधि पत्रक और 15 नवंबर 2017 के एस. जी. एक्स. को प्रकटीकरण के आधार पर पोर्टफोलियो परिसंपत्तियां, जिसके परिणामस्वरूप एफ. एच. एल. में एक नियंत्रित हिस्सेदारी आई. एच. एच. को हस्तांतरित की गई। यह डी. एच. सी. को दिए गए आश्वासनों और इस माननीय न्यायालय के यथास्थिति आदेश का उल्लंघन था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. रेलिगेयर 1. आई. बी. सी. की कोई भी कार्यवाही इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित अवमानना कार्यवाही और आदेशों के परिणाम के अधीन होनी चाहिए।

2. निर्णय देनदार, फर्न हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, मॉडलैंड वेर्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कोई आई. बी. सी. कार्यवाही स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

4. रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड द्वारा शुरू की गई 23 संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही, यदि अनुमति दी जाती है, तो सीधे अवमानना कार्यवाही के परिणाम को प्रभावित करेगी। 25. इन प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि में, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं: -

(अ)

चाहे कमीशन के कार्य या चूक की ओर से समकालीन Nos.9 और 10 और उनके द्वारा नियंत्रित निकाय,

कंपनियों की परिसंपत्तियों को दाइची की पहुंच से परे उनके नियंत्रण में रखने के लिए गणना की गई थी?

(ख) उच्च न्यायालय को स्पष्ट आश्वासन देने के बाद और

न्यायालय, क्या समकालीन Nos.9 और 10 की ओर से कमीशन और चूक के ऐसे कार्य अवमानना के बराबर हैं

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश?

((ग)

क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने शेयर बेचे हैं

जो उनके साथ विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लाभ के मामले के रूप में प्रतिज्ञा की गई थी या क्या आदेशों की कठोरता और चौड़ाई को हराने के लिए जानबूझकर अवज्ञा का कोई कार्य किया गया था उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित?

((घ)

क्या उनके द्वारा किए गए कार्य मिलीभगत से थे

कंटेनोर Nos.9 और 10 के साथ?

(ई)

चाहे लेन-देन आई. एच. एच./एन. टी. के. द्वारा या उसके साथ किए गए हों। क्या वे ईमानदार थे या क्या अदालत की प्रक्रियाओं को विफल करने और इस तरह संपत्ति को दाइची की पहुंच से बाहर रखने का जानबूझकर प्रयास किया गया था?

26. ऊपर उठाए गए पहले दो प्रश्नों को और विस्तार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अवमानकर्ता Nos.9 और 10 के आचरण पर विचार किया गया था और उन्हें उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवमानना करने का दोषी ठहराया गया था। उन्हें दोषी ठहराते हुए, अपने निर्णय और दिनांक 15.11.2019 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने उन्हें अवमानना से खुद को मुक्त करने का अवसर दिया था। इसलिए, जहाँ तक समकालीन संख्या द्वारा निभाई गई भूमिका की बात है। 9 और 10 का संबंध है, मामला एक संकीर्ण दिशा में है अर्थात, क्या उन्होंने खुद को अवमानना से मुक्त कर लिया है या नहीं? जिस तरह की परिसंपत्तियों की पेशकश की गई है, वह समकालीन संख्या द्वारा की गई है। 9 और उनके शपथ पत्र में 10 इतने अपर्याप्त हैं कि विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार में दाइची के पक्ष में दी गई राशि को संतुष्ट करना असंभव है। इस प्रकार, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि समकालीन Nos.9 और 10 खुद को अवमानना से मुक्त करने में विफल रहे हैं। वास्तव में, उनकी ओर से कोई वास्तविक प्रयास नहीं है। सवाल यह है

फिर वाक्य की मात्रा के बारे में आता है। उनके कार्यों की विशालता को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, अधिकतम सजा जो दी जा सकती है, उसे लगाया जाना चाहिए। इसलिए, हम उन्हें छह महीने के कारावास की सजा देते हैं और अदालत की अवमानना करने के लिए 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाते हैं।
27. यह हमें नोटिस पाने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में प्रश्नों के अगले समूह पर ले जाता है। पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील की सहायता से हमने रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों को देखने का प्रयास किया, लेकिन खुद को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ पाते हैं कि क्या पूर्ववर्ती थे।

ऐसी व्यवस्थाएँ जिन्होंने उक्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शेयरों को संलग्न करने और बड़ी मात्रा में शेयरों को परिवर्तित करने में सक्षम बनाया

इस अभ्यास के लिए तथ्य के मुद्दों में जाने, दस्तावेजों और खातों की तुलना करने के साथ-साथ समीचीनता पर विचार करने की आवश्यकता होगी। क्या उक्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आराम और पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान करने के लिए शेयरों को बेचने की आवश्यकता थी।

28. यह सच है कि अदालत के लिए अवमानना में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अवमानकर्ता की संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए जब्ती आदेशों की प्रकृति में परिणामी आदेश पारित करना संभव है, जो अवमाननाकर्ता के पास [2022] 11 एस. सी. आर. थी।

न्यायालय की पहुंच से बाहर रखा गया या जिसे न्यायालय द्वारा अधिग्रहित किया गया था

अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई के लिए अपने गलत कार्यों से अपमान करना। लेकिन वर्तमान मामले में अवमानना क्षेत्राधिकार में इस तरह की कवायद करने में दो कठिनाइयाँ हैं। पहला, ये नोटिस इस न्यायालय में प्रारंभिक कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे। दूसरा, वे एक बचाव के साथ आए हैं कि उनके सभी कार्य विशुद्ध रूप से व्यावसायिक प्रकृति के थे और यह स्थिति की समीचीनता थी जो उनकी ओर से इस तरह की कार्रवाई की मांग करती थी। इन मुद्दों पर उचित स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन उस स्तर पर प्रतिक्रिया करने से पहले, दाइची द्वारा सुझाए गए फोरेंसिक ऑडिट के रूप में एक तथ्यात्मक विश्लेषण भी किया जाना आवश्यक है। इस तरह के व्यायाम

यह निश्चित रूप से न्यायालय को एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने और उचित आदेश या निर्देश पारित करने में मदद करेगा। इसलिए हम उक्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कोई भी निर्देश पारित करने से बचते हैं।

वर्तमान में लेकिन यह मत रखिए कि निष्पादन न्यायालय या ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम कोई अन्य प्राधिकरण सच्चाई को उजागर करने के लिए उचित अभ्यास करने के लिए फोरेंसिक ऑडिटर (ओं) को नियुक्त करना अच्छा करेगा।

29. जहाँ तक स्वामित्व के अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों का संबंध है

एफ. एच. एल. द्वारा अस्पतालों और निदान केंद्रों में 4,666 करोड़ रुपये की लागत का संबंध है, रिकॉर्ड पर तथ्य ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। प्रथम दृष्टया, यह आई. एच. एच./एन. टी. के. द्वारा सुझाए गए एफ. एच. एल. के व्यावसायिक ढांचे को कम करने के लिए स्वामित्व हित का अधिग्रहण प्रतीत होता है। लेकिन फिर से, यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच की जानी चाहिए और यदि अदालत उचित समझती है तो किसी भी फोरेंसिक विश्लेषण के आलोक में तथ्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

30. परिसर में हम निम्नलिखित दिशा-निर्देश देते हैं:

(क) समकालीन Nos.9 और 10 को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई जाती है और प्रत्येक को 5,000/- रुपये की राशि का जुर्माना दिया जाता है। आज से चार सप्ताह। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में अवमानकर्ताओं को दो महीने का और कारावास भुगतना होगा।

(ख) 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.20417,2019 की एस. एल. पी. (सी) No.20417 में 2018 की अवमानना याचिका No.2120 और 2019 की स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका (सी) संख्या 4 का निपटारा उच्च न्यायालय को निर्देश के साथ किया जाता है, जिसके समक्ष 2019 की कार्यवाही

निष्पादन लंबित है, फोरेंसिक नियुक्ति पर विचार करने के लिए

लेखा परीक्षकों को नोटिस प्राप्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए लेन-देन का विश्लेषण करना और यह देखना कि क्या ऐसा है

लेन-देन प्रामाणिक थे और वाणिज्यिक रूप से किए गए थे।

सुगमता।

1 / एस. दाइची सांक्यो कंपनी लिमिटेड वी। ऑस्कर निवेश सीमित [उदय उमेश ललित, सीजेआई]

(घ) इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा की गई Rs.17,93,40,000/- की राशि उस पर उपार्जित ब्याज के साथ निष्पादन न्यायालय को प्रेषित की जाएगी। उक्त राशि तत्काल विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार के निष्पादन पर विचार करते समय निष्पादन न्यायालय को उपलब्ध होगी। (ई) कुछ शेयर जो अभी भी नोटिस प्राप्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास पड़े हुए हैं, उदाहरण के लिए, आरबीएल बैंक द्वारा गिरवी रखे गए और जारी रखे गए एफएचएल के शेयर, जिन पर इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश में विचार किया गया था, निष्पादन अदालत के लिए उपलब्ध होंगे और ऐसे आदेश का पालन करेंगे जो -

(च) अवमानना से खुद को आंशिक रूप से मुक्त करने के प्रयास में समकालीन Nos.9 और 10 द्वारा दी गई सभी संपत्तियों को भी - निष्पादन न्यायालय के लिए उपलब्ध होगा और ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जिन्हें निष्पादन न्यायालय पारित करना उचित समझे।

नतीजतन, उन सभी परिसंपत्तियों की कुर्की होगी जो नियत समय में निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णय या निर्देश की प्रतीक्षा कर सकती हैं, जिसमें ये प्रश्न भी शामिल हो सकते हैं कि क्या कुछ व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर स्पष्ट रूप से विचाराधीन परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। (छ) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रस्तुत किए गए तथ्यों और परिस्थितियों के रूप में ऐसे निर्देश पारित करने के लिए निष्पादन न्यायालय खुला रहेगा।

इससे पहले कि यह उचित हो।

(ज) प्रथम सूचना रिपोर्ट और एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही सहित संबंधित अदालतों के समक्ष सभी लंबित कार्यवाही को कानून के अनुसार तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा।

(i) रजिस्ट्री तत्काल मामलों में पक्षों द्वारा दायर सभी खंडों, प्रस्तुतियों और अभिवचनों की प्रतियां सुविधा और रिकॉर्ड के लिए निष्पादन न्यायालय को भेजेगी।

पांडे

निर्देश जारी

किए गए।

द्वारा संपादित किया गयाः प्रीतम भारती, एलसीआरए)